



सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2014-15



तटीय जलकृषि प्राधिकरण
Coastal Aquaculture Authority

तटीय जल कृषि प्राधिकरण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

(भारत सरकार / Government of India)

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिपक्कम पोस्ट
GDR Tower, 12-A Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam Post
चेन्नै / Chennai-600 091 तमिल नाडु / Tamil Nadu, भारत / India

फोन / Phone : +91 44 2260 3783, 3784, 3502

टेलीफैक्स / Telefax : +91 44 2260 3780

ई-मेल / E-mail : aquaauth@vsnl.net / aquaauth@gmail.com

वेबसाइट / Website : www.caa.gov.in



2014-15

ANNUAL REPORT

वार्षिक प्रतिवेदन

सीएए CAA



सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

तटीय जलकृषि प्राधिकरण



भारत सरकार, कृषि मंत्रालय

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट

वानुवमपेट्टई, मडिपक्कम पोस्ट

चेन्नै-600 091, तमिल नाडु

फोन : 91-44-2260 3783, 3784, 3502, टेलीफैक्स : 044-2260 3780

ई-मेल : aquaaauth@vsnl.net / aquaaauth@gmail.com

वेबसाइट : www.caa.gov.in

प्रकाशक

अध्यक्ष

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

संकल तथा संपादन

पी. रविचन्द्रन

आर. जयरामन

एस. मणि

जी. डी. चन्द्रपाल

डी. विंसेन्ट

मुद्रक

श्री विग्नेश प्रिंट्स

Published by

Chairperson

Coastal Aquaculture Authority

Compilation and Editing

P. Ravichandran

R. Jayaraman

S. Mani

G. D. Chandrapal

D. Vincent

Printed by

Shri Vignesh Prints

विषय वस्तु

क्र.सं.	विषय भूमिका	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	v
I.	प्राधिकरण की संरचना, प्रचालनात्मक लक्ष्य और उद्देश्य	1
	वर्ष 2014-15 के दौरान प्राधिकरण की संरचना	1
	प्राधिकरण के लक्ष्य तथा उद्देश्य और शक्तियां तथा कार्य	3
	एसपीएफ लिटोपिनस वेन्नामई पालन का भारत में विनियमन	5
II.	लक्ष्य तथा कार्य निष्पादन	6
	वार्षिक लक्ष्य	6
	वास्तविक निष्पादन की संक्षिप्त समीक्षा	7
III.क.	कार्यकलाप व उपलब्धियां	8
	प्राधिकरण की बैठक और प्राधिकरण द्वारा समितियों का गठन	8
	समिति की अन्य बैठकें	14
	झींगा फार्मों का पंजीकरण/ पंजीकरण का नवीनीकरण	16-19
III.ख.	एसपीएफ लिटोपेनियस वेन्नामई पालन	25
	एसपीएस एल. वेन्नामई बूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का चयन	25
	वर्ष 2014-15 में एसपीएफ एल. वेन्नामई बूडस्टॉक का आयात और बीज उत्पादन	26
	भारत में एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों का निष्पादन/ परिसंघ	29-35
	सीएए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाले/ गैर-प्राधिकृत एल. वेन्नामई बीज उत्पादन के विरुद्ध की गई कार्रवाई	35
	एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए झींगा फार्मों को अनुमति प्रदान करना	38
	एल. वेन्नामई पालन का राज्यवार निष्पादन	44
	गैर-अनुमोदित एल. वेन्नामई फार्मों के विरुद्ध कार्रवाई/ पर्यावरणीय समस्या	49
	एसपीएफ एल. वेन्नामई का उत्पादन	49
	एल. वेन्नामई पालन करने के लिए पी. मोनोडान पालन हेतु पंजीकृत फार्मों को अनुमति प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश	51
	एल. वेन्नामई हैचरियों/ फार्मों की निगरानी	51
IV.	जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला	55
V.	वेबसाइट का अद्यतन	55
VI.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण को मजबूत बनाना	55
VII.	सीएए में राजभाषा का कार्यान्वयन	57
VIII.	सीएए के अतिरिक्त कार्यकलाप	57
	कार्यशाला/ सेमिनार/ मेलों/ प्रदर्शनियों में भागीदारी	57-58
	सीएए द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	59
	संसदीय समितियों का दौरा	60
	अन्य संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/ सेमिनारों/ गोष्ठियों में सीएए के अधिकारियों की भागीदारी	61
IX.	वर्ष 2015-16 के दौरान किए जाने वाले संभावित कार्यकलाप	63
X.	वर्ष 2014-15 के वित्त	64
XI.	स्टाफ और प्राधिकरण की मौजूदा संगठनात्मक रचना	65
XII.	भर्ती/ सेवा निवृत्तिक/ वापस भेजना	66
XIII.	सूचना का अधिकार अधिनियम	66
अनुलग्नक:	वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट और सीएंडएजी की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	67
	तुलन पत्र	68
	आय और व्यय खाता/ प्राप्तियां और भुगतान	69-70
	तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग और आय एवं व्यय का अनुसूची प्रपत्र भाग	72-77
	लेखाकरण नीतियां/ आकस्मिक देयताओं और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियां	80-83
	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सीएए का उत्तर	85-89

CONTENTS

Sl. No	Subject	Page No
	Preface	93
I.	Composition, Operational Goals and Objectives	95
	Composition of the Authority during the year 2015-16	95
	Aims & Objectives and Powers & Functions of the Authority	97
	Powers and Functions of the Authority	
	Regulation of SPF <i>Litopenaeus vannamei</i> culture in India	99
II.	Targets and Performance	100
	Annual Targets	100
	Brief review of Actual Performance	101
III.	Activities and Achievements	103
	A. Meetings of the Authority and Committees constituted by the Authority	103
	1. Meetings of the Authority	
	2. Meetings of Committees Constituted by the Authority (i) to (iv)	
	B. Registration / Renewal of Coastal Aqua farms	
III.	SPF <i>Litopenaeus vannamei</i> Farming	120
	1. Registration of Shrimp Farms	
	2. Renewal of Registrations	
	3. Efforts taken by CAA to promote Registration/ Renewal of Aquafarms	
	C. SPF <i>L. vannamei</i> Farming	
	(i) Selection of SPF <i>L. vannamei</i> Broodstock Suppliers	
	(ii) Import of SPF <i>L. vannamei</i> Broodstock and Seed production in the year 2015-16	
	(iii) Performance of SPF <i>L. vannamei</i> Hatcheries during 2015-16	
	(iv) Growth of SPF <i>L. vannamei</i> Hatcheries in India	
	(v) Consortium of SPF <i>L. vannamei</i> Hatcheries	
	(vi) Setting up of Nauplii Rearing Centres for SPF <i>L. vannamei</i> Seed production	
	(vii) Permission to Shrimp Farms to culture SPF <i>L. vannamei</i>	
	(viii) State-wise performance of <i>L. vannamei</i> farming	
	(ix) Production of SPF <i>L. vannamei</i>	
	(x) Cluster Farming of SPF <i>L. vannamei</i>	
	(xi) Monitoring of <i>L. vannamei</i> Hatcheries/ Farms	
IV.	Action on Various Complaints against Shrimp Farming	
	A Action taken on Specific Complaints (i) to (v)	
	B Action taken against Registered Hatcheries for non-compliance of CAA Guidelines in <i>L. vannamei</i> seed production	
	C Action taken against unauthorized <i>L. vannamei</i> seed production	
V.	Registration of Finfish Hatchery	
VI.	Registration of Antibiotic-free Aquaculture Inputs	
VII.	Water Quality Monitoring Laboratory	
VIII.	Website Updation	
IX.	Strengthening of Coastal Aquaculture Authority	
X.	Implementation of Official Language in CAA	
XI.	Outreach Activities of CAA	
	(i) Training Programmes Conducted/ Associated by CAA	
	(ii) Awareness Programmes Conducted / Associated	
	(iii) Participation in Workshop / Seminar	

- (iv) Training Programmes for CAA officials
 - (v) Participation of CAA members / officers in meetings / seminars / symposia organized by other organizations
- XII. Activities likely to be taken up during 2016-17
- XIII. Finance
 - (i) Performance of Audit of CAA by C&AG of India
 - (ii) Summary of actual financial results and activities during the financial year 2015-16
 - (iii) Details of the Annual Accounts for the year 2015-16
- XIV. Staff and existing organizational structure of the Authority
- XV. Recruitment / Retirement / Repatriation
- XVI. Right to Information Act
- Annexure:** Annual Accounts for the Year 2015-16

न्यायमूर्ति के. रविराजा पान्डियन
अध्यक्ष

Justice K. Raviraja Pandian
Chairperson



तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई
मडिपक्कम पी.ओ., चेन्नई-600 091
तमिल नाडु, भारत

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

Government of India, Ministry of Agriculture and Farmers
Welfare

GDR Tower, 12-A Bharathi Street, Vanuvampettai

Madipakkam P.O., Chennai - 600 091

Tamil Nadu, India

प्राक्कथन

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) को संसद के अधिनियम के तहत दिसंबर, 2005 में स्थापित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में सभी जलकृषि कार्यकलापों को विनियमित करना है ताकि तटीय जल कृषि का दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित किया जा सके और तटीय पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके।

सीएए एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक का आयात करने, जैव-सुरक्षित हैचरियों में इसका बीज उत्पादन करने और ऐसे फार्मों में एसपीएफ एल. वेन्नामई का पालन करने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है। यह पंजीकरण और उनकी नियमित रूप से निगरानी के लिए फार्मों और हैचरियों का नियमित रूप से निरीक्षण भी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फार्मों और हैचरियों की इफ्ल्युन्ट शोधन प्रणाली से छोड़ा गया अपशिष्ट जल सीएए द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करता हो।

सीएए ने फार्मों और हैचरियों के पंजीकरण और दीर्घकालिक एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन तथा बीज उत्पादन के संबंध में राज्य स्तर और जिला स्तर के मात्स्यिकी अधिकारियों के लिए कई सुग्राही कार्यशालाएं, जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

दीर्घकालिक तटीय जलकृषि और सीएए अधिनियम, 2005 के अनुसार तटीय जलकृषि कार्यकलापों का विनियमन करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप किए और अनुवर्ती नियम, विनियम, अधिसूचनाएं तथा तकनीकी दिशा-निर्देश सीएए की वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 में विस्तार में दिए गए हैं।

सीएए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सतत समर्थन और तटीय जलकृषि में लगे पणधारकों को सीएए की सफल कार्य योजनाओं में दिए गए उनके समर्थन तथा सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता प्रेषित करता है। मैं सीएए और इसके तकनीकी कार्मिकों को अनेक बाधाओं के बावजूद अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई देता हूं।

के. रविराजा पान्डियन

(न्यायमूर्ति के. रविराजा पान्डियन)

अध्यक्ष

I. प्राधिकरण की संरचना, प्रचालनात्मक लक्ष्य और उद्देश्य

तटीय क्षेत्रों में तटीय जल कृषि से संबद्ध कार्यकलापों और इससे जुड़े मामलों अथवा घटनाओं को विनर्मित करने के लिए तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के तहत तटीय जल कृषि प्राधिकरण की स्थापना की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तटीय जल कृषि से तटीय पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचे और जिम्मेदाराना जल कृषि की अवधारणा का पालन किया जाएगा। तटीय जल कृषि का तात्पर्य तटीय क्षेत्रों में तालाबों, पेंस, संबद्ध क्षेत्रों में झींगा, प्रान, मछली अथवा खारे समुद्र अथवा अप्रवाही जल में अन्य तटीय जीवों का नियंत्रित दशाओं के तहत पालन करना है। किंतु इसमें स्वच्छ जल में जल कृषि शामिल नहीं है। तटीय क्षेत्र से तात्पर्य समुद्रों, नदियों, संकरी खाड़ियों और अप्रवाही जल की हाई टाइड लान (एचटीएल) से दो किमी. की दूरी के भीतर की भूमि के क्षेत्र से है। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य जिम्मेदाराना तटीय जल कृषि पद्धतियों को अपनाते हुए तटीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर दीर्घकालिक विकास करना और तटीय क्षेत्र में रह रहे विभिन्न पणधारकों की जीविका को।

1. वर्ष 2014-2015 के दौरान प्राधिकरण की संरचना

- | | | |
|---|-----|---------|
| (i) न्यायमूर्ति के. रविराजा पांडियन
(पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मद्रास) | ... | अध्यक्ष |
| (ii) डॉ. पी. रविचन्द्रन
प्रधान वैज्ञानिक, केन्द्रीय खारा जल जलकृषि
संस्थान, चेन्नै (30 सितंबर 2014 तक)
(तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ) | ... | सदस्य |
| (iii) डॉ. आर. किरुभागरन
वैज्ञानिक 'एफ' 'राष्ट्रीय महासागरीय
प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नै
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि
(तटीय पारिस्थितिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ) | ... | सदस्य |
| (iv) डॉ. सुश्री मंजू रैना
निदेशक (सी.पी. प्रभाग)
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार
(पर्यावरण संरक्षण/प्रदूषण के क्षेत्र में विशेषज्ञ) | ... | सदस्य |
| (v) डॉ. राजशेखर वुंदू, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी)
पशुपालन, डेरी तथा मत्स्यपालन विभाग
(कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि) | ... | सदस्य |

- | | | | |
|--------|---|-----|------------|
| (vi) | सुश्री लीना नायर, आई.ए.एस.
अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि) | ... | सदस्य |
| (vii) | डॉ. डी. एच. ब्रम्हभट्ट, आई.ए.एस.
आयुक्त एवं सचिव, गुजरात सरकार
(मात्स्यिकी और पशु संसाधन विभाग)
(गुजरात राज्य के प्रतिनिधि)
श्री अरूण कुमार सोलंकी
आयुक्त एवं सचिव
(मात्स्यिकी और पशु संसाधन विभाग)
(27 अगस्त 2014 से प्रभावी) | ... | सदस्य |
| (viii) | श्री के. प्रवीण कुमार, आई.ए.एस.
मात्स्यिकी आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार
(आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)
(03 फरवरी 2015 तक)
श्री राम शंकर नायक, आई.ए.एस.
मात्स्यिकी आयुक्त,
(4 फरवरी 2015 से प्रभावी) | ... | सदस्य |
| (ix) | श्री सईद अहमद बाबा, आई.ए.एस.
प्रधान सचिव (मात्स्यिकी)
मात्स्यिकी, जलकृषि, जलीय संसाधन और मात्स्यिकी
पत्तन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता
(पश्चिम बंगाल राज्य के प्रतिनिधि) | ... | सदस्य |
| (x) | डॉ. एस. विजय कुमार, आई.ए.एस.
सचिव (मात्स्यिकी), तमिलनाडु सरकार,
पशुपालन, डेरी और मात्स्यिकी विभाग, चेन्नै
(तमिलनाडु के प्रतिनिधि) | ... | सदस्य |
| (xi) | डॉ. आर. पाल राज
केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य
(30 अप्रैल 2014 तक)
डॉ. पी. रविचन्द्रन
(अंतरिम प्रभार-1 मई से 30 सितंबर 2014 और
1 अक्टूबर 2014 से स्थायी सदस्य सचिव) | ... | सदस्य सचिव |

2. प्राधिकरण के लक्ष्य तथा उद्देश्य

प्राधिकरण के लक्ष्य एवं उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा 'तटवर्ती क्षेत्रों के रूप में' अधिसूचित क्षेत्रों से तटीय जलकृषि गतिविधियों को तथा इससे संबंधित सभी मामलों को विनियमित करना है। प्राधिकरण को तटवर्ती क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण और संचालन के लिए विनियमन बनाने और फार्मों तथा हेचरियों के पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन करने के लिए एल. वेन्नामई हेतु फार्मों तथा हेचरियों का निरीक्षण करने, जलकृषि फार्मों और हेचरियों का पंजीकरण करने, प्रदूषण फैलाने वाले तटवर्ती जलकृषि फार्मों को हटाने अथवा नष्ट करने तथा तटीय जलकृषि में सभी तटीय जलकृषि आगतों जैसे बीज, चारा, बीजवृद्धि उपकरण, तटीय जलकृषि में प्रयुक्त रसायनों आदि के लिए मानकों को तय करने और देश में तटीय जलकृषि कार्यकलापों की समग्र निगरानी की शक्ति दी गई है।

3. प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य

प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य सीएए अधिनियम, 2005 के चौथे अध्याय तथा इसके तहत बनाए गए नियम एवं 2008 में अधिसूचित तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट है। सीएए अन्य बातों के साथ-साथ तटीय जलकृषि क्षेत्र के सुव्यवस्थित तथा सतत विकास के लिए विनियम बनाता है ताकि गतिविधि में संलग्न विभिन्न अंशधारकों के सामाजिक-आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरण अनुकूल तथा समाज स्वीकृत तटीय जलकृषि की ओर उन्मुख हुआ जा सके।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण का प्रमुख दायित्व देश में अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर बीज उत्पादन और लिटोपिनस वेन्नामई के फार्मों में शामिल अथवा शामिल होने जा रहे सभी प्रकार के तटीय खारा और लवणीय जल जलकृषि फार्मों और हेचरियों का पंजीकरण, अपेक्षित जैव सुरक्षा सहित एसपीएफ डींगा कृषि के लिए फार्मों के पंजीकरण को सुनिश्चित करना है। यह एक सतत प्रक्रिया है। किसानों को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सभी पात्र जलकृषि फार्मों का पंजीकरण करने के लिए प्राधिकरण द्वारा कई उपाय आरंभ किए गए हैं। तटीय क्षेत्रों में जलकृषि करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम और नियम में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अपने फर्म का तटीय जलकृषि प्राधिकरण में पंजीकरण कराएं। पंजीकरण पांच वर्षों की अवधि के लिए किए जाते हैं जो आगे समय-समय पर नवीनीकृत किए जा सकते हैं। भविष्य में तटीय जलकृषि गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण प्रक्रियाओं को नए फार्मों के लिए तथा मरम्मत किए जाने वाले पुराने फार्मों के लिए जारी रखा जाएगा।

तटीय विनियम जोन के भीतर समुद्र के हाई टाइड लाइन, संकरी खाड़ियों, नदियों तथा पश्च जल से दो सौ मीटर के भीतर जलकृषि की अनुमति नहीं है। तथापि, यह शर्त तटीय जलकृषि अधिनियम के विधिकरण से पहले स्थापित मौजूदा फार्मों तथा सरकार अथवा सरकार के किसी भी अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित गैर-वाणिज्यिक तथा प्रयोगात्मक जलकृषि फार्मों पर लागू नहीं है। तथापि, ऐसे सभी फार्म तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पास पंजीकृत होने चाहिए। ऐसे पंजीकरण के बिना किसी व्यक्तिका द्वारा तटीय जलकृषि करने पर उसे अधिनियम के अनुच्छेद 14 में यथा-निर्धारित कारावास का दंड जिसे तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना अदा करना पड़ेगा जिसे एक लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों दंड भुगतने पड़ेंगे।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण की सीएए नियम, 2005 के प्रावधानों के तहत स्थापित राज्य स्तरीय समितियों (एसएलसी) एवं जिला स्तरीय समितियों (टिएलसी) द्वारा की जाती है, जो प्राथमिक रूप से तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण से संबंधित मामलों पर संबद्ध है। 2 हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र वाले फार्मों के मामले में, डीएलसी मानकों की अनुपालना के बारे में संतुष्ट होने पर पंजीकरण हेतु विचार करने के लिए सीएए को सीधे आवेदनों की सिफारिश करेंगे और 2 हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र से बड़े फार्मों के मामले में, डीएलसी मानकों के सत्यापन की पुष्टि करने के लिए फार्मों का निरीक्षण करेंगे और एसएलसी को आवेदनों की सिफारिश करेंगे, जो संतुष्ट होने पर, पंजीकरण के लिए सीएए को इनकी सिफारिश करेंगे।

पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग (डीएचडीएंडएफ) द्वारा लाइवस्टॉक इम्पोर्टेशन अधिनियम, 1898 (लाइवस्टॉक इम्पोर्टेशन अधिनियम, 2001 के तहत जारी की गई दिनांक 15 अक्टूबर 2008 की अधिसूचना के तहत जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार तटीय जलकृषि प्राधिकरण अनुमोदित विदेशी एसपीएफ ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ एल. बेन्नामई का ब्रूडस्टॉक आयात करने की अनुमति प्रदान करने के लिए और ब्रूडस्टॉक की वार्षिक आवश्यकताओं का आबंटन करने के लिए प्राधिकृत था।

सीएए को तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2009 के तहत जारी अधिसूचना के जरिए जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए एसपीएफ एल. बेन्नामई हैचरियों और फार्मों की निगरानी करने की सख्ती भी है।

इसके अतिरिक्त सीएए की शक्तियां तथा कार्य निम्नलिखित हैं

- यह सुनिश्चित करना कि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले तटवर्ती समुदाय की आजीविका को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कृषि भूमि, लवण पटल जमीन, कच्चीय वन, नम जमीन, वन भूमि, गांव की आम प्रयोजन की भूमि तथा सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि और राष्ट्रीय उद्यानों तथा मृग वनों को जलकृषि फार्मों में परिवर्तित न किया जाए।
- पारिस्थिकीय अनुकूल विकास हासिल करने के लिए उचित कार्यनीति तैयार करने के लिए देश के समूचे तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करना और केन्द्र सरकार तथा राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को सलाह देना।
- सामान्य अवसंरचना लाइन, सामान्य जल अंतर्ग्रहण, निकासी नहर एवं सार्वजनिक बहिष्प्राव उपचार प्रणाली के निर्माण के लिए राज्य/ संघ क्षेत्र सरकारों को सलाह एवं समर्थन देना।
- बीज, आहार, वृद्धि संवर्धकों तथा जल निकायों एवं पाले गए जीवों एवं अन्य जलजीव के रखरखाव के लिए प्रयुक्त रसायनों के लिए मानक निर्धारित करना।
- पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अध्ययनों/ योजनाओं को आरम्भ करना या अन्वेषणों को प्रायोजित करना और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन।
- तटीय जलकृषि से संबंधित आंकड़ों एवं अन्य वैज्ञानिक तथा सामाजिक-आर्थिक सूचना एकत्रित एवं वितरित करना।
- तटीय जलकृषि के सतत विकास एवं तटीय जलकृषि के क्रियाकलापों से संबंधित सामग्री तैयार करना।
- तटीय संसाधनों के दीर्घकालिक उपयोग तथा न्याय संगत एवं उचित हिस्सेदारी के संबंध में जागरूकता अभियान चला कर प्रचार करना तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।

- तकनीकी नियमावली के संबंध में विभिन्न तकनीकी समितियां, उप-समितियां, कार्य दल आदि गठित करना।
- तटीय पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों को कम से कम करने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए फार्म के मालिकों को निर्देश देना।
- सततता को सुनिश्चित करने के लिए या पर्यावरणीय सततता को बनाए रखने के हित में एवं तटीय पर्यावरण के हित में आजीविका के संरक्षण के लिए मौसमी बंदी का आदेश देना।
- यदि कोई व्यक्ति झूठी सूचना प्रस्तुत करके पंजीकरण प्राप्त करता है। अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित शर्तों अथवा इन नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके पंजीकरण को रद्द करना।
- तटीय जलकृषि से संबंधित मसलों को निपटाना जिनमें ऐसे मसले भी शामिल हैं जिन्हें केन्द्र सरकार को संदर्भित किया जाना है।
- समय-समय पर दिशा-निर्देशों में संशोधन करने के लिए सरकार को उचित सिफारिशें देना।

4. एसपीएफ लिटोपिनस वेन्नामई पालन का भारत में विनियमन

पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार द्वारा पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (पशुधन आयात अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित) के तहत जारी 15-10-2008 की अधिसूचना द्वारा तटीय जलकृषि प्राधिकरण को एसपीएफ लिटोपिनस वेन्नामई के ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए अनुमति देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), केन्द्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान (सीआईबीए) और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के परामर्श से तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अनुवांशिकी आधार और रोग संबंधी स्थिति के आधार पर ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ता चुने गए थे। उक्त अधिसूचना में शामिल उक्त दिशा-निर्देश में संगरोध के लिए जैव सुरक्षा अपेक्षाएं, आयात परमिट, प्रवेश के लिए बंदरगाह, पूर्व-सरहद संगरोध अपेक्षाएं, संक्रमणयुक्त प्रक्रिया इत्यादि का विवरण दिया गया है।

तटीय जलकृषि (संशोधन) नियम, 2009 से एल. वेन्नामई की शुरूवात करने के लिए हैचरियों और फार्मों को विनियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों में एल. वेन्नामई नस्ल के अनुप्रयोग के लिए मानक, तकनीकी आवश्यकताएं, एसपीएफ एल. वेन्नामई के उत्पादन और बिक्री के लिए प्रक्रिया शामिल है और फार्मों के अनुमोदन और प्रचालन के लिए मानक और नियम विनिर्दिष्ट हैं।

हैचरी संचालकों और झींगा कृषकों के सुचारु प्रचालन के लिए, भारत सरकार ने वयस्क ब्रूडस्टॉक पालन के लिए 10 ग्राम तक एल. वेन्नामई के एसपीएफ बच्चों के आयात, अनुमति प्राप्त हैचरियों से नोपली की बिक्री, पर्याप्त सूखा काल के बाद एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में पालन को बदलने के लिए अनुमति प्रदान करते हुए मार्च 2012 में अधिसूचना के तहत सीएए नियम, 2005 में और आगे संशोधन किया है। इस अधिसूचना से अप्राधिकृत बीज उत्पादन से निपटने की निरीक्षण प्रक्रिया और सीएए के टीम निरीक्षण द्वारा अप्राधिकृत स्टॉक को नष्ट करने के जरिए एल. वेन्नामई पालन को भी सुदृढ़ किया गया।

दिनांक 16 फरवरी 2015 को अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें पेनीसस मोनोडान के लिए पंजीकृत फार्मों को शून्य जल बदलावों को अपनाते हुए निम्न स्टाकिंग सघनता के साथ एल. वेन्नामई कृषि करने की अनुमति प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए थे।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण एल. वेन्नामई पालन आरंभ करने के लिए हैचरियों एवं फार्मों को अनुमति प्रदान करने में इस उद्यम के सतत विकास के लिए संपूर्ण प्रचालन के निरीक्षण और मानिट्रिंग में सावधानीपूर्वक अनुपालन कर रहा है। बड़ी संख्या में छोड़ दिए गए झींगा फार्मों को पुनर्जीवित करने के मार्ग को प्रशस्त बनाने के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई को शुरू किया गया और इसके परिणामस्वरूप देश में झींगा के उत्पादन और निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

II. लक्ष्य तथा कार्य निष्पादन

1. वार्षिक लक्ष्य

- क्रियान्वयन के लिए निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण की प्रत्येक दो महीनों में कम से कम एक बैठक आयोजित करना।
- तटीय जल कृषि फार्मों का पंजीकरण तथा उनका नवीनीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसका न तो लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है और न ही परिणाम बताया जा सकता है। जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) और राज्य स्तरीय समितियों (एसएलसी) से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर वर्ष के दौरान अतिरिक्त 3,000 तटीय जलकृषि फार्मों को पंजीकृत किए जाने की संभावना।
- वर्ष 2014-15 के लिए लगभग 2,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को कवर करते हुए एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन का विस्तार जिसमें एक वर्ष में झींगा का लगभग 20,000 मीट्रिक टन प्रत्याशित अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा।
- तकनीकी समिति द्वारा आवश्यकता और मौजूदा ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं के निष्पादन की समीक्षा पर निर्भर करते हुए ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का चयन।
- ब्रूडस्टॉक के आयात और सीएए द्वारा अनुमोदित कृषकों को आपूर्ति करने के लिए एसपीएफ बीजों के उत्पादन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए पर्याप्त जैव सुरक्षा सुविधाएं रखने वाले भावी हैचरी मालिकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करना।
- तकनीकी समिति द्वारा एल. वेन्नामई कृषि के लिए ब्रूडस्टॉक की वार्षिक आवश्यकता हैचरी क्षमता और एल. वेन्नामई पालन के लिए पालन क्षेत्र की सीमा के आधार पर तैयार की जाएगी।
- उन कृषकों से प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों को प्रक्रम में लाना, जो पी. मोनोडान, एसपीएफ एल. वेन्नामई या किसी अन्य खाराजल प्रजाति को अपने फार्म में अपेक्षित सुविधा प्रणाली सृजित करते हुए पालन करना चाहते हैं और तत्पश्चात पंजीकरण तथा/या अनुमति प्रमाण-पत्र जारी करना।
- बीज उत्पादन और एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से आरंभ करना।
- इस प्रयोजन के लिए अन्य सुविधाओं के साथ-साथ जैव सुरक्षा अपेक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण दल द्वारा हैचरियों और फार्मों का निरीक्षण करना।
- निरीक्षण दल द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों पर मंजूरी प्रदान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनी नियमित बैठक में विचार करना।
- हैचरियों और फार्मों की निगरानी सावधिक रूप से करना और अनुमोदन की शर्तों का उल्लंघन करने पर उपयुक्त कार्रवाई करना।

- तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित जल गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए ईटीएस से निकलने वाले अपशिष्ट जल की गुणवत्ता नमूने प्राप्त करना एवं परीक्षण करना।
- पालकों को हैचरियों के पंजीकरण, एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन और क्रेब फार्मिंग तथा प्रतिबंधित दवाओं के मुद्दों और अन्य महत्वपूर्ण बातों के विषय में जागरूक बनाने के लिए जब कभी आवश्यक हो, तटवर्ती राज्यों में जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करना।
- सतत कृषि प्रक्रियाओं को दर्शाते हुए तटीय जलकृषि से संबंधित कार्यशालाओं और प्रदर्शिनियों में भाग लेना/ आयोजित करना।
- पणधारियों को वितरित करने के लिए जलकृषि की अच्छी प्रणाली पर ब्रॉशर/ हैंडआउट तैयार करना।

2. वास्तविक निष्पादन की संक्षिप्त समीक्षा

- अप्रैल 2014 और मार्च 2015 के बीच प्राधिकरण की छः बैठकें आयोजित की गई थीं। एसएलसी/डीएलसी से प्राप्त पंजीकरण के लिए सभी 1,258 आवेदन-पत्रों पर अनुमोदित करने के लिए विचार किया गया था। प्राधिकरण में 1,026 आवेदनों को अनुमोदित किया और शेष को संशोधन के लिए डीएलसी/एसएलसी को वापस भेज दिया गया।
- सीएए द्वारा सभी 1,026 फार्मों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया।
- वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने पंजीकरण के नवीकरण के लिए 904 आवेदनों पर विचार किया है और सभी 904 फार्मों को अनुमोदित कर दिया है। अनुमोदन के बाद सभी संबंधित मूल पंजीकृत प्रमाणपत्रों को अभ्यर्पित कर दिया गया।
- निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर 27 नई हैचरियों को निरीक्षण के बाद एसपीएफ एल. वेन्नामई के बीज उत्पादन के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई थी और 2013-14 के दौरान 31-03-2015 तक सीएए द्वारा चयनित 10 ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक आयात करने के लिए 117 हैचरियों को अनुमति प्रदान की गई थी।
- एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन के लिए किसानों से प्राप्त आवेदनों की जांच और निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर सीएए ने 621.64 हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) सहित 173 फार्मों को अनुमोदित किया गया है।
- कार्यक्रम के शुरू होने (जुलाई 2009) से एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों की संख्या में सतत वृद्धि हुई है। छः वर्षों (मार्च 2015) में, सीएए ने 13,928 मिलियन बीज उत्पादन क्षमता के साथ 183 हैचरियों का अनुमोदन किया है।
- वर्ष के दौरान अनुमोदित हैचरियों द्वारा बीज उत्पादन में वर्ष 2009-10 के दौरान 310.69 मिलियन से वर्ष 2014-15 के दौरान लगभग 13,442.05 मिलियन (अनुमानित) तक और पंजीकृत झींगा किसानों को आपूर्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2014-15 के दौरान सीएए द्वारा आयात के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई के ब्रूडस्टॉक के कुल 1,65,156 जोड़ों का अनुमोदन किया गया था। कुल 59,922.78 मिलियन नौपल्ली का उत्पादन हुआ था और कुल नौपल्ली से कुल पोस्ट लार्वा की जीवित औसत दर (13,442.05 मिलियन) अनुमानित 22.43% उत्पादित हुई थी।
- द्वितीयक जलकृषि करने के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई हेतु अनुमोदित फार्मों में प्रवाही उपचार प्रणाली (ईटीएस) में अपजल के उपयोग के व्यवहार्यता की जांच करने के लिए गठित समिति ने जून 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जिसे प्राधिकरण ने 27 जून 2014 को आयोजित

अपनी 47वीं बैठक में अनुमोदित कर दिया था। यह सलाह दी गई थी कि केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से वित्तीय सहायता के साथ सीआईबीए द्वितीयक जलकृषि पर पददर्शन कार्यक्रम का आयोजन कर सकता है और तदनुसार सीआईबीए से इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त परियोजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

- वर्ष के दौरान राज्य मात्स्यिकी विभाग के सहयोग से दिनांक 7-11-2014 को आंध्र प्रदेश के गंगापट्टनम ग्राम, इंदुरपेट मंडल, नेल्लौर जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें भागीदार जिले के लगभग 200 झींगा किसानों, हैचरी प्रचालकों और राज्य मात्स्यिकी अधिकारियों ने भाग लिया था।
- झींगा हैचरी प्रचालकों के समक्ष आए विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और वर्ष 2015-16 के लिए ब्रूडस्टॉक की आवश्यकताओं की कार्य योजना तैयार करने के लिए एक समीक्षा बैठक दिनांक 21 जनवरी 2015 को चेन्नै में आयोजित की गई थी जिसमें विभिन्न उपलब्ध सूचना और उत्पादक कार्य निष्पादन, परिसंघ, गैर-पंजीकृत हैचरियों, ब्रूडस्टॉक आबंटन और कार्य निष्पादन, चूककर्ता हैचरियों और रिकार्ड के रखरखाव आदि जैसे अन्य मुद्दों के आधार पर देश में एसपीएफ एल. बेन्नामई बीज उत्पादन की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से विचार किया गया था और समीक्षा की गई थी। लगभग 135 हैचरी प्रचालकों और संबद्ध पणधारकों ने बातचीत में हिस्सा लिया।
- तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक एसपीएफ एल. बेन्नामई ब्रूडस्टॉक के अतिरिक्त विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की सूची तैयार करने के लिए दिनांक 11-07-2014 को हुई थी। रुचि की अभिव्यक्ति के जरिए प्राप्त दो प्रस्तावों में से, एक को व्यक्तिगत प्रस्तुति और छानबीन के पश्चात् अनुमोदित किया गया था।
- तमिल नाडु मुख्यालय को मजबूत करने और फार्मों तथा हैचरियों तक आसान पहुंच के लिए देश में तटीय राज्यों के समग्र क्षेत्र को कवर करने के उद्देश्य से सीएए के क्षेत्रीय केन्द्र (3) स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव अक्टूबर 2014 के दौरान प्रस्तुत किया गया था। तदोपरान्त, सूरत/वाल्सार में एक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने की पूरी न्यायसंगतता के साथ एक विस्तृत प्रस्ताव मार्च 2015 के दौरान केन्द्र सरकार को भी प्रस्तुत किया गया था।
- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के जरिए सीएए वेबसाइट www.caa.gov.in में अपलोड किए गए डाटाबेस, चेन्नै को नई और नवीनतम सूचना से पाक्षिक तौर पर अपडेट किया जाता है। जल कृषि फार्मों के आनलाइन पंजीकरण की नई अवधारणा तेजी से प्रगति पर है जिसे अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने के पश्चात् प्रयोग किया जाएगा।

III. क. कार्यकलाप व उपलब्धियां

1. प्राधिकरण की बैठक और प्राधिकरण द्वारा समितियों का गठन

- चालू वर्ष अर्थात् अप्रैल 2014 - मार्च 2015 के दौरान सीएए में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अन्य बैठकें के अलावा छः नियमित बैठकें की। बैठकों व उनमें लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त व्यौरा सारणी-1 में दर्शाया गया है। पंजीकरण के लिए दिए गए आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करने के अलावा प्राधिकरण ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे सीएए के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अनुमति प्राप्त हैचरियों/फार्मों को कारण बताओ नोटिस का मुद्दा, बगैर अनुमोदन वाली हैचरियों के विरुद्ध कार्रवाई, हैचरियों के पंजीकरण की प्रक्रिया की समीक्षा और फार्मों और हैचरियों से निकलने वाले अपशिष्ट जल की निगरानी आदि पर विचार-विमर्श किया।



प्राधिकरण की बैठकें हो रही हैं

तालिका 1 : तटीय जलकृषि प्राधिकरण की बैठकें (अप्रैल 2014 से मार्च 2015)

बैठकें	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
छियालिसवीं बैठक	29 अप्रैल 2014, चेन्नै	313 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन प्रदान किया। 140 झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण को अनुमोदित किया गया। - एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए 19 झींगा फार्मों (डब्ल्यूएसए-63.88 हेक्टेयर) को अनुमति प्रदान की गई। - एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के आयात और बीज उत्पादन के लिए एक हैचरी (तमिल नाडु) को अनुमति प्रदान की गई। - संकल्प किया गया है कि तटीय जलकृषि के लिए सुविधाओं के निर्माण/ स्थापन केवल सीएए के पूर्व अनुमोदन से किया जाए। - हैचरियों के पुनः मूल्यांकन के लिए 5,000/- रूपए की तर्कसंगत शुल्क निश्चित करने का संकल्प लिया गया है। पुनर्मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए निरीक्षण दल में एक जलकृषि इंजीनियर को भी शामिल करने का संकल्प लिया गया था। - प्रमुख हैचरी में भागीदार हैचरियों के ब्रूडस्टॉक को रखने के लिए उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन करने के पश्चात हैचरियों के परिसंघ को सैद्धान्तिक तौर पर अनुमति देने की सहमति बनी थी, जहां परिपक्वता, अदला-बदली और नौपल्ली उत्पादन किया जाएगा। भागीदार हैचरियां प्रमुख हैचरियों से अपनी नौपल्ली प्राप्त करेंगी और इसके बाद अपने निजी उपयोग अथवा सीएए अनुमोदित फार्मों को बिक्री के लिए पोस्ट लार्वा प्राप्त करेंगी। प्रति परिसंघ 5,000/- रूपए पंजीकरण शुल्क लगाने का भी संकल्प किया गया था। - आवेदन-पत्र आनलाइन प्रस्तुत करने का संकल्प किया गया था और आनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित अग्रिम सहायता के लिए एनआईसी से परामर्श लेने का संकल्प भी किया गया था। - एसपीएफ एल. वेन्नामई कृषि करने के लिए पी. मोनोडान कृषि, मौजूदा झींगा फार्मों को अनुमति प्रदान करने के लिए विशिष्ट तौर-तरीकों का निर्माण करने के लिए सीएए अध्यक्ष के रूप में सदस्य सचिव और सीआईबीए, डीएच डीएंडएफ तथा एसएपी के प्रतिनिधियों से एक तकनीकी समिति गठित करने का संकल्प किया गया था ताकि प्रतिबंधित स्टार्किंग सघनता, तालाबों से विकसित झींगों को निकालने, अकेला जाल लगाने की कृषि प्रक्रियाओं के प्रतिबंधन को सुनिश्चित किया जा सके और अच्छी जलकृषि तथा ऐसे फार्मों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन व्यवहारों की सलाह दी जा सके। - सीएए के स्थायी स्टाफ के लिए पेंशन हेतु बैंक खाता खोलने को कारोत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। - वर्तमान सदस्य सचिव डॉ. आर. पालराज के बेहतरीन कार्य निष्पादन को प्राधिकरण ने रिकार्ड में रखा।

बैठकें	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
सैतालिसवीं बैठक	27 जून 2014, चेन्नै	4 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन प्रदान किया गया। 24 झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण को अनुमोदित किया गया। - एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के आयात और बीज उत्पादन के लिए 10 हैचरियों को अनुमोदन प्रदान किया गया। - एसपीएफ एल. वेन्नामई कृषि के लिए 18 झींगा फार्मों (डब्ल्यूएसए-145.45 हेक्टेयर) को मंजूरी प्रदान की गई। - इस उद्देश्य के लिए स्थापित तकनीकी समिति द्वारा यथा संस्तुत सुरक्षा उपाय/ शर्तों का कठोरता से पालन करते हुए द्वितीयक जल कृषि करने के लिए एल. वेन्नामई फार्मों को अनुमति देने का संकल्प लिया गया। - वर्ष 2013-14 के लिए सीएए के वार्षिक खातों को अनुमोदित किया गया। - एसपीएफ एल. वेन्नामई दिशा-निर्देशों के भाग II पैरा-6 में दिशा-निर्देशों को 'अधिहरण निपटान और/ अथवा जैसा उचित समझा जाए स्टॉक को समाप्त करना' के रूप में संशोधित करने और इसे प्रभावी करने के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने का संकल्प लिया गया। - भारत सरकार के नियमों के अनुसार गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क प्रदान करने का संकल्प लिया गया।
अड़तालीसवीं बैठक	26 अगस्त 2014, चेन्नै	33 झींगा फार्मों के पंजीकरण का अनुमोदित किया गया। 32 झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण को अनुमोदित किया गया। - एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक का आयात करने और बीज उत्पादन करने के लिए छः हैचरियों को अनुमति प्रदान की गई। - एसपीएफ एल. वेन्नामई कृषि के लिए 30 झींगा फार्मों (डब्ल्यूएसए-186.98 हेक्टेयर) को अनुमति प्रदान की गई। - तकनीकी मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर बीज उत्पादन के लिए सीएए द्वारा अनुमोदित भारतीय हैचरियों को एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं की सूची में मैसर्स पी. टी. बिबिट उंगुल (ग्लोबल जनरल), इंडोनेशिया को शामिल करने का संकल्प लिया गया। - गुजरात, कोलकाता और आंध्र प्रदेश में भीमावरम, काकीनाड़ा में उपयुक्त स्थानों पर क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने के लिए कृषि मंत्रालय को संशोधित प्रस्ताव भेजने का संकल्प लिया गया। - फार्मों के पंजीकरण के लिए दो प्रस्ताव अनुमोदित किए गए जिसमें से एक निदेशक, मात्स्यिकी, गोवा और दूसरा तटीय जलकृषि विभाग, एफसीआरआई, तमिल नाडु मात्स्यिकी विश्वविद्यालय, थुटुकुंडी, तमिल नाडु द्वारा प्रस्तुत किया गया था और सरकारी अनुसंधान संस्थान के लिए दिशा-निर्देशों के तहत सहायक निदेशक, मात्स्यिकी, तंजावुर जिला, तमिल नाडु द्वारा प्रस्तुत फार्म के पंजीकरण का नवीकरण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

बैठकें	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
अड़तालीसवीं बैठक	26 अगस्त 2014, चेन्नै	- एल. वेन्नामई कृषि करने के लिए पी. मोनोडोन कृषि मौजूदा झींगा फार्मों को अनुमति प्रदान करने के लिए तकनीकी समिति द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों को अनुमोदित किया गया ताकि कृषि मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अधिसूचना जारी करवाई जा सके। - दो हैचरियों (आंध्र प्रदेश) को बंद करने के आदेश के मुद्दे का संकल्प लिया गया जो एल. वेन्नामई के अप्राधिकृत बीज उत्पादन में संलिप्त थीं और संबंधित राज्य के मुख्य सचिवों के साथ मामले को उठाया गया।
उनचालीसवीं बैठक	17 अक्तूबर 2014, चेन्नै	95 झींगा फार्मों के पंजीकरण का अनुमोदित किया गया। 226 झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण को अनुमोदित किया गया। - एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के आयात और बीज उत्पादन के लिए 3 हैचरियों को अनुमति प्रदान की गई। - एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन के लिए 10 झींगा फार्मों (डब्ल्यूएसए-31.63 हेक्टेयर) को अनुमति प्रदान की गई। - वर्ष 2013-14 के लिए सीएए की वार्षिक रिपोर्ट अनुमोदित की गई। - संबंधित राज्य सरकारों से यह अनुरोध करने के लिए लिखने का संकल्प लिया गया कि वे स्थानीय निकायों को निर्देश दें कि वे सीएए के अनुमोदन के बिना हैचरियों के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान न करें और आंध्र प्रदेश सरकार को राज्य विभाग/स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदान किए गए अनुमोदन सहित सभी अपेक्षित ब्यौरे के साथ पूरी रिपोर्ट सीएए को प्रस्तुत करने के लिए एक पत्र भेजने का संकल्प भी लिया गया। - यह बताते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी करने का संकल्प लिया गया कि सीएए अनुमोदित हैचरियों की सूची सीएए की वेबसाइट पर उपलब्ध है (वेबसाइट का पता www.caa.gov.in तेलगू में भी दिया जाए) और एल. वेन्नामई के बीच और बीज का उत्पादन/बिक्री की अनुमति अन्य हैचरियों को नहीं दी गई है।
पचासवीं बैठक	19 दिसंबर 2014, चेन्नै	230 झींगा फार्मों का पंजीकरण अनुमोदित किया गया। 98 झींगा फार्मों का नवीकरणीय पंजीकरण अनुमोदित किया गया। - एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के आयात और बीज उत्पादन के लिए 4 हैचरियों को अनुमति प्रदान की गई। - एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए 57 फार्मों (डब्ल्यूएसए-139.89 हेक्टेयर) को अनुमति प्रदान की गई। - केरल मात्स्यिकीय और समुद्री अध्ययन विश्वविद्यालय (केयूएफओएस), पाननघाट, कोच्चि, केरल को सरकारी अनुसंधान संस्थान के लिए दिशा-निर्देशों के तहत इसके फार्म का पंजीकरण के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। 6 हैचरियों (आंध्र प्रदेश) के लिए बंदी आदेश जारी करने का संकल्प किया गया जो एल. वेन्नामई के अप्राधिकृत बीज उत्पादन में लिप्त थे और हैचरियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों के साथ मामले को उठाया भी गया।

बैठकें	तारीख और स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
पचासवीं बैठक	19 दिसंबर 2014, चेन्नै	- ईटीएस में अक्जल का शोधन किए बिना हैचरियों से सीधे खुले समुद्र में छोड़ने के कारण, जो एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों में जैव सुरक्षा की आवश्यकता का उल्लंघन है, विल्लूपुरम जिला, तमिल नाडु में पंजीकृत एक एल. वेन्नामई हैचरी के लिए 1,00,000/- रूपए के अर्थदण्ड लगाने का संकल्प किया गया। - वर्ष 2014-15 लेखा परीक्षा में की गई टिप्पणियों का उत्तर अनुमोदित किया गया। - एल. वेन्नामई पालन करने के लिए जिला नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में गैर-पंजीकृत 9 फार्मों को चेतावनी नोटिस जारी करने का संकल्प लिया गया और पत्र की प्रति जिला कलेक्टर, नेल्लौर को भी भेजी गई। - दिशा-निर्देशों/ नियमों को संशोधित करने, जिसमें आनलाइन के जरिए पंजीकरण के लिए आवेदन फार्मों का सामान्यीकरण करना शामिल है, की आवश्यकता के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए सदस्य सचिव, सीएए की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का संकल्प लिया गया।
इक्यावनवीं बैठक	27 फरवरी 2015, चेन्नै	348 झींगा फार्मों के पंजीकरण का अनुमोदित किया गया। 381 झींगा फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण को अनुमोदित किया गया। - एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के आयात और बीज उत्पादन के लिए 3 हैचरियों को अनुमति प्रदान की गई। - एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन के लिए 39 झींगा फार्मों (डब्ल्यूएसए-53.84 हेक्टेयर) को अनुमति प्रदान की गई। - वार्षिक आवश्यकता और वर्ष/ अगले वर्ष के भाग में शेष अवधि के औसत के अनुसार मामला दर मामला आधार पर वर्ष के लिए आबंटित ब्रूडस्टॉक का 100% आयात करने वाली हैचरियों को अतिरिक्त ब्रूडस्टॉक आवश्यकता, यदि कोई हो, की अनुमति प्रदान करने का संकल्प लिया गया। - राज्य सरकार के साथ परामर्श करके आंध्र प्रदेश में एक जलीय संगरोधन सुविधा स्थापित करने के लिए नोडल मंत्रालय को सिफारिश भेजने का संकल्प लिया गया। - यह संकल्प लिया गया कि नौपल्ली पालन केन्द्रों को स्थापित करने के सुझाव का बुद्धिजीवियों के सत्र के जरिए विस्तृत अध्ययन किया जाए। - एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति के लिए नए ईओआई मंगाने का संकल्प लिया गया। - एल. वेन्नामई के अप्राधिकृत बीज उत्पादन में संलिप्त 4 हैचरियों (आंध्र प्रदेश) को बंद करने के आदेश के मुद्दे और इस मामले को हैचरियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों के साथ उठाने का संकल्प लिया गया। - पशुपालन पैथोलाजी, मद्रास पशुपालन कालेज, चेन्नै से 'झींगा में विविरियो पैराहेमोलाइटिकस उन्फैक्शन की पैथोलाजी' पर अनुसंधान करने के लिए संस्थान के उनके एक विद्यार्थी को अनुमति प्रदान करने के लिए प्राप्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

2. समिति की अन्य बैठकें

- (i) मई 2014 के दौरान सीआईबीए, डीएचडीएंडएफ और एसएपी से प्रतिनिधियों सहित सदस्य सचिव, सीएए की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति की दिनांक 25 जुलाई 2014 को बैठक हुई थी जिसमें एसपीएफ एल. वेन्नामई करने के लिए पी. मोनोडान कृषि मौजूदा झींगा फार्मों को अनुमति प्रदान करने के लिए विशिष्ट तौर तरीकों को तैयार करने और विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था और समिति द्वारा तैयार की गई शर्तों को मंत्रालय को भेजा गया था।
- (ii) सदस्य सचिव, सीएए की अध्यक्षता में मई 2014 में स्थापित विशेषज्ञ समूह की तटीय जलकृषि के लिए स्थल चयन, निष्कासन/निर्माण और अपेक्षित इस प्रकार की सुविधाओं के संस्थापन के लिए शर्तों पर सुझाव के लिए दो बैठक दिनांक 02-05-2014 और 05-12-2014 को हुई थी। विचार-विमर्श के आधार पर तैयार किए गए मूल दस्तावेजों को समिति के सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। दस्तावेज को दूसरी बैठक के दौरान और संशोधित किया गया था तथा नई हैचरियों को स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश बनाए गए थे और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित अतिरिक्त खदानों के लिए इसे पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधि को भेजा गया था।
- (iii) झींगा हैचरी प्रचालकों के समक्ष उपस्थित हुए विभिन्न मामलों पर विचार करने और वर्ष 2015-16 के लिए ब्रूडस्टाक की आवश्यकताओं की रूप रेखा तैयार करने के लिए अध्यक्ष, सीएए की अध्यक्षता में दिनांक 21 जनवरी 2015 को चेन्ने में एक समीक्षा बैठक हुई थी। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों से लगभग 150 व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया। न्यायमूर्ति के. रविराज पांडियन, माननीय अध्यक्ष, सीएए ने अपने उद्घाटन भाषण में इस क्षेत्र की सतत विकास की आवश्यकता को विनिर्दिष्ट किया और हैचरी मालिकों/प्रचालकों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने का आह्वान किया।



अध्यक्ष और सदस्य सचिव, सीएए के अतिथि अध्यक्ष



सीएए के साथ बैठक का उद्घाटन कर रहे हैं

सदस्य सचिव ने एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों की समीक्षा और उपलब्ध सूचना के आधार पर बीज उत्पादन के कार्य निष्पादन को प्रस्तुत किया। समीक्षा में पुर्नउत्पादन निष्पादन, परिसंघीय अनुमोदन, गैर-पंजीकृत हैचरियों की स्थिति, भावी ब्रूडस्टाक आबंटन आदि शामिल था।



सदस्य सचिव, सीएए समीक्षा प्रस्तुत करते हुए



दर्शकों का समूह



प्रस्तुतीकरण के दौरान पणधारक



विचार-विमर्श के अंत में यह सिफारिश की गई थी कि:

- वर्तमान स्तर पर ब्रूडस्टाक का आबंटन वर्ष 2010 के दौरान क्षमता उत्पादन के अनुसार पर्याप्त आबंटन माना गया है जिसमें वर्ष 2014-15 के दौरान 50% तक की वृद्धि हुई थी और हैचरियों पर बीज उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि के लिए ब्रूडस्टाक के निष्पादन में सुधार करने पर विचार किया जाना चाहिए।



बैठक के दौरान निरीक्षण

- एलओपी में शर्तों को शामिल करने के प्राधिकरण के इस निर्णय के कि आयातित ब्रूडस्टाक को आयात की तारीख से छः माह के बाद नष्ट कर देना चाहिए के बारे में सूचित कर दिया गया था। गैर एसपीएफ ब्रूडस्टाक के उपयोग अथवा एसपीएफ के मिश्रण और नौपल्ली उत्पादन के लिए गैर एसपीएफ ब्रूडस्टाकों और अल्प जैव सुरक्षा वाली गैर पंजीकृत बैकयार्ड हैचरियों को नौपल्ली की बिक्री के परिणाम का विश्लेषण किया गया था ताकि ऐसी प्रथाओं को रोका जा सके।

- ब्रूडस्टाक और बीज की आवश्यकताओं के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि बाजार शक्तियों को हैचरियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए और ब्रूडस्टाक के आयात और परिपक्व प्रणाली के बिना अतिरिक्त बीज उत्पादन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नौपल्ली पालन केन्द्रों को स्थापित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश और बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस प्रणाली में किसी वयस्क ब्रूडस्टाक पाए जाने पर हैचरी को बंद किया जाए।



बैठक में पणधारकों के साथ बातचीत

- यह सलाह दी गई थी कि और अधिक विदेशी ब्रूडस्टाक आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाए क्योंकि वर्तमान में 90% ब्रूडस्टाक का आयात केवल एक स्रोत से किया जाता है और उसमें ब्रूडस्टाक की कोई आनुवंशिक सूचना नहीं होती। यह सिफारिश की गई थी कि जो हैचरियों ने उनको आबंटित ब्रूडस्टाक के समग्र कोटा का आयात कर लिया है वे इस वर्ष के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई हो, के लिए उपयुक्त कार्यकारी तौर-तरीकों द्वारा प्राधिकरण के विचारार्थ आवेदन कर सकती हैं। रिकार्ड अनुरक्षण, प्रगति रिपोर्टों के लिए प्रोफार्मा के सरलीकरण पर भी विचार-विमर्श किया गया था।
- समीक्षा बैठक में शामिल सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्राधिकरण की 51वीं बैठक में विस्तार से चर्चा की गई थी।
- (iv) तटीय जलकृषि नियम, 2005 और इसके तहत जारी किए गए दिशा-निर्देशों में संशोधन के लिए उपयुक्त सिफारिशें सुझाने हेतु प्राधिकरण की 50वीं बैठक के निर्णय के अनुसार गठित समिति की दिनांक 20-02-2015 को सीआईबीए, चेन्नै में बैठक हुई थी। इसमें उन मुद्दों को नोट करने का निर्णय लिया गया था जिसमें संशोधन की आवश्यकता और इसके साथ-साथ इस पर अत्यधिक केन्द्रित विचार-विमर्श के लिए और अनुवर्ती बैठकों के लिए आगे बढ़ाने हेतु इसकी तर्कसंगतता के बारे में सदस्यों को सूचित करना।

3. झींगा फार्मों का पंजीकरण

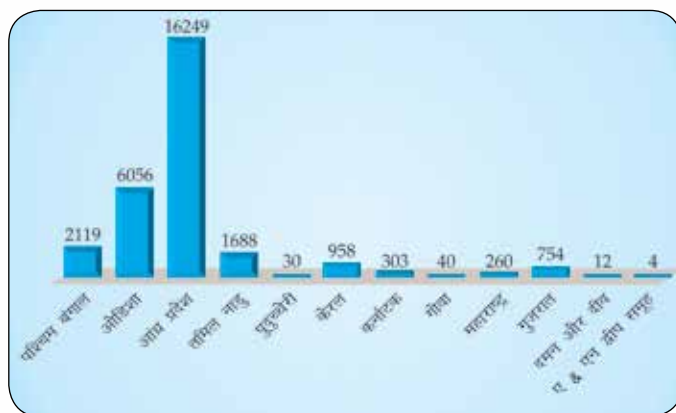
राज्य और जिला स्तरीय समितियों, जिन्हें इसी कार्य के लिए गठित किया गया है, उनकी सिफारिशों पर झींगा फार्मों का पंजीकरण कार्य सीएए द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य है।

- प्राधिकरण ने हर दो महीने में एक बार नियमित रूप हुई अपनी बैठक में झींगा फार्मों के पंजीकरण के लिए जिला स्तरीय समितियों और राज्य स्तरीय समितियों द्वारा संस्तुत किए गए आवेदनों पर विचार किया और मार्च 2015 तक (सीएए के आरंभ होने से) में झींगा किसानों को 28,473 पंजीकरण प्रमाण-पत्र अनुमोदित किए गए तथा जारी किए।
- सभी 12 समुद्रतटीय राज्यों में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण तालिका 2 में दिया गया है और प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत राज्यवार और क्षेत्रवार फार्मों को दर्शाने वाला चार्ट भी चित्र 1 और चित्र 2 में दिया गया है।

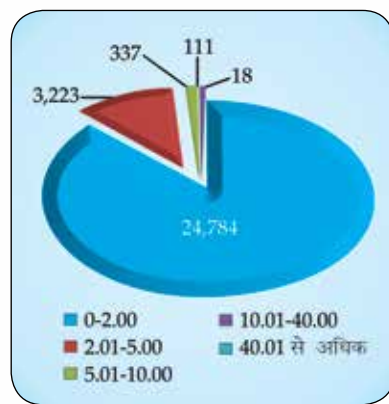
- पंजीकृत फार्मों के ब्यौरे प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अन्य प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं और इस वेबसाइट को आवधिक रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

तालिका 2:1 से 51 वीं बैठक तक (दिसंबर 2005 - मार्च 2015) सीएए द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्यों के नाम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर) के तहत फार्मों की संख्या						फार्म का क्षेत्रफल	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.01 से अधिक	योग	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)
1	पश्चिम बंगाल	1,948	165	6	0	0	2,119	2,345	1,575
2	ओडिशा	5,592	422	29	13	0	6,056	7,892	5,040
3	आंध्र प्रदेश	15,021	1,047	120	52	9	16,249	23,553	16,670
4	तमिल नाडु	907	630	131	19	1	1,688	4,977	3,438
5	पुदुच्चेरी	29	1	0	0	0	30	55	41
6	केरल	774	165	15	4	0	958	1,818	1,230
7	कर्नाटक	258	41	2	2	0	303	408	315
8	गोवा	21	15	2	2	0	40	136	96
9	महाराष्ट्र	91	121	24	18	6	260	2,053	1,289
10	गुजरात	140	603	8	1	2	754	3,436	2,451
11	दमन और दीव	0	12	0	0	0	12	60	38
12	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	1	0	0	0	4	22	5
	योग	24,784	3,223	337	111	18	28,473	46,755	32,188



चित्र 1 दिसंबर 2005 से मार्च 2015 तक सभी तटीय राज्यों में पंजीकृत फार्मों की संख्या (राज्य-वार) प्राधिकरण की जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र



चित्र 2 दिसंबर 2005 से मार्च 2015 तक सभी तटीय राज्यों में पंजीकृत फार्मों की संख्या (क्षेत्र-वार)

- वर्ष के दौरान (अप्रैल 2014 से मार्च 2015) प्राधिकरण ने 1,026 आवेदनों पर विचार किया और अनुमोदन किया (मात्स्यिकी निदेशक, गोवा, एफसीआरआई, तमिल नाडु मात्स्यिकी विश्वविद्यालय, तुटुकुडी, तमिल नाडु और केयूएफओएस, कोच्चि, केरल)। पंजीकरण प्रमाण-पत्र किसानों को

सीधे जारी किए गए थे और सुपुर्द न किए जाने के कारण वापस लौटे प्रमाण-पत्रों को राज्यों के एसएलसी के सदस्य संयोजकों को भेज दिया गया था, जैसा कि प्राधिकरण की 27वीं बैठक में संकल्प किया गया था।

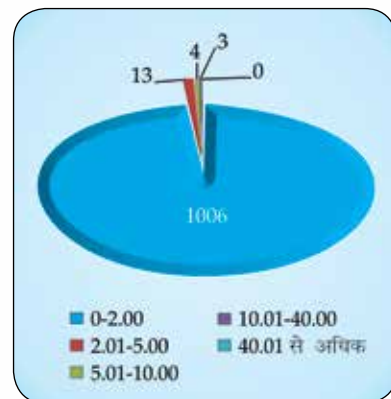
- सभी 12 तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में अप्रैल 2014 से मार्च 2015 के दौरान प्राधिकरण में पंजीकृत फार्मों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण तालिका 3 में दिया गया है। प्राधिकरण के पास पंजीकृत फार्मों (राज्यवार और क्षेत्रवार) के ब्यौरे को दर्शाने वाली सारिणी चित्र 3 और 4 में दी गई है।

तालिका 3 : चालू वर्ष के दौरान सीएए द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों के ब्यौरे (अप्रैल 2014 - मार्च, 2015)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर) के तहत फार्मों की संख्या						फार्म का क्षेत्रफल	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.01 से अधिक	योग	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)
1	पश्चिम बंगाल	68	0	0	0	0	68	72	50
2	ओडिशा	564	3	2	3	0	572	812	497
3	आंध्र प्रदेश	267	0	0	0	0	267	301	215
4	तमिल नाडु	8	0	0	0	0	8	14	10
5	पुदुच्चेरी	24	0	0	0	0	24	33	25
6	केरल	73	0	0	0	0	73	89	64
7	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गोवा	2	1	1	0	0	4	19	11
9	महाराष्ट्र	0	9	1	0	0	10	57	38
10	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0
11	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
12	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	1,006	13	4	3	0	1,026	1,397	910

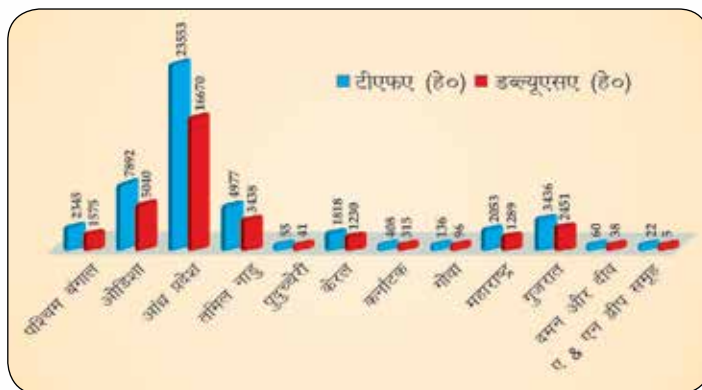


चित्र 3 वर्ष 2014-15 सभी तटीय राज्यों में पंजीकृत फार्मों की संख्या (राज्य-वार)



चित्र 4 वर्ष 2014-15 सभी तटीय राज्यों में पंजीकृत फार्मों की संख्या (क्षेत्र-वार)

- मार्च 2015 तक पंजीकृत फार्मों (28,473) का कुल क्षेत्रफल 46,755 हेक्टेयर था और जल प्रभावित क्षेत्र 32,188 हेक्टेयर था और चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों (1,026) का कुल क्षेत्रफल और जल प्रभावित क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) क्रमशः 1,397 हेक्टेयर और 910 हेक्टेयर था जैसा तालिका 2 और 3 में प्रस्तुत किया गया है और चित्र 5 और 6 में दर्शाया गया है।



चित्र 5 दिसंबर 2005 से मार्च 2015 तक पंजीकृत फार्मों (राज्य-वार) का कुल क्षेत्रफल और डब्ल्यूएसए कुल फार्म क्षेत्रफल (हेक्टेयर)



चित्र 6 वर्ष 2014-15 के दौरान पंजीकृत फार्मों (राज्य-वार) का कुल क्षेत्रफल और डब्ल्यूएसए

4. झींगा फार्मों के पंजीकरण का नवीनीकरण (राज्यवार ब्यौरे)

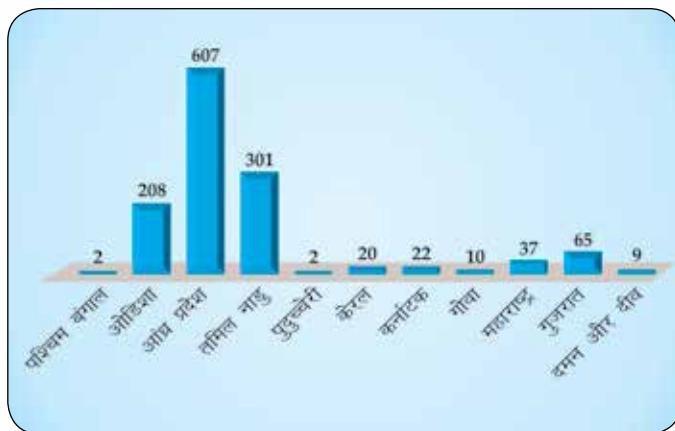
प्राधिकरण द्वारा तटीय एक्वाफार्मों के पंजीकरण के अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के बाद पंजीकरण का नवीकरण अनिवार्य है। सितंबर 2012 के दौरान शुरू हुई 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद पंजीकरणों का नवीकरण शुरू किया गया था और 2014-15 तक 2,860.81 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल (डब्ल्यूएसए-2,111.66 हेक्टेयर) सहित 1,283 फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण को अनुमोदित किया गया।

- वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने 1,823.59 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल (डब्ल्यूएसए 1,358.12 हेक्टेयर) सहित 902 फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण के आवेदनों पर विचार किया और सभी 902 फार्मों को अनुमोदित कर दिया। प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद फार्मों के मूल पंजीकरण प्रमाण-पत्रों में आवश्यक पृष्ठांकन किए गए थे।
- सभी 12 तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में मार्च 2015 तक प्राधिकरण में नवीकृत किए गए फार्मों के पंजीकरण की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण तालिका 4 में दिया गया है और अवधि के दौरान पंजीकरण के नवीकरण के ब्यौरे राज्य-वार और क्षेत्रवार चित्र 7 और 8 में

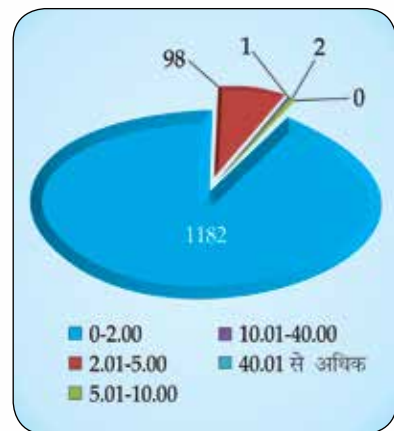
दर्शाया गया है। चालू वर्ष (अप्रैल 2014 से मार्च 2015) के दौरान नवीकृत फार्मों के राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरे तालिका 5 में दर्शाए गए हैं। वर्ष के पंजीकरण के नवीकरण के राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरे चित्र 9 और 10 में दिए गए हैं।

तालिका 4: सितम्बर 2012 - मार्च 2015 के दौरान सीएए द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्यों के नाम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर) के तहत फार्मों की संख्या						फार्म का क्षेत्रफल	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.01 से अधिक	योग	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)
1	पश्चिम बंगाल	2	0	0	0	0	2	0.63	0.18
2	ओडिशा	206	2	0	0	0	208	294.99	190.86
3	आंध्र प्रदेश	605	2	0	0	0	607	1,153.40	889.29
4	तमिल नाडु	289	12	0	0	0	301	759.86	565.90
5	पुदुच्चेरी	2	0	0	0	0	2	4.30	2.81
6	केरल	20	0	0	0	0	20	29.16	22.38
7	कर्नाटक	16	6	0	0	0	22	43.67	35.74
8	गोवा	10	0	0	0	0	10	22.26	15.64
9	महाराष्ट्र	28	7	2	0	0	37	106.79	78.26
10	गुजरात	4	60	0	0	1	65	400.75	281.80
11	दमन और दीव	0	9	0	0	0	9	45.00	28.80
12	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	1,182	98	2	0	1	1,283	2,860.81	2,111.66



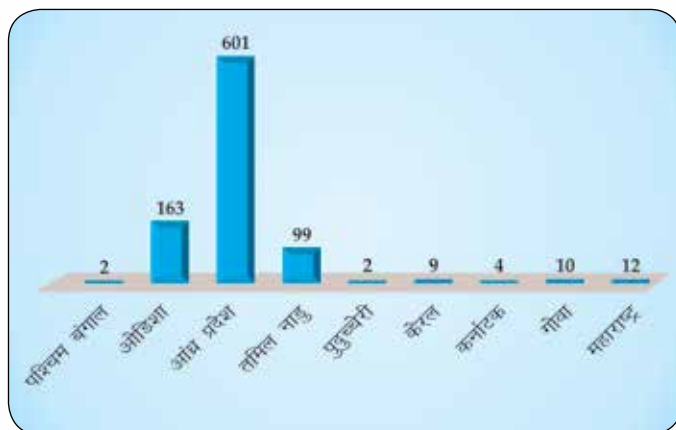
तालिका 7 सितम्बर 2012 से मार्च 2015 के दौरान सभी तटीय राज्यों में फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण प्रमाणपत्रों की संख्या (राज्यवार)



चित्र 8 वर्ष 2014-2015 के दौरान सभी तटीय राज्यों में फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण संख्या (क्षेत्रवार)

तालिका 5 : अप्रैल 2014 से मार्च 2015 के दौरान सीएए द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्यों के नाम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर) के तहत फार्मों की संख्या						फार्म का क्षेत्रफल	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.01 से अधिक	योग	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)
1	पश्चिम बंगाल	2	0	0	0	0	2	0.63	0.18
2	ओडिशा	163	0	0	0	0	163	197.96	125.22
3	आंध्र प्रदेश	599	2	0	0	0	601	1,136.78	878.44
4	तमिल नाडु	99	0	0	0	0	99	375.16	271.98
5	पुदुच्चेरी	2	0	0	0	0	2	4.30	2.81
6	केरल	9	0	0	0	0	9	14.04	10.66
7	कर्नाटक	3	1	0	0	0	4	8.64	7.31
8	गोवा	10	0	0	0	0	10	22.26	15.64
9	महाराष्ट्र	3	7	2	0	0	12	63.82	45.88
10	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0
11	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
12	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	890	10	2	0	0	902	1,823.59	1,358.12



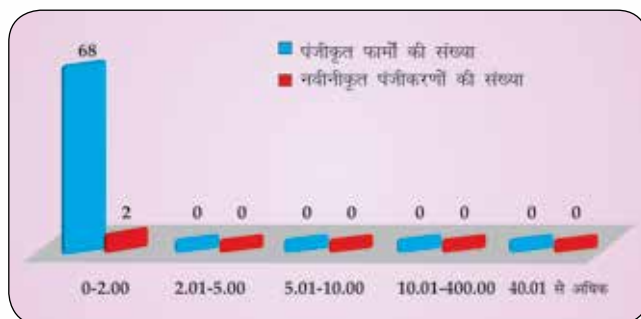
चित्र 9 वर्ष 2014-15 के दौरान सभी तटीय राज्यों में फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण की संख्या (राज्यवार)



चित्र 10 वर्ष 2013-14 के दौरान सभी तटीय राज्यों में फार्मों के पंजीकरण के नवीकरण की संख्या (क्षेत्रवार)

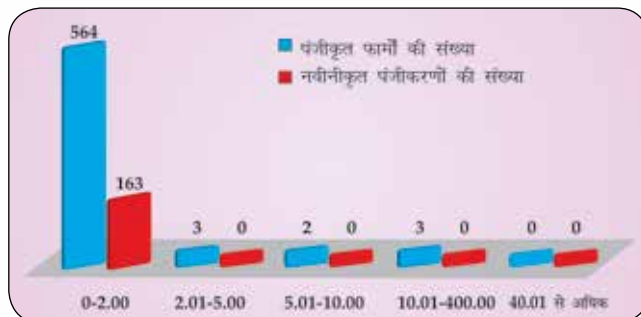
- वर्ष के दौरान 12 तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में से 9 राज्यों (पश्चिम बंगाल, ओडीशा, आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु, पुदुचेरी, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र) में प्राधिकरण द्वारा झींगा फार्मों का पंजीकरण और पंजीकरण का नवीकरण दोनों कार्य अनुमोदित किए गए और उनके क्षेत्र-वार ब्यौरे चित्र 11 से 19 में दिए गए हैं।

पश्चिम बंगाल



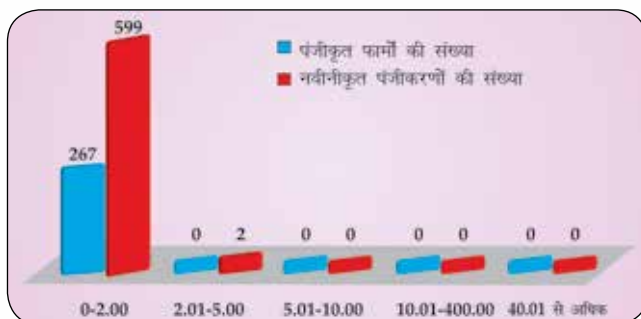
क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीनीकृत पंजीकरणों की संख्या
0 - 2.00	68	2
2.01-5.00	0	0
5.01-10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
40.01 से अधिक	0	0

ओडीशा



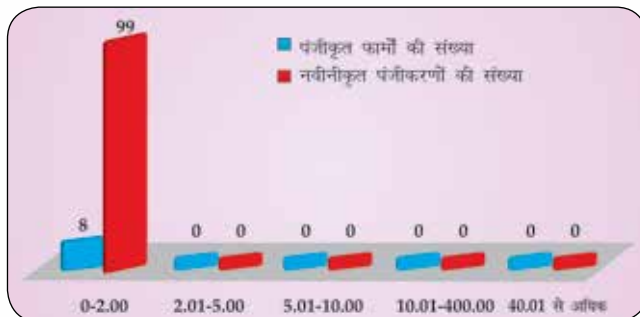
क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीनीकृत पंजीकरणों की संख्या
0 - 2.00	564	163
2.01-5.00	3	0
5.01-10.00	2	0
10.01- 40.00	3	0
40.01 से अधिक	0	0

आंध्र प्रदेश



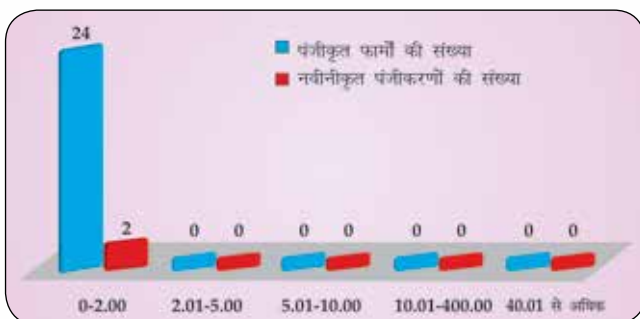
क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीनीकृत पंजीकरणों की संख्या
0 - 2.00	267	599
2.01-5.00	0	2
5.01-10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
40.01 से अधिक	0	0

तमिल नाडु



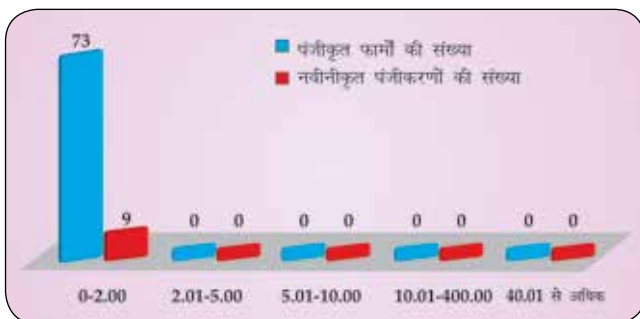
क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीनीकृत पंजीकरणों की संख्या
0 - 2.00	8	99
2.01-5.00	0	0
5.0-10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
40.01 से अधिक	0	0

पुदुचेरी



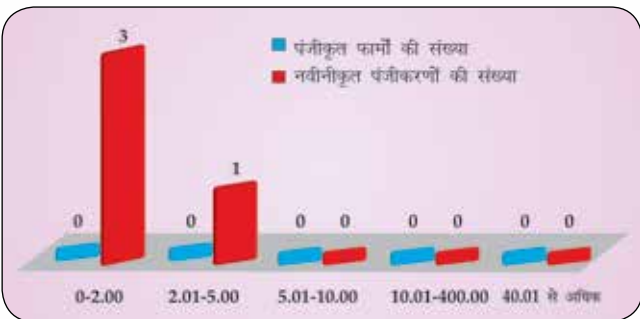
क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीनीकृत पंजीकरणों की संख्या
0 - 2.00	24	2
2.01-5.00	0	0
5.0-10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
40.01 से अधिक	0	0

केरल



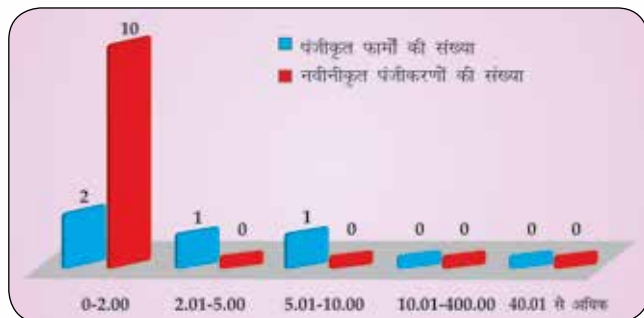
क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीनीकृत पंजीकरणों की संख्या
0 - 2.00	73	9
2.01-5.00	0	0
5.0-10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
40.01 से अधिक	0	0

कर्नाटक



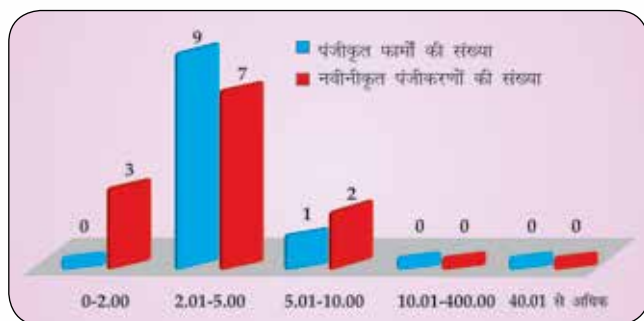
क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीनीकृत पंजीकरणों की संख्या
0 - 2.00	0	3
2.01-5.00	0	1
5.0-10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
40.01 से अधिक	0	0

गोवा



क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीनीकृत पंजीकरणों की संख्या
0 - 2.00	2	10
2.01-5.00	1	0
5.01-10.00	1	0
10.01- 40.00	0	0
40.01 से अधिक	0	0

महाराष्ट्र



क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष के दौरान पंजीकृत फार्मों की संख्या	नवीनीकृत पंजीकरणों की संख्या
0 - 2.00	0	3
2.01-5.00	9	7
5.01-10.00	1	2
10.01- 40.00	0	0
40.01 से अधिक	0	0

5. सीएए द्वारा जलकृषि फार्मों के पंजीकरण/ नवीकरण को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास

- पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभिन्न तटीय राज्यों के जिला कलेक्टर, मत्स्यपालन सचिवों को पत्र भेजे गए थे।
- तटीय जलकृषि फार्मों को सीएए में पंजीकृत कराने/ नवीकृत कराने की आवश्यकता के संबंध में समाचार-पत्रों, सीएए वेबसाइट और एसएलसी/ डीएलसी के जरिए सार्वजनिक सूचना के द्वारा किसानों को सलाह दी गई है और पंजीकरण नहीं करने पर इसके परिणाम का सामना करना होगा।
- झींगों (पी. मोनोडान, एसपीएफ एल. वेन्नामई), पंख वाली मछलियों और केकड़ों का पालन करने के लिए अक्वाफार्मों के पंजीकरण/ नवीकरण के संबंध में किसानों को जागरूक बनाने के लिए अधिकांश तटीय राज्यों में नियमित अंतराल पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उनके क्षेत्र दौरों के दौरान सीएए निगरानी दल के द्वारा किसानों को संवेदनशील भी बनाया जाता है।
- कार्यशालाएं आयोजित करना और सीएए में तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण/ नवीकरण के महत्व को बताने वाली तटीय जलकृषि से जुड़ी प्रदर्शनियों में भागीदारी करना। तटीय जलकृषि करने के लिए फार्मों के पंजीकरण की जरूरत पर जोर देते हुए जलकृषकों और संबद्ध पणधारकों को स्थानीय भाषाओं में तैयार किए गए ब्रोशर्स और हैंडआउट्स का वितरण। किसानों का महत्व सीएए में फार्मों का पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में दंड/ जुर्माने के प्रावधान की ओर भी आकर्षित किया जाता है।

- निरीक्षण दल द्वारा बगैर अनुमोदन वाले फार्मों से स्टॉक को नष्ट करना/ निबटान करना।
- किसानों/पणधारकों द्वारा सीएए की अधिसूचित संविधियों, नियमों, दिशानिर्देशों और विनियमनों का अनुपालन सुसाध्य बनाने के लिए वर्ष 2014 में सीएए द्वारा सीएए अधिनियम, नियम, दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं के द्विभाषी रूप (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित संग्रह को सुलभ संदर्भ के लिए मार्च 2014 तक अद्यतन बनाया गया था और तब से नियमों और दिशा-निर्देशों में अनेक संशोधन किए गए हैं और साथ ही अनेक नई सूचनाएं जारी की गई थीं। संग्रह का अद्यतित संस्करण किसानों/ पणधारकों द्वारा उपयोग के लिए सीएए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

III. ख. एसपीएफ लिटोपेनियस वेन्नामई पालन

(i) एसपीएस एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का चयन

सीएए में सीआईबीए, एनएफडीबी और एमपीईडीए जैसे अन्य संबद्ध संगठनों के परामर्श से संभावित आपूर्तिकर्ताओं के साथ गहन विचार-विमर्श करके अनुवांशिक और रोग की स्थिति के आधार पर एसपीएस एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक की आपूर्तिकर्ताओं की सूची बनाने और चयन का कार्य कर लिया है। वर्ष 2013-14 तक 9 आपूर्तिकर्ता थे। देश में नई हैचरियों की सुविचारित अतिरिक्त संख्या के कारण बढ़ी हुई एसपीएस एल. वेन्नामई के ब्रूडस्टॉक की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने और ईएमएस मुक्त देशों से आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसपीएस एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के अतिरिक्त आपूर्तिकर्ताओं का चयन करने के लिए सूची, रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करके तैयार की गई थी। वर्ष के दौरान तकनीकी मूल्यांकन समिति ने इंडोनेशिया से मैसर्स पी. टी. बिबिट उंगुल (ग्लोबल जनरल) की संस्तुति की थी और प्राधिकरण की दिनांक 26-08-2014 की 48वीं बैठक में इसे अनुमोदित किया गया था। निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार अन्य 10 आपूर्तिकर्ताओं का 2014-15 तक एसपीएस एल. वेन्नामई के ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति के लिए अनुमोदन किया गया है:

1. मै. औसैनिक इंस्टीट्यूट, हवाई
2. मै. कोना बे मेरिन रिसोर्सेज, हवाई
3. मै. श्रिम्प इंप्रूवमेंट सिस्टम, फ्लोरिडा
4. मै. साइक्वा, थाईलैंड
5. मै. वेन्नामई 101 कं. लि. (के साथ संयुक्त उद्यम) थाईलैंड
6. मै. चेरियन पोकफंड फ्रूड्स पब्लिक कं. लि., थाईलैंड
7. मै. श्रिम्प इंप्रूवमेंट सिस्टम प्रा. लि., सिंगापुर
8. मै. श्रिम्प इंप्रूवमेंट सिस्टम प्रा. लि., हवाई
9. मै. हाई हेल्थ अक्वाकल्चर इंक, हवाई
10. मै. पी. टी. बिबिट उंगुल (ग्लोबल जनरल), इंडोनेशिया

दक्षिण पूर्व एशिया देशों में ईएमएस की उपस्थिति के कारण आयातकों को इन स्रोतों से ब्रूडस्टॉक का आयात करते समय निश्चित सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी। तदोपरान्त, यह भी सलाह दी गई थी कि चूंकि ओआईई (विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन) ने आधिकारिक तौर पर एशिया क्षेत्र (अर्थात् चीन, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम) में 4 देशों को ईएमएस प्रभावित होने की रिपोर्ट की है, इसलिए अन्य देशों, जो ईएमएस से मुक्त हैं, से ब्रूडस्टॉक के आयात पर विचार किया जा सकता है बशर्ते निर्यातक देशों से अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए और पूर्व सीमा संगरोधन आवश्यकताएं पूरी की गई हैं।

(ii) ब्रूडस्टॉक के आयात पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठकें

मुद्दे एक समान होने के कारण एसपीएस एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक की वार्षिक आवश्यकता को तैयार करने के लिए तकनीकी समिति की वार्षिक बैठक को झींगा हैचरी प्रचालकों के समक्ष उपस्थित हुए मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए 21 जनवरी 2015 को चेन्नै में आयोजित समीक्षा बैठक से जोड़ दिया गया था। विचार-विमर्श के ब्यौरे उप-शीर्ष 'समिति की अन्य बैठकें' के तहत पूर्व के पैराग्राफ में दिए गए हैं।

(iii) वर्ष 2014-15 में एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक का आयात और बीज उत्पादन

- सीए जैव सुरक्षित हैचरियों में एसपीएस एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के आयात और बीज उत्पादन तथा जैव सुरक्षित फार्मों में एसपीएस एल. वेन्नामई पालन के लिए अनुमति प्रदान करता है। सीए नियमित तौर पर हैचरियों और फार्मों का निरीक्षण भी करता है। हैचरियों और फार्मों की निगरानी इसलिए की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईटीएस से छोड़े गए अपजल की गुणवत्ता सीए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
- वर्ष 2014-15 के दौरान नए पंजीकरण जारी करने के लिए हैचरी प्रचालकों से 902 आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों की समीक्षा करने के बाद सीए द्वारा गठित निरीक्षण दल ने उनकी सुविधाओं का मूल्यांकन करने और उनकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए हैचरियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर प्राधिकरण द्वारा (47वीं 51वीं बैठक में) वर्ष 2014-15 के लिए 27 नई हैचरियों को (18 आंध्र प्रदेश में और 9 तमिल नाडु में) ब्रूडस्टॉक के आयात और एसपीएफ एल. वेन्नामई के बीज उत्पादन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था और 24 हैचरियों को एलओपीज जारी किए गए थे तथा शेष 3 हैचरियों के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान आयात की अनुमति दी गई थी।



एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों का निरीक्षण



एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों का निरीक्षण

- हैचरियों को अनुमति प्रदान करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार 2013-14 के दौरान अनुमोदित 117 हैचरियों में 114 हैचरियों के लिए अनुमति-पत्रों का नवीकरण किया गया था।
- चालू वर्ष के दौरान प्राधिकरण की 19-03-2013 को हुई 40वीं बैठक में अनुमोदित 45 हैचरियों के लिए एलओपीज जारी की गई थी और वर्ष 2014-15 के दौरान 27 में से 24 नई हैचरियों की अनुमति दी गई थी।
- इसके साथ-साथ 13,928 मिलियन पोस्ट लार्वा प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता सहित 183 हैचरियों (135 आंध्र प्रदेश में, 43 तमिल नाडु में, 3 गुजरात में, 1 ओडीशा में और 1 कर्नाटक में) को अब तक अनुमति पत्र जारी किया गया है और उनको 2014-15 के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के 1,65,156 जोड़े का आयात करने की अनुमति दी गई है। एलओपी की वैधता 31-03-2015 तक है। अनुमोदित हैचरियों के राज्यवार ब्यौरे उनकी उत्पादन क्षमता सहित तालिका 6 में दिए गए हैं, वितरण प्रतिशत चित्र 20 में दिया गया है और जिला-वार वितरण चित्र 21 में दिया गया है।

**तालिका 6 : वर्ष 2014-15 के लिए सीएए द्वारा अनुमोदित एसपीएफ
एल. वेन्नामई हैचरियों का राज्य-वार वितरण**

क्र.सं.	राज्य जिले का नाम	अनुमत हैचरियों की संख्या	बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन ध्वार्षिक)	अनुमत ब्रूडस्टॉकों की संख्या (जोड़े)
1	आंध्र प्रदेश			
	क) विजयनगरम	7	680	8,160
	ख) नेल्लोर	37	3,003	36,036
	ग) विशाखापत्तनम	22	1,858	21,396
	घ) पूर्वी गोदावरी	48	3,124	36,678
	ङ.) गुंटूर	5	313	3,756
	च) प्रकाशम	15	1,250	15,000
	छ) श्रीकाकुलम	1	140	1,680
	उपयोग	135	10,368	1,22,706
2	तमिल नाडु			
	क) विल्लुपुरम	23	2,040	24,480
	ख) कांचीपुरम	17	1015	11,910
	ग) नागापट्टनम	2	100	1,200
	घ) कुड्डलोर	1	120	1,440
	उपयोग	43	3,275	39,030
3	ओडीशा-पुरी	1	90	1,080
4	गुजरात-जगन्नाथ और वलसाड	3	135	1,620
5	कर्नाटक-उत्तर कन्नड़	1	60	720
	योग	183	13,928	1,65,156



चित्र 20 : 2014-15 के दौरान
एल. वेन्नामई हैचरियों का
राज्यवार वितरण



चित्र 21 अनुमति प्राप्त एल. वेन्नामई हैचरियों का जिलावार वितरण

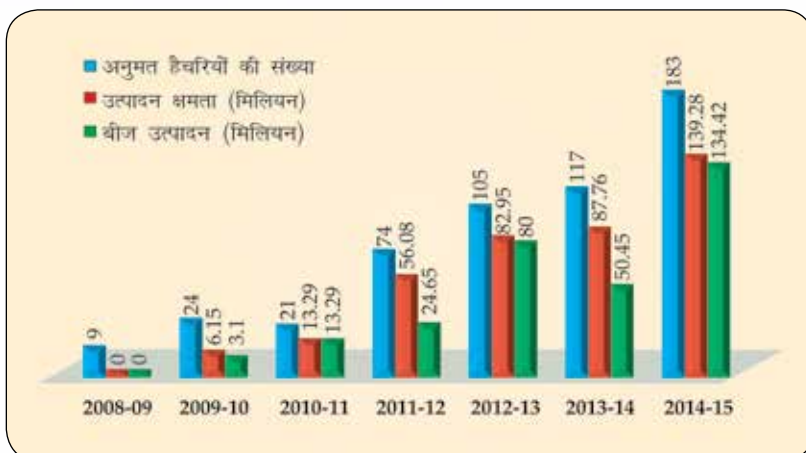
(iv) भारत में एसपीएफ लिटोपेनियस वेन्नामई हैचरियों का निष्पादन

- वर्ष 2014-15 के दौरान कुल 183 हैचरियों के लिए अनुमति प्राप्त ब्रूडस्टॉक की कुल संख्या 1,99,798 जोड़े (वर्ष 2014-15 के दौरान सीएए द्वारा अनुमत 50 प्रतिशत वृद्धि सहित) थे जिनका न्यूनतम उत्पादन क्षमता 13,928 मिलियन एसपीएफ बीज थी। हैचरियों से प्राप्त रिपोर्टों से यह अनुमान है कि वर्ष के दौरान कुल 13,442.05 मिलियन बीज (पोस्ट लार्वा) उत्पादित और पंजीकृत झींगा किसानों को आपूर्ति की गई। हैचरियों ने 2,86,815 स्पाउनिंग के जरिए लगभग 59,922.78 मिलियन नौपल्ली का उत्पादन किया और नौपल्ली से पीएल तक समग्र जीवित दर का अनुमान 22.43% है।
- कार्यक्रम (जुलाई 2009) के शुरू होने से एल. वेन्नामई हैचरियों की संख्या 9 से सतत रूप से बढ़ी है और 6 वर्ष (मार्च 2015) की अवधि के भीतर यह 183 हैचरियों के स्तर पर पहुंच गई है, जिसकी उत्पादन क्षमता 13,928 मिलियन बीज है।
- वर्ष 2009-10 के दौरान अनुमोदित हैचरियों से बीज उत्पादन 310.69 मिलियन से वर्ष 2014-15 के दौरान 13,442.05 मिलियन (अनुमानित) तक सतत रूप से वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश का वर्ष 2008-09 के दौरान 6 हैचरियों से शुरू होकर वर्ष 2014-15 के दौरान 135 हैचरियों तक सर्वाधिक तेज वृद्धि का योगदान है। इसके बाद, तमिल नाडु जिसकी 2008-09 के दौरान 3 हैचरियों से 2014-15 के दौरान 43 हैचरियों तक वृद्धि हुई है। जबकि गुजरात में, 2009-10 में एक हैचरी से 2012-13 में तो 2 हैचरी तक तथा 2013-14 में 3 हैचरियों तक वृद्धि हुई है, ओडीशा और कर्नाटक की हैचरियों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। देश में सीएए द्वारा अनुमोदित एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों की वृद्धि इसके शुरू होने से (2009 में) 51वीं बैठक (मार्च 2015) तक की वृद्धि तालिका 7 में दी गई है। इस अवधि के दौरान हैचरियों में राज्यवार वृद्धि और बीज उत्पादन चित्र 22 और 23 में दिए गए हैं।

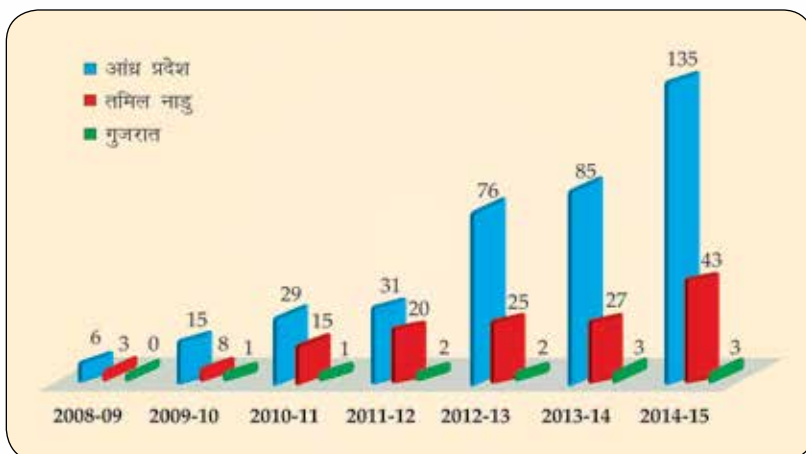
तालिका 7 : भारत में सीएए अनुमोदित एल. वेन्नामई हैचरियों में इसके शुरू होने (जुलाई 2009) से 51वीं बैठक (मार्च 2015) तक की वृद्धि

वर्ष	अनुमत हैचरियों की संख्या	उत्पादन क्षमता (मिलियन)	ब्रूडस्टॉकों की संख्या		बीज उत्पादन (मिलियन)
			अनुमत (जोड़े)	आयातित (जोड़े)	
2008-09	9	-	-	-	-
2009-10	24	615	15,300	12,367	310.69
2010-11	21	1,329	16,100	10,733	1,328.88
2011-12	74	5,608	48,720	18,980	2,465.06
2012-13	105	8,295	66,360	64,580	8,000.00
2013-14	117	8,776	70,208	52,818	5,044.75
2014-15	183	13,928	1,99,798	1,65,156	13,442.05

चित्र 22 देश में
एल. वेन्नामई हैचरियों
और बीज उत्पादन की
वृद्धि
(वर्ष 2008-09 से
2014-15 तक)



चित्र 23 तटीय राज्यों में
एल. वेन्नामई हैचरियों
की वृद्धि



वर्धित गुणवत्ता वाले एसपीएफ लिटोपेनस वेन्नामई बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हैचरियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, सीएए ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- वर्ष 2014-15 के दौरान ब्रूडस्टॉक के आबंटन में 50% तक वृद्धि की गई थी।
- जलीय संगरोधन में पर्याप्त संभावना को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि दिनांक 23 मार्च 2012 की अधिसूचना जी.एस.आर.280(ई) के अनुसार सीएए अनुमोदित हैचरियों में नौपल्ली की बिक्री की अनुमति दी जाए। इससे पीएल उत्पादन के लिए आयातित ब्रूडस्टॉक का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
- प्राधिकरण ने 29 अप्रैल 2014 को अयोजित अपनी 46वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अन्य परिसंघ भागीदार हैचरियों की सहायता करने के लिए प्रमुख हैचरी की उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन करने के बाद हैचरियों के परिसंघ को अनुमति दी जाए जो परिसंघ की प्रमुख हैचरी में किए गए नौपल्ली उत्पादन के परिपक्व निष्पादन को प्राप्त करने में कमजोर हैं।

- यह निर्णय लिया गया है कि जिन हैचरियों ने वर्ष के लिए उनको आबंटित ब्रूडस्टॉक की समग्र मात्रा का आयात कर लिया है उन्हें अतिरिक्त आवश्यकता यदि कोई हो, के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए जिस पर प्राधिकरण द्वारा वार्षिक आवश्यकता के संबंध में मामला दर मामला आधार पर विचार करेगा, बशर्ते कि इस वर्ष की शेष अवधि में उनको औसत आबंटन किया गया हो और इससे अधिक संख्या, यदि कोई हो, अगले वर्ष में उस हैचरी को किए जाने वाले आबंटन में शामिल किया जाएगा।



हैचरी में जैव सुरक्षा-कम्पाउंड वाल और टायर वाश



जीएक्यूपी-जैव सुरक्षित हैचरियों में प्रवेश से पहले पालन किए जाने वाले निर्देश



जैव सुरक्षा-सैंड फिल्टर



जैव सुरक्षा-सोवर रूम



जैव सुरक्षित हैचरी में जल शोधन और फिल्टरेशन प्रणाली



जैव सुरक्षित हैचरियों का आंतरिक दृश्य



जैव सुरक्षित हैचरियों में अलग से कार्यान्वयन



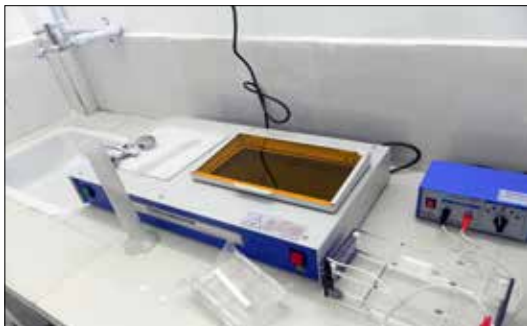
जैव सुरक्षित हैचरियों में मैट्रिक्शन खण्ड



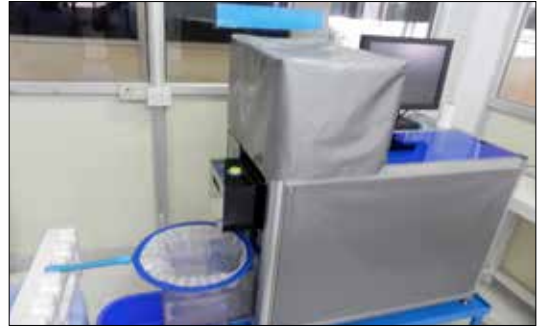
जैव सुरक्षित हैचरी में आंतरिक एल्गल कल्चर



जैव सुरक्षित हैचरियों में अर्टीमिया सेक्शन



जैव सुरक्षित हैचरियों में प्रयोगशालाएं



जैव सुरक्षित हैचरियों में झींगा मापन मशीन



जैव सुरक्षित हैचरियों में बाहरी अलगल टैंक



जैव सुरक्षा-हैचरियों में ईटीएस



जीएक्यूपी-ईटीएस में नए प्रकार का वायुवहन और जैव सुरक्षित हैचरी में स्वच्छता से कचरे का निपटान



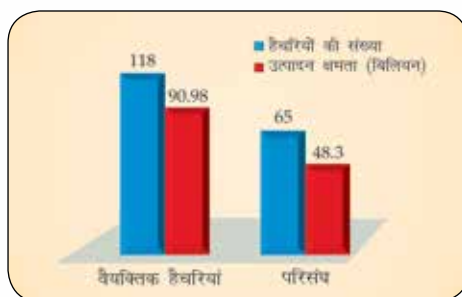
पूर्व पोस्ट लार्वा



पोस्ट लार्वा

(v) हैचरियों का परिसंघ

हैचरियों के परिसंघ की अवधारणा सीएए द्वारा शुरू की गई थी जैसा कि दिनांक 29 अप्रैल 2014 को प्राधिकरण की 46वीं बैठक में सकल्य लिया गया था ताकि उन हैचरियों द्वारा संयुक्त रूप से एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के आयात की सुविधा प्रदान की जा सके जिनकी प्रमुख हैचरी के पर्यवेक्षण में कम उत्पादन क्षमता है और साथ-साथ एक्यूएफ सुविधा का उपयोग किया जा सके। योजना से उन हैचरियों की भी मदद होगी जिनकी भागीदार हैचरियों में परिसंघ और पीएल उत्पादन की प्रमुख हैचरियों में किया गया नौपल्ली उत्पादन करने में कमजोर परिपक्व निष्पादन है। इस योजना से तुलनात्मक रूप से कम लागत पर एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के आयात और संगरोधन में मदद मिलेगी। 13,928 मिलियन उत्पादन क्षमता के साथ दिनांक 31-03-2015 को अनुमोदित 183 हैचरियों में से 4,830 मिलियन उत्पादन क्षमता वाली 65 हैचरियों ने 21 परिसंघ का निर्माण किया है। इसमें प्रत्येक में 2 से 12 लघु हैचरियां समाहित हैं। दिनांक 31-03-2015 की स्थिति के अनुसार, निर्मित परिसंघ में कुल 55.05% पंजीकृत हैचरियां शामिल हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 53.09% है (चित्र 24)। परिसंघ में ब्रूडस्टॉक का आयात स्तर कुल आबंटन के 20 और 80% के बीच की रेंज में है और औसत लगभग 50% है।



चित्र 24 एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों के परिसंघ में

(vi) सीएए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाले/गैर-प्राधिकृत एल. वेन्नामई बीज उत्पादन के विरुद्ध की गई कार्रवाई

झींगा हैचरियों की नियमित निगरानी करने के दौरान और एल. वेन्नामई के गैर-कानूनी बीज उत्पादन के संबंध में की गई विशिष्ट शिकायतों पर हैचरियों के निरीक्षण के दौरान, निरीक्षण दल ने आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, प्रकाशम और पूर्वी गोदावरी जिलों तथा तमिल नाडु के कांचीपुरम एवं विल्लूपुरम जिलों में कुल 29 झींगा हैचरियों का दौरा किया था जिनमें से 18 हैचरियों (16 आंध्र प्रदेश में और 2 तमिल नाडु में) को गैर-प्राधिकृत एल. वेन्नामई बीज उत्पादन में संलिप्त पाया गया है।

इन दौरों के दौरान दल ने यह पाया कि तालाब पालित ब्रूडस्टॉक का उपयोग करके 2000 गैर प्राधिकृत ब्रूडस्टॉक एल. वेन्नामई तथा 296.3 मिलियन लावा का उत्पादन किया गया। दल ने कृषि मंत्रालय द्वारा 23 मार्च 2012 की अधिसूचना जी.एस.आर.280(ई) में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-प्राधिकृत स्टॉक को उसी स्थान पर नष्ट कर दिया। इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा इन हैचरियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई जो नीचे विस्तार से दी गई है:

सीएए दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए पंजीकृत हैचरियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

- जिला नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में एक एल. वेन्नामई हैचरी की एलओपी रद्द कर दी गई थी और जैसा कि दिनांक 11-11-2014 को निगरानी दल द्वारा पुष्टि की गई थी तालाब पालित ब्रूडस्टॉक का उपयोग करके एल. वेन्नामई बीज उत्पादन के संबंध में सीएए दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के कारण उनकी 5,00,000/- रूपए की बैंक गारंटी जब्त कर ली गई थी। दिनांक 02-12-2014 को कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात् प्राधिकरण की दिनांक 27-02-2015 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्रवाई की गई और दिनांक 19-01-2015 को व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई।
- दिनांक 19-09-2014 को निगरानी दल द्वारा जैसा कि पुष्टि की गई थी हैचरी के सभी खण्डों से अपजल को ईटीएस में बिना शोधन किए खुले समुद्र में छोड़कर एल. वेन्नामई हैचरियों द्वारा जैव सुरक्षा की आवश्यकता पर सीएए नियम, 2005 के अनुलग्नक-II के भाग 1 की धारा 4 दिनांक 30 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना जी.एस.आर.302(ई) द्वारा यथा संशोधित का उल्लंघन करने के कारण जिला विल्लूपुरम, तमिल नाडु में एक अन्य हैचरी पर 1,00,000/- रूपए का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई दिनांक 14-10-2014 को कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात् प्राधिकरण की दिनांक 19-12-2014 को आयोजित इसकी 50वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार है और दिनांक 05-12-2015 को व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई।

गैर-कानूनी बीज उत्पादन के लिए गैर-पंजीकृत हैचरियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

- प्राधिकरण की बैठकों (दिनांक 26-08-2014 को आयोजित 48वीं बैठक में 2, 19-12-2014 को आयोजित 50वीं बैठक में 6 और 27-02-2015 को आयोजित 51वीं बैठक में 4) में जैसा कि संकल्प किया गया था आंध्र प्रदेश में एल. वेन्नामई के गैर-प्राधिकृत बीज उत्पादन में संलिप्त 12 गैर-प्राधिकृत हैचरियों को बंद करने का आदेश जारी किया गया था। इस मामले को गैर-कानूनी हैचरियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित जिला अधिकारियों के साथ भी उठाया गया था।
- यह बताते हुए कि सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में भी सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी कि सीएए की वेबसाइट पर सीएए अनुमोदित हैचरियों की सूची उपलब्ध है (वेबसाइट का पता www.caa.gov.in तेलगू में भी दिया गया है) और अन्य हैचरियों को एल. वेन्नामई बीज उत्पादन/बिक्री की अनुमति नहीं है। सूचना को प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था।



एक गैर-प्राधिकृत एल. वेन्नामई हैचरी में निरीक्षण

- 09 जुलाई 2014 को एक अन्य सूचना भी यह बताते हुए जारी की गई थी जिन नए झींगा हैचरी उद्यमी/प्रचालकों की तटीय क्षेत्रों में नई झींगा हैचरियों को स्थापित करने में रुचि है, उन्हें निर्माण शुरू करने से पूर्व तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। प्राधिकरण की वेबसाइट में डाली गई सूचना में यह भी निर्देश दिया गया है कि आवेदक सीएए वेबसाइट www.caa.gov.in में उपलब्ध प्रोफार्मा के अनुसार स्थल योजना और डिजाइन के साथ अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करे।



गैर प्राधिकृत हैचरी के विरुद्ध की गई कार्रवाई का प्रभाव

(vii) एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए झींगा फार्मों को अनुमति प्रदान करना

एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन करने के लिए किसानों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसरण में, सीएए द्वारा गठित निरीक्षण दल द्वारा फार्मों का निरीक्षण किया गया था और एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए आवश्यक निम्नलिखित जैव सुरक्षा आवश्यकताओं का सत्यापन किया गया था तथा अनुमति प्रदान करने के लिए दल द्वारा इसे सुनिश्चित किया गया था:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| i. फार्मों के चारों ओर बाड़ लगाना | ii. क्रेब फेंसिंग |
| iii. जल प्रवेशक रिजर्वार्यर्स | iv. बर्ड निटिंग/ बर्ड स्कार्श का संस्थापन |
| v. उत्प्रवाही उपचार प्रणाली (ईटीएस) | |



एल. वेन्नामई फार्मों का निरीक्षण



जैव सुरक्षित एल. वेन्नामई फार्म का दृश्य



जैव सुरक्षित एल. वेन्नामई फार्मों में फार्म फेंसिंग



जैव सुरक्षित एल. वेन्नामई फार्मों में क्रैब फेंसिंग



एल. वेन्नामई फार्मों में जैव सुरक्षा-वर्ड निटिंग और वर्ड स्कार



जैव सुरक्षित एल. वेन्नामई फार्म में वर्ड निटिंग



जैव सुरक्षित फार्म में इंटैक प्वाइंट पर वाटर इंटैक और फिल्टरेशन



एल. वेन्नामई फार्म में जैव सुरक्षा अवजल शोधन के लिए ईटीएस और जल शोधन के लिए रिजर्वायर



जीएक्यूपी-पर्यवेक्षण टावर वाले फार्म

जीएक्यूपी-कार्मिकों का प्रवेश वर्जित

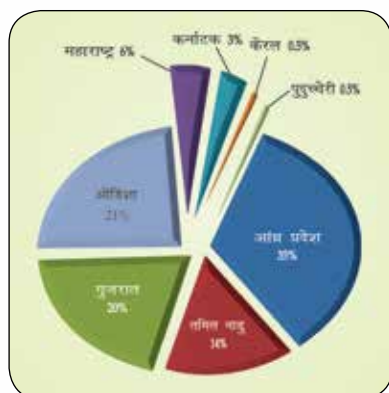
एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन करने वाले किसानों से प्राप्त प्रस्तावों की तेजी से मंजूरी प्रदान करने की सुविधा और इस क्षेत्र में तीव्र विकास के साथ सीएए पंजीकरण को जारी करने के लिए, सीएए ने तटीय राज्यों में जिला-स्तरीय दल (डीएलटी) का गठन किया है जो 5 हेक्टेयर से कम जल प्रवाहित क्षेत्र वाले फार्मों का निरीक्षण करेगा और आवश्यक जैव सुरक्षा आवश्यकताओं को सत्यापित करने के बाद पात्र मामलों की सीएए से सिफारिश करेगा।

निरीक्षण दल और जिला-स्तरीय दलों की सिफारिशों के आधार पर सदस्य सचिव, सीएए के स्तर पर आगे कार्रवाई की जाती है, जिसके पश्चात् प्रस्ताव को विचारार्थ प्राधिकरण के समक्ष रखा जाता है। सीएए द्वारा अनुमोदन के पश्चात्, फार्मों को पंजीकृत किया जाता है और किसानों को एलओपी जारी किए जाते हैं।

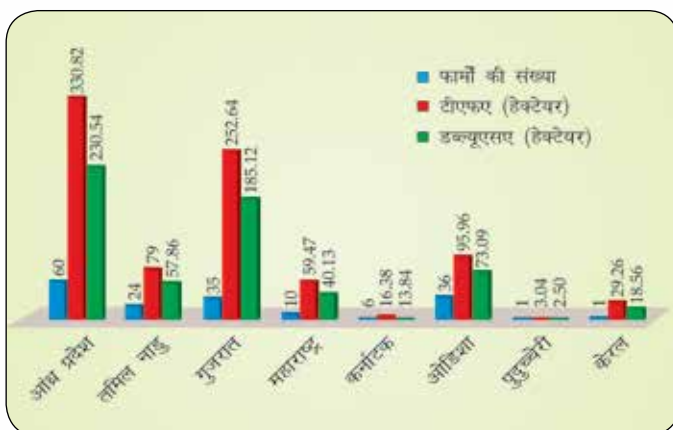
- रिपोर्ट के अनुसार वर्ष (2014-15) के दौरान, प्राधिकरण ने 621.64 हेक्टेयर जल प्रवाहित क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) सहित 173 फार्मों का पंजीकरण किया है और सभी फार्मों को एसपीएफ एल. वेन्नामई कृषि के लिए एलओपी जारी कर दिए गए थे।
- उन फार्मों के राज्यवार ब्यौरे तालिका 8 में दिए गए हैं जिनका पंजीकरण कर दिया गया है और एलओपी जारी कर दी गई है तथा उनका प्रतिशत वितरण चित्र 25 में दिया गया है। विभिन्न राज्यों में फार्मों का क्षेत्रवार वितरण चित्र 26 में दिया गया है।

तालिका 8 : अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों को अनुमति के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	फार्म का नाम	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)
1	आंध्र प्रदेश	60	330.82	230.54
2	तमिल नाडु	24	79.00	57.86
3	गुजरात	35	252.64	185.12
4	महाराष्ट्र	10	59.47	40.13
5	कर्नाटक	6	16.38	13.84
6	केरल	1	29.26	18.56
7	ओडिशा	36	95.96	73.09
8	गोवा	0	0	0
9	पुदुच्चेरी	1	3.04	2.50
10	दमन और दीव	0	0	0
11	पश्चिम बंगाल	0	0	0
	योग	173	866.57	621.64



चित्र 25 वर्ष 2014-15 के लिए सीएए अनुमोदित एल. वेन्नामई फार्मों का प्रतिशत वितरण

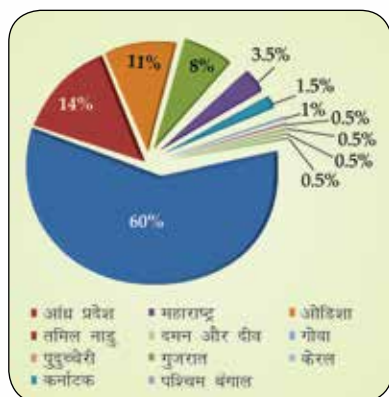


चित्र 26 वर्तमान वर्ष में अनुमति प्राप्त एल. वेन्नामई फार्मों के ब्यौरे

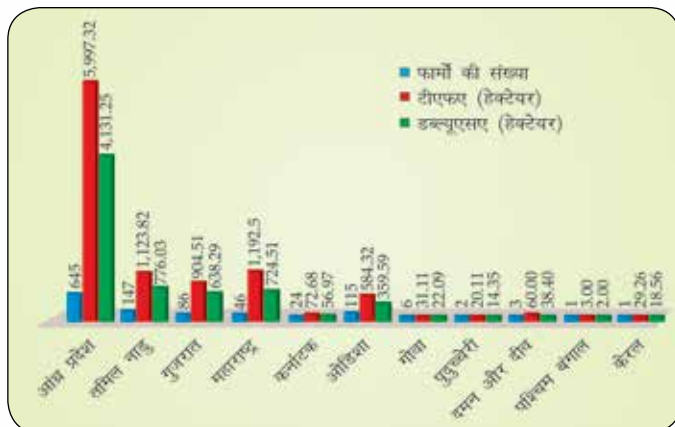
- सीए ने अब तक 10,023.63 हेक्टेयर (डब्ल्यूएसए 6,782.04 हेक्टेयर) कुल क्षेत्रफल को कवर करते हुए मार्च, 2015 तक 1,076 एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों का पंजीकरण किया है और एलओपी जारी की है, फार्मों के राज्यवार ब्यौरे तालिका 9 में दिए गए हैं, उनका प्रतिशत वितरण चित्र 27 में दिया गया है और विभिन्न राज्यों में क्षेत्रवार विवरण चित्र 28 में दिया गया है।

**तालिका 9: शुरुवात (दिसंबर 2009) से 51वीं बैठक (मार्च 2015 तक)
एसपीएफ एल. वेन्नामई अनुमति प्राप्त फार्मों की अनुमति के राज्यवार ब्यौरे**

क्र.सं.	राज्य का नाम	फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)
1	आंध्र प्रदेश	645	5,997.32	4,131.25
2	तमिल नाडु	147	1,123.82	776.03
3	गुजरात	86	904.51	638.29
4	महाराष्ट्र	46	1,192.5	724.51
5	कर्नाटक	24	72.68	56.97
6	ओडीशा	115	584.32	359.59
7	गोवा	6	31.11	22.09
8	पुदुच्चेरी	2	20.11	14.35
9	दमन एवं दीव	3	60.00	38.40
10	पश्चिम बंगाल	1	3.00	2.00
11	केरल	1	29.26	18.56
	योग	1,076	10,018.63	6,782.04



चित्र 27 दिसंबर 2009 से मार्च 2015 तक सीए अनुमोदित एल. वेन्नामई फार्मों का प्रतिशत वितरण



चित्र 28 दिसंबर 2009 से मार्च 2015 तक अनुमति प्राप्त एल. वेन्नामई फार्मों का विवरण

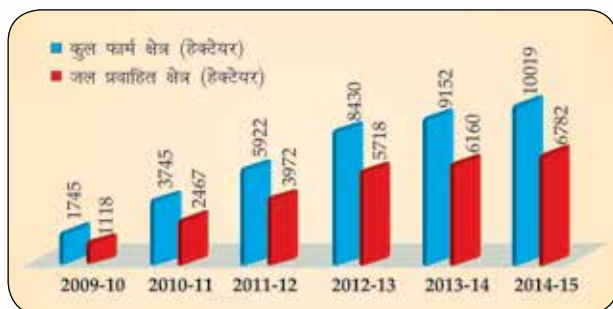
- दिसंबर 2009 से मार्च 2015 के दौरान सभी तटीय राज्यों में जारी किए गए एलओपीज की संख्या के संदर्भ में एल. वेन्नामई फार्मों की वृद्धि तालिका 10 में दी गई है। देश में

2009-10 के दौरान कुल फार्म क्षेत्र (टीएफए) 1,744.9 हेक्टेयर सहित 107 फार्मों से शुरूवात करके कृषि में तेज वृद्धि हुई है जिसमें वर्ष 2014-15 के दौरान 6 वर्षों की अवधि में कुल फार्म क्षेत्र 10,023.63 हेक्टेयर सहित 1,076 फार्मों तक सतत वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश राज्य ने वर्ष 2009-10 के दौरान कुल फार्म क्षेत्र 1,236.3 हेक्टेयर सहित 87 फार्मों के साथ शुरूवात करके वर्ष 2014-15 के दौरान कुल फार्म क्षेत्र 5,997.3 हेक्टेयर सहित 645 फार्मों का स्तर प्राप्त करके तेज वृद्धि की है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद तमिल नाडु (दूसरा स्थान) ने वर्ष 2009-10 के दौरान 6 फार्मों (टीएफए 90.1 हेक्टेयर) से वर्ष 2014-15 के दौरान 147 फार्मों (टीएफए 1,123.8 हेक्टेयर) तक वृद्धि की है और गुजरात (तीसरा स्थान) ने वर्ष 2009-10 के दौरान 4 फार्मों (टीएफए 146.0 हेक्टेयर) से वर्ष 2014-15 के दौरान 86 फार्मों (टीएफए 905.5 हेक्टेयर) तक वृद्धि की है। क्षेत्र के संबंध में वृद्धि चित्र 29 में दी गई है और इस अवधि के दौरान राज्यवार वृद्धि चित्र 30 में दी गई है। मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार एल. वेन्नामई फार्मों का जिलावार विवरण चित्र 31 में दिया गया है।

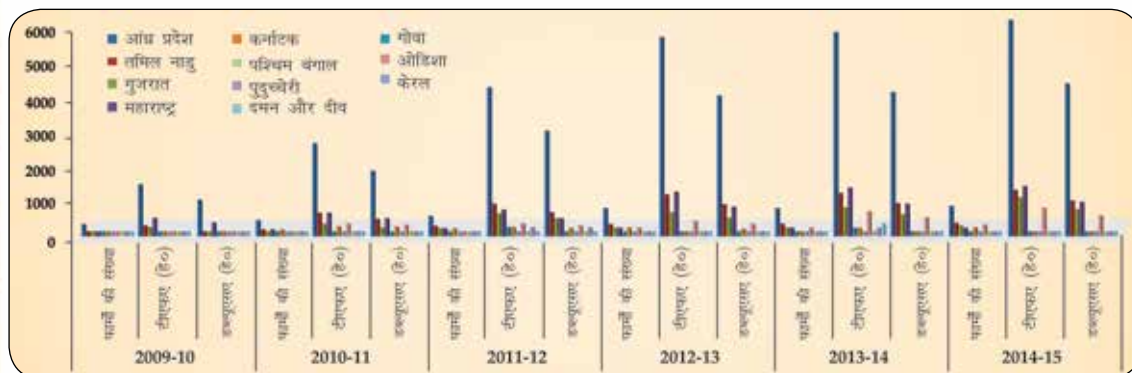
तालिका 10: दिसंबर 2009 से मार्च 2015 के दौरान सभी तटीय राज्यों में एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए जारी किए गए एलओपीज की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
		फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)	फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)	फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)	फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)
1	आंध्र प्रदेश	87	1,236.3	815.4	105	1,205.9	833.2	129	1,619.8	1,118.9	259	1,474.6	1,059.3
2	तमिल नाडु	6	90.1	55.4	32	324.2	203.4	41	276.9	213.8	34	295.3	202.5
3	गुजरात	4	146.0	78.0	6	125.0	97.0	18	172.5	128.6	11	104.4	74.4
4	महाराष्ट्र	10	272.5	168.6	3	152.0	91.5	3	89.6	31.0	13	483.8	308.9
5	गोवा	0	0	0	1	5.6	2.8	0	0	0	3	18.3	13.9
6	कर्नाटक	0	0	0	16	47.0	37.4	1	0.9	0.8	0	0	0
7	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ओडीशा	0	0	0	5	140.1	83.8	0	0	0	11	78.2	48.9
9	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	1	17.1	11.9	0	0	0
11	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60.0	38.4
	योग	107	1,744.9	1,117.4	168	1,999.8	1,349.1	193	2,176.8	1,505.0	334	2,514.6	1,746.3

क्र. सं.	राज्य का नाम	2013-14			2014-15			योग 2009-10 से 2014-15 तक		
		फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)	फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)	फार्मों की संख्या	टीएफए (हेक्टेयर)	डब्ल्यूएसए (हेक्टेयर)
1	आंध्र प्रदेश	5	129.9	73.8	60	330.8	230.5	645	5,997.3	4,131.3
2	तमिल नाडु	10	58.3	43.1	24	79.0	57.9	147	1,123.8	776.0
3	गुजरात	12	104.0	75.2	35	252.6	185.1	86	904.5	638.3
4	महाराष्ट्र	7	135.1	84.4	10	59.5	40.1	46	1,192.5	724.5
5	गोवा	2	7.2	5.4	0	0	0	6	31.1	22.1
6	कर्नाटक	1	8.3	5.0	6	16.4	13.8	24	72.7	57.0
7	केरल	0	0	0	1	29.3	18.6	1	29.3	18.6
8	ओडीशा	63	270.1	153.9	36	96.0	73.1	115	584.3	359.6
9	पश्चिम बंगाल	1	3.0	2.0	0	0	0	1	3.0	2.0
10	पुदुचेरी	0	0	0	1	3.0	2.5	2	20.1	14.4
11	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	3	60.0	38.4
	योग	101	715.9	442.8	173	866.6	621.6	1,076	10,018.6	6,782.2



चित्र 29 : 2009-2010 से 2014-2015 के दौरान फार्म के संदर्भ में एल. वेन्नामई फार्मों की वृद्धि



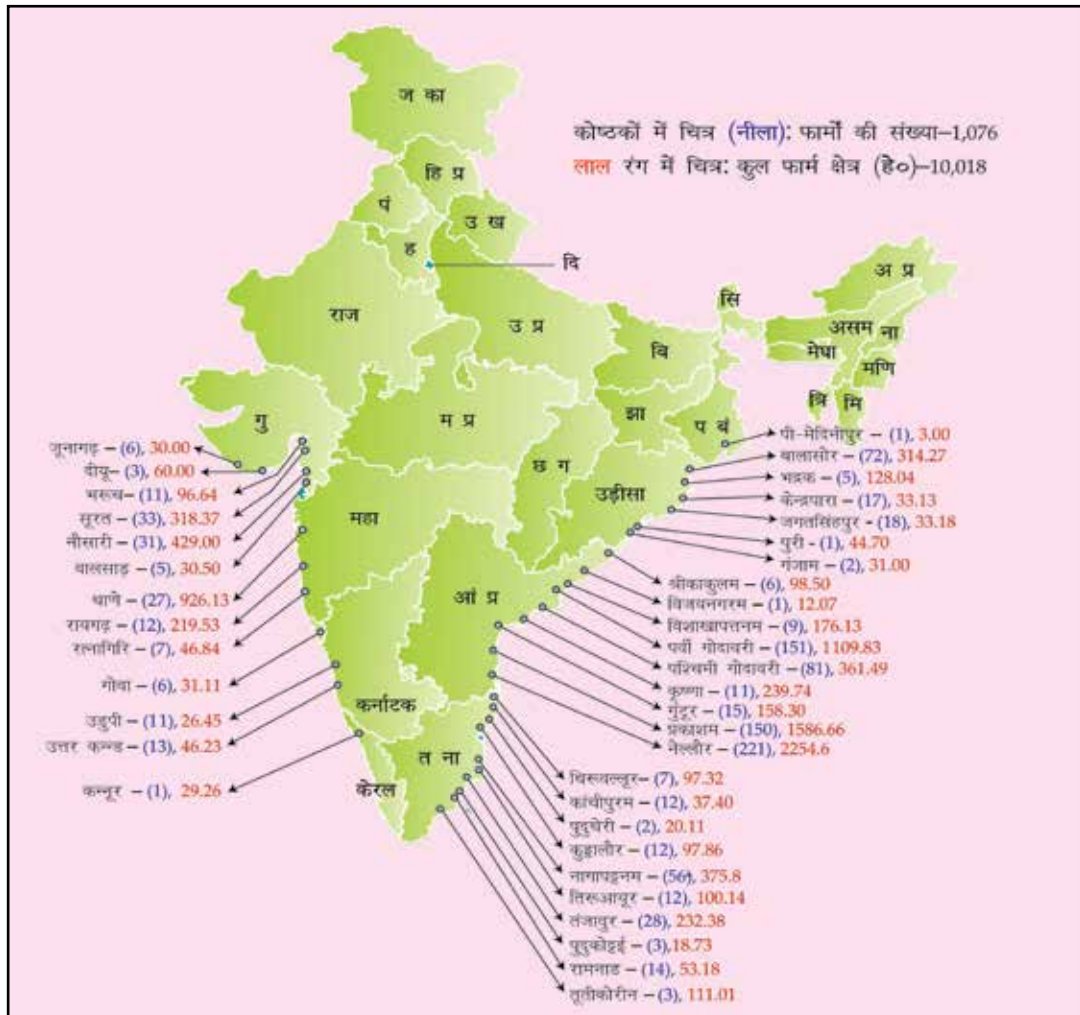
चित्र 30 दिसंबर 2009 से मार्च 2015 के दौरान एल. वेन्नामई फार्मों की राज्यवार वृद्धि

(viii) एल. वेन्नामई पालन का राज्यवार निष्पादन

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष (2014-15) के दौरान, प्राधिकरण ने 8 समुद्र तटीय राज्यों में विस्तृत 621.64 हेक्टेयर जलप्रवाही क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) सहित 173 फार्मों का पंजीकरण किया है, जिसमें आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है जिसके पास 230.54 हेक्टेयर डब्ल्यूएसए (60 फार्म) हैं, गुजरात का दूसरा स्थान है जिसके पास 885.12 हेक्टेयर (35 फार्म) हैं, ओडिशा के पास 73.09 हेक्टेयर (36 फार्म) हैं और तमिल नाडु के पास 57.86 हेक्टेयर (24 फार्म) हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के पास क्रमशः 40.13 हेक्टेयर (10 फार्म) और 13.84 हेक्टेयर (6 फार्म) हैं। केरल और पुदुच्चेरी राज्यों के पास 1 & 1 फार्म है, प्रत्येक का क्षेत्र क्रमशः 18.56 और 2.5 हेक्टेयर है। सीएए द्वारा अनुमोदित हैचरियों द्वारा आपूर्ति की गई एसपीएफ बीजों (पीएल 12-15) का इन फार्मों में भंडारण किया गया था, उनके कार्य निष्पादन का सारांश नीचे दिया है।

आंध्र प्रदेश

एसपीएफ एल. वेन्नामई के पंजीकरण के लिहाज से आंध्र प्रदेश राज्य का पहला स्थान है और इसमें (645) एसपीएफ एल. वेन्नामई पंजीकृत हैं और उसका कुल पालन क्षेत्र 5,997.32 हेक्टेयर (डब्ल्यूएसए 4,131.25 हेक्टेयर) है। इस राज्य में फार्म नेल्लौर, पूर्व गोदावरी, प्रकाशम, पश्चिमी गोदावरी, गुंटूर, कृष्णा, विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम जिलों में वितरित हैं। यद्यपि, पंजीकृत फार्मों की संख्या के संदर्भ में राज्य का प्रथम स्थान है तथापि, प्रति फार्म विकसित क्षेत्र (औसत 6.4 हेक्टेयर) के संदर्भ में तीसरा स्थान है। किसान राज्य में लगभग 0.45-0.65 मिलियन बीज प्रति हेक्टेयर का स्टॉक करते हैं और लगभग 60-130 दिनों की अवधि में पालन में लगभग 8-15 एमटी/हेक्टेयर का उत्पाद प्राप्त करते हैं जिसकी उत्तरजीविता दर 65-80% की रेंज में होती है। पालन अवधि के दौरान औसत शरीर भार 10-26 ग्राम और एफसीआर 1.2 से 2.0 के बीच की रेंज में होती है।



चित्र 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार एल. वेन्नामई फार्मों का जिलावार वितरण

तमिल नाडु

तमिल नाडु में सीएफ में पंजीकृत 147 फार्मों में एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन किया जाता है जिसका कुल फार्म क्षेत्र 1,123.82 हेक्टेयर और 776.03 हेक्टेयर डब्ल्यूएसए है। एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों के पंजीकरण के लिहाज से राज्य का दूसरा स्थान है जो मुख्य रूप से पुदुकोट्टई, तंजावूर, तिरुआयूर, नागापट्टीनम, कुड्डालोर, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम जिलों में वितरित हैं। तथापि, प्रति फार्म विकसित क्षेत्र (औसत 5.28 हेक्टेयर) के संदर्भ में इसका चौथा स्थान है। राज्य में भंडारण सघनता 0.40-0.60 मिलियन बीज प्रति हेक्टेयर की रेंज में है और लगभग 70-120 दिनों की पालन अवधि में 6.5-10.5 एमटी/हेक्टेयर के बीच की रेंज में उत्पादन प्राप्त होता है। राज्य में किसान लगभग 1.2-1.6 एफसीआर सहित 14-28 ग्राम के बीच की रेंज में औसत शरीर भार के साथ लगभग 75% की उत्तरजीविता दर प्राप्त कर सकते हैं।

गुजरात

गुजरात राज्य में पंजीकृत एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्म 86 हैं जिनका कुल फार्म क्षेत्र 904.51 हेक्टेयर और डब्ल्यूएसए 638.29 हेक्टेयर है। यद्यपि, अनुमोदित फार्मों की संख्या के संदर्भ में राज्य का चौथा स्थान है तथापि, प्रति फार्म विकसित क्षेत्र (औसत 7.42 हेक्टेयर) के संदर्भ में इसका दूसरा स्थान है। गुजरात में एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्म मुख्य रूप से वलसाड़, नौसारी, सूरत और भरूच जिलों में वितरित हैं। राज्य में किसान 0.40-0.65 मिलियन बीज प्रति हेक्टेयर के बीच की श्रेणी में भंडार सघनता के साथ व्यवस्थित कृषि करते हैं और लगभग 80% की उत्तरजीविता दर के साथ लगभग 60-140 दिनों की पालन अवधि में 7.0-12.7 एमटी/हेक्टेयर के बीच की रेंज में उत्पादन करते हैं। पालन अवधि के दौरान औसत शरीर भार लगभग 1.6 एफसीआर सहित 15 से 30 ग्राम के बीच की रेंज में होता है।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र राज्य में पंजीकृत एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्म 46 हैं जिनका कुल फार्म क्षेत्र 1,192.5 हेक्टेयर और जल प्रवाहित क्षेत्र 724.51 हेक्टेयर है। यद्यपि, महाराष्ट्र का पंजीकृत एल. वेन्नामई फार्मों की संख्या के संदर्भ में पांचवां स्थान है तथापि, प्रति फार्म विकसित क्षेत्र (औसत 15.75 हेक्टेयर) के संदर्भ में इसका पहला स्थान है। फार्म मुख्य रूप से थाने, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में वितरित हैं। राज्य में भंडारण सघनता 0.35-0.50 मिलियन/हेक्टेयर के बीच की श्रेणी में किया जाता है और लगभग 50-127 दिनों की पालन अवधि में 4.5-9.0 एमटी/हेक्टेयर के बीच की रेंज में उत्पादन करते हैं। राज्य में उत्तरजीविता दर लगभग 1.0-1.3 एफसीआर सहित लगभग 17-25 ग्राम औसत भार सहित 65-85% के बीच की रेंज में होती है।

ओडीशा

ओडीशा में एल. वेन्नामई पालन हाल ही में शुरू की गई है और विगत वर्ष (2013-14) के दौरान कुल फार्म क्षेत्र 584.32 हेक्टेयर (डब्ल्यूएसए 359.59 हेक्टेयर) सहित पंजीकृत 115 फार्मों में से वर्तमान वर्ष (2014-15) में कुल 366.0 हेक्टेयर फार्म क्षेत्र (डब्ल्यूएसए 226.95 हेक्टेयर) वाले केवल 99 फार्मों को पंजीकृत किया गया था। यद्यपि, फार्म पंजीकरण, प्रति फार्म के संदर्भ में राज्य का तीसरा स्थान है तथापि फार्म के अनुसार विकसित क्षेत्र कम है (औसत 3.12 हेक्टेयर)। फार्म मुख्य रूप से बालासोर, भद्रक और पुरी जिलों में वितरित हैं। इस राज्य में भंडारण सघनता 0.25 और 0.45 मिलियन/हेक्टेयर के बीच की श्रेणी में किया जाता है और लगभग 70-114 दिनों की पालन अवधि में 3.8-8.5 एमटी/हेक्टेयर के बीच की रेंज में उत्पादन होता है। राज्य में लगभग 25 ग्राम (22-28 ग्राम) औसत शरीर भार सहित बेहतर उत्तरजीविता (लगभग 90%) की रिपोर्ट है और पालन अवधि के दौरान एफसीआर 1.0 से 1.4 की रेंज में है।

कर्नाटक

कर्नाटक में 24 एल. वेन्नामई फार्म (टीएफएल 72.17 हेक्टेयर और डब्ल्यूएसए 57.0 हेक्टेयर) पंजीकृत हैं जो मुख्य रूप से उडुपी और उत्तर कन्नड़ जिलों में स्थित हैं। राज्य में किसान लगभग 0.25-0.35 मिलियन/हेक्टेयर सहित सघन कृषि करते हैं और लगभग 78-85% की उत्तरजीविता दर के साथ लगभग 64-120 दिनों की पालन अवधि में 1.98 से 3.2 एमटी/हेक्टेयर के बीच की रेंज में उत्पादन करते हैं और पालन अवधि के दौरान औसत शरीर भार लगभग 1.17 एफसीआर सहित 18.0 से 20.0 ग्राम के बीच की रेंज में होता है।

पुदुचेरी

पुदुचेरी में केवल एक पंजीकृत एल. वेन्नामई फार्म है जिसका कुल फार्म क्षेत्र लगभग 17.10 हेक्टेयर और जल प्रवाही क्षेत्र 11.90 हेक्टेयर है जो कराईकल जिले में स्थित है। फार्म में पालन लगभग 87% उत्तरजीविता सहित लगभग 90 दिनों की पालन अवधि में 2.5 से 4.5 एमटी/हेक्टेयर की रेंज में उत्पादन के साथ-साथ लगभग 0.25-0.45 मिलियन/हेक्टेयर की भंडारण सघनता के साथ किया जाता है। पालन अवधि के दौरान औसत शरीर भार लगभग 1.8 एफसीआर सहित 22 से 24 ग्राम की रेंज में होता है।

गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल और दमन एवं दीव प्रशासन

गोवा में 6 पंजीकृत एल. वेन्नामई फार्म (टीएफए 31.10 हेक्टेयर और डब्ल्यूएसए 22.08 हेक्टेयर) हैं जो मुख्य रूप से पोंडा जिले में स्थित हैं। वर्ष के दौरान वहां, कोई नया फार्म पंजीकृत नहीं हुआ है। वर्तमान वर्ष के दौरान केरल में केवल एक फार्म का पंजीकरण हुआ है जिसका टीएफए 29.3 हेक्टेयर और डब्ल्यूएसए 18.6 हेक्टेयर है जो कन्नूर जिले में स्थित है। पश्चिम बंगाल में केवल दो पंजीकृत एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्म (टीएफए 3.0 हेक्टेयर और डब्ल्यूएसए 2.0 हेक्टेयर) हैं और दमन एवं दीव प्रशासन में 3 पंजीकृत फार्म (टीएफए 60.0 हेक्टेयर और डब्ल्यूएसए 38.40 हेक्टेयर) हैं।



जीएक्यूपी-इनलेट में वाटरफिल्टरेशन



जीएक्यूपी-फार्म की लाइनिंग



जीएक्यूपी-एल. वेन्नामई फार्मों में वायुवहन



जीएक्यूपी-गमबूट का प्रयोग करने का प्रचलन



जीएक्यूपी-स्थायी / अस्थायी फूट और हैंड डिप



जीएक्यूपी-स्टेकड फीड और अन्य आदान



जीएक्यूपी-लागू करने के लिए प्रो-बायोटिक तैयार



जीएक्यूपी-पेलेट फीड का अर्पण : मैनुअल और फीड सर्पेंशरों द्वारा



जीएक्यूपी-प्रोबायोटिक और चूने का अर्पण

(ix) गैर-अनुमोदित एल. वेन्नामई फार्मों के विरुद्ध कार्रवाई/ पर्यावरणीय समस्या

सीएए द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर, सीएए द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण दल संबंधित फार्मों का निरीक्षण करता है यदि दल एल. वेन्नामई की गैर-प्राधिकृत पालन अथवा आस-पास के कृषि क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय समस्या के पैदा होने अथवा पेयजल स्रोतों के लिए समस्या होने अथवा सामाजिक समस्याओं के पैदा होने की पुष्टि करता है तो सीएए कृषि मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 23 मार्च 2012 की अधिसूचना जी.एस.आर.280(ई) के दिशा-निर्देशों और/अथवा प्राधिकरण की अगली बैठक में मामले पर विचार-विमर्श करके और सीएए अधिनियम तथा नियमों के अनुसार बैठकों में पास किए गए संकल्पों के अनुसार तत्स्थान तत्काल कार्रवाई करता है।

- जैसा कि फार्मों में गैर-प्राधिकृत एल. वेन्नामई पालन की निरीक्षण दल द्वारा पुष्टि के अनुसार दिनांक 19 दिसंबर 2014 को आयोजित प्राधिकरण की 50वीं बैठक में लिए गए संकल्प के अनुसार कुरुग्राम में अवस्थित इशाकापल्ली के हैमलेट, अल्लूरमंडल, जिला नेल्लौर, आंध्रप्रदेश के 9 गैर-पंजीकृत फार्मों को चेतावनी नोटिस जारी किए गए थे। इस संकल्प की प्रति अग्रेषित करके जिला कलेक्टर को भी मामले की सूचना दी गई थी।

(x) एसपीएफ एल. वेन्नामई का उत्पादन

एसपीएफ एल. वेन्नामई का पालन देश में दिसंबर 2009 के दौरान शुरू किया गया था और चालू वर्ष के अंत तक (31-03-2015) सीएए द्वारा 6,782.04 हेक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) सहित एसपीएफ एल. वेन्नामई का पालन करने के लिए सीएए द्वारा 1,076 फार्मों को अनुमोदित किया गया था।



एल. वेन्नामई फार्म में फसल की वृद्धि

इन फार्मों में एसपीएफ एल. वेन्नामई का औसत उत्पादन 8.55 एमटी/हेक्टेयर/वर्ष (रेंज 5.96-11.14 एमटी/हेक्टेयर) है जो विगत तीन वर्षों से अधिक की अवधि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि है। एल. वेन्नामई फार्मों में उत्पादकता में वृद्धि का पूरे झींगा सेक्टर की समग्र उत्पादकता पर और साथ ही भारत से झींगाओं के निर्यात पर भी पड़ा है।

इन फार्मों में स्टाक के घनत्व की रेंज 0.37-0.57 मिलियन/हेक्टेयर है और पालन की अवधि 62 से 126 दिन के बीच भिन्न-भिन्न है। एल. वेन्नामई झींगाओं का विकास औसत शरीर भार 21.5 ग्राम (15.6 ग्राम से 27.4 ग्राम के बीच) और 78.0% उत्तरजीविता के औसत (रेंज 65-90%) के साथ हुआ है और खाद्य संरक्षण अनुपात का औसत (एफसीआर) 1.35 (रेंज 1.1 से 1.6 के बीच) है।



फार्म-एल. वेन्नामई की नई फसल



जीएक्यूपी-फसल की कटाई के बाद देखभाल

एसपीएफ एल. वेन्नामई का समूहों के रूप में पालन

सीएए द्वारा ईटीएस तथा जैव सुरक्षा उपाय करके सामूहिक पालन प्रणाली को छोटे फार्मों के स्वामी किसानों द्वारा एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन को सुसाध्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार सीएए द्वारा पंजीकृत 1,076 फार्मों (कुल फार्म क्षेत्रफल 1,018.63 हेक्टेयर) में से 569 सामूहिक फार्म हैं जिनमें 2,608 छोटे फार्मों के किसान शामिल हैं और कुल फार्म क्षेत्रफल 5,430.78 हेक्टेयर है। सामूहिक फार्म 31-03-2015 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत कुल फार्मों का 52.88% हैं और पालन के कुल क्षेत्र का 54.21% क्षेत्र इनके तहत आता है (चित्र 32)।



चित्र 32: एल. वेन्नामई में सामूहिक पालन

(xi) लिटोपेनस वेन्नामई पालन करने के लिए पी. मोनोडान पालन हेतु पंजीकृत फार्मों को अनुमति प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश

कृषि मंत्रालय ने दिनांक 16 फरवरी 2015 की राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर.100(ई) के जरिए उन फार्मों को अनुमति प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो कम घनत्व वाली एल. वेन्नामई पालन करने के लिए पी. मोनोडान पालन हेतु पंजीकृत हैं।

इस अनुमोदन के संबंध में जल कृषकों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दिनांक 12 मार्च 2015 को एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें उन तटीय क्षेत्रों के झींगा किसानों को सूचना दी गई थी जो पी. मोनोडान के लिए पंजीकृत फार्मों में कम घनत्व वाले एल. वेन्नामई पालन करने के इच्छुक हैं और यह बताया गया था कि वे सुविधा की जांच पर पृष्ठांकन हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र सहित अनुमोदन के लिए सीएए को पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। किसानों को यह भी सूचित किया गया था कि जो किसान अब तक अपने फार्मों का सीएए में पंजीकरण नहीं कराए हैं वे एल. वेन्नामई पालन के लिए अपने इरादे को बताते हुए पंजीकरण के लिए जिला-स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन कर सकते हैं और ऐसे आवेदन-पत्रों पर नियम के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। उक्त ब्यौरे प्राधिकरण की वेबसाइट www.caa.gov.in पर डाले गए थे।

(xii) एल. वेन्नामई हैचरियों/ फार्मों की निगरानी

पालन से संबंधित सामाजिक और पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभावों जैसे जल प्रदूषण रोगों में वृद्धि और फैलाव, राहत, पर्यायवास प्रभावों और आस-पास के समुदायों पर सामाजिक प्रभावों को रोकने के लिए नियमित अंतराल में फार्मों/ हैचरियों का दौरा करके झींगा हैचरियों और फार्मों की सीएए द्वारा प्राधिकृत दल द्वारा नियमित निगरानी की जाती है। प्रचालन के कारण हैचरियों/ फार्मों में जैव सुरक्षा की स्थिति, उत्पादन प्रणालियों में उत्पादन तरीकों, कार्य निष्पादन, जल गुणवत्ता, स्वस्थ बीजों/ झींगों/ पर्यावरणीय समस्याओं, यदि कोई हो, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। अनुमत हैचरियों और फार्मों से निकले अपशिष्ट जल नमूनों को जांच के लिए ईटीएस के अंतिम निकासी बिंदु से एकत्रित किया जाता था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीएए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अपशिष्ट जल प्राचलों को पूरा किया जाए।

- वर्ष 2014-15 के दौरान सीएए निगरानी दल ने कुल मिलाकर सीएए द्वारा अनुमत 77 हैचरियों (आंध्र प्रदेश के नेल्लौर और पूर्वी गोदावरी जिलों में 25, तमिल नाडु के कांचीपुरम, विल्लूपुरम और नागापट्टिनम जिलों में 52) और 35 फार्मों (आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिलों में 26 और तमिल नाडु के कुड्डालोर और नागापट्टिनम जिले में 9) का दौरा किया।
- उक्त हैचरियों के ईटीएस के अंतिम निकास बिंदु से एकत्र किए गए अपशिष्ट जल नमूने सीएए द्वारा निर्धारित अपशिष्ट जल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप थे किंतु 31 हैचरियों और 4 फार्म ऐसे थे जिनके अपशिष्ट जल की गुणवत्ता सीएए मानकों से अधिक थी। उन्हें चेतावनी पत्रों द्वारा सावधान किया गया था कि वे जल गुणवत्ता को अपेक्षित स्तर पर लाएं। सीएए ने हैचरियों के स्वामियों को जैविक भार के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए अपनी ईटीएस में आवश्यक सुधार करने का निर्देश भी दिया था।
- उत्पादन सुविधाओं का निरीक्षण किया गया था और अभिलेखों/पंजिकाओं का भी सत्यापन किया गया था और आयातित ब्रूडस्टॉक की मात्रा, उनका स्रोत, मोरटैलिटी यदि कोई हो, अंडे, नौपल्ली, उत्पादित/बेंचे गए पोस्ट लार्वा और उन किसानों का नाम और पता जिनको बीज बेचें गए थे, हैचरियों के सीएए नामांकन की तारीख और संख्या; उत्पादित, बिक्री किए गए झींगा की मात्रा, उन प्रसंस्करणकर्ताओं का नाम एवं पता जिन्हें इनकी बिक्री की गई थी, आदि संबंधी ब्यौरों की जांच की गई थी। किसानों/हैचरी प्रचालकों को उपयुक्त अभिलेखों को अनुरक्षित करने की आवश्यकता और उक्त अधिसूचना में यथा अपेक्षित सीएए को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में बार-बार बताया गया था। किसानों को उत्तरदायी, पारिस्थितिकीय और आर्थिक तौर पर वहनीय जल कृषि कार्यकलापों को अपनाने और सुरक्षित तथा गुणवत्ता वाले जल कृषि उत्पादों का उत्पादन करने की सलाह भी दी गई थी। स्थल विशिष्ट प्रोबायोटिक लागू करने के साथ-साथ के उत्पादन में श्रेष्ठ जलकृषि पद्धतियों (जीएक्यूपीएस) को अपनाने का सुझाव भी दिया गया था।



हैचरियों की प्रगति में निगरानी



एल. वेन्नामई फार्म में ट्रे निगरानी जांच



एल. वेन्नामई फार्म में जैविक निगरानी

ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाने, ब्रूडस्टॉक के आयात तथा क्वारन्टाइन में कठोर विनियमन ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि देश में अब तक आयातित एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक ओआई में सूचीबद्ध रोगाणुओं से मुक्त हों। इसी प्रकार, जैव सुरक्षा सुविधाओं को सुनिश्चित करने के बाद हैचरियों और फार्मों का अनुमोदन करना जो यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और नियमित निगरानी है कि दिशा-निर्देशों को उचित रूप से कार्यान्वित किया गया है और फार्मों तथा हैचरियों के ईटीएस से निकले अवशिष्ट जल गुणवत्ता प्राचल सीएए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो इसने झींगा पालन क्षेत्र को रोगों विशेष रूप से अर्ली मोरटैलिटी सिन्ड्रोम (ईएमएस) से बचने में सक्षम बनाया है। यद्यपि, इसने पड़ोसी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों झींगा फार्मों को नष्ट कर दिया है।



एल. वेन्नामई हैचरियों में अभिलेखों की जांच



एल. वेन्नामई हैचरियों में अभिलेखों की जांच



एल. वेन्नामई फार्म में अभिलेखों की जांच



अपशिष्ट जल के नमूने इकट्ठा करना

IV. जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला

हैचरियों और फार्मों से निकलने वाले अपशिष्ट जल की नियमित निगरानी के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि निष्कासित अपशिष्ट जल गुणवत्ता प्राचल सीएए अधिनियम और नियमों द्वारा निर्धारित मानकों के भीतर रहे, सीएए के तकनीकी खण्ड में जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला स्थापित की गई है। जल गुणवत्ता निगरानी के लिए अपेक्षित अन्य उपकरणों के अलावा प्रयोगशाला सीएचएनएसओ एनेलाइजर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, नाइट्रोजन जेलटेक स्टीलेशन यूनिट, मल्टीपैरामीटर वाटर क्वालिटी सोडू, मिल्लीपोर टिट्रेशन सिस्टम, बीओडी इंक्यूबेटर, सीओडी एनालाइजर और हैडसैम्पलर (जीसी-एमएस) सहित गैस क्रोमैटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रेम जैसे उपकरणों के संस्थापनों सहित पूरी तरह से सुसज्जित है।

V. वेबसाइट का अद्यतन

सीएए की वेबसाइट अर्थात www.caa.gov.in को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र चैनै के माध्यम से अपलोड किया जाता है। इससे आंकड़े वैश्विक तौर पर देखे जा सकते हैं और विदेशों में खरीददार पता लगाने योग्य फार्मों के पूरे ब्यौरे प्राप्त करते हैं। झींगा किसान और हैचरी प्रचालक नामांकन के लिए आवेदन-पत्रों तथा पालन और बीज उत्पादन के लिए दिशा-निर्देशों संबंधी विस्तृत सूचना प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर संपर्क करते हैं। वेबसाइट पर विस्तृत सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। वेबसाइट पर जलकृषि फार्मों/ हैचरियों के पंजीकरण और नवीकरण के तौर-तरीकों से संबंधित पूरे ब्यौरे झींगा हैचरियों के लिए विनियमन, ब्रूडस्टाक का आयात, जलीय संगरोध, झींगा फार्मों और एसपीएफ एल. वेन्नामई तथा एसपीएफ पी. मोनोडान झींगाओं से संबंधित ब्यौरे भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा, वेबसाइट पर सीएए अधिनियम, प्राधिकरण के नियम, विनियम तथा दिशा-निर्देशों, प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य बजट और लेखाओं से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों, जनहित के अन्य महत्वपूर्ण मामले तथा प्राधिकरण द्वारा गठित विभिन्न समितियों की सूची भी वेबसाइट पर दी गई है। सीएए ने वेबसाइट पर झींगा फार्मों और हैचरियों के पंजीकरण और नवीकरण से संबंधित डाटाबेस को अद्यतन किया है जिनके जरिए पंजीकृत फार्मों और हैचरियों के ब्यौरे अंत्यप्रयोक्ताओं को उपलब्ध करवाए जाते हैं और डाटाबेस को आवधिक रूप से अद्यतन बनाया जा रहा है। सीएए के सभी प्रकाशनों, दस्तावेजों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, विज्ञापन आदि तथा जनहित के अन्य सभी मामलों को भी डाउनलोड किए जाने योग्य फार्मेट में वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है और इन्हें भी नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। सीएए की वेबसाइट पर जलकृषि फार्मों/ हैचरियों के पंजीकरण/नवीकरण, तिमाही अनुपालना रिपोर्ट, जलीय संघरोध में स्थान के आरक्षण, एंटीबायोटिक्स के परीक्षण के लिए जैविक नमूने, प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स की सूची, अपशिष्ट जल गुणवत्ता मानकों आदि से संबंधित विभिन्न फार्म प्रयोक्ताओं के अनुकूल फार्मेट में उपलब्ध हैं जिन्हें अंत्यप्रयोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। नई और नवीनतम सूचना वेबसाइट पर पाक्षिक रूप से अपडेट की जाती है।

सीएए वेबसाइट के जरिए जलकृषि फार्मों की आनलाइन पंजीकरण की नई अवधारणा में सतत रूप से वृद्धि हुई है जो उपयोग के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाएगी और इससे किसानों को लाभ होगा।

VI. तटीय जलकृषि प्राधिकरण को मजबूत बनाना

तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पास 10 तटीय राज्यों और 4 तटीय केन्द्र शासित प्रदेशों में तटीय जलकृषि कार्यकलापों को विनियमित करने का क्षेत्राधिकार है। 2005 में जब

सीएए अधिनियम, 2005 के सांविधिक प्रावधान के तहत सीएए को स्थापित किया गया था तो 1977 में जारी तटीय जलकृषि प्राधिकरण को केन्द्र सरकार ने मूल रूप से 21 कर्मचारियों की मंजूरी प्रदान की थी। 2008 में सीएए का प्रमुख कार्यकलाप नए और पुराने झींगा फार्मों का डीएलसी और एसएलसी द्वारा निर्धारित निरीक्षण करवाकर पंजीकरण करना था। 2009 से विदेशी झींगा एसपीएफ एल. वेन्नामई शुरू होने से सीएए को कई अतिरिक्त कार्य दिए गए हैं जिनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं:

- बीज उत्पादन और इसकी कृषि के लिए भारतीय हैचरियों को आपूर्ति करने वाले विदेशी एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टाक आपूर्तिकर्ताओं की सूची बनाना।
- सभी संबद्ध संस्थाओं से विचार-विमर्श करके एसपीएफ एल. वेन्नामई की वार्षिक आवश्यकता का खाका तैयार करना।
- जलीय संगरोधन के प्रचालन को देखने के लिए तकनीकी समिति का नेतृत्व करना।
- एल. वेन्नामई ब्रूडस्टाक के आयात और बीज उत्पादन की अनुमति देने और गैर-प्राधिकृत प्रजनन को रोकने के लिए कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए हैचरियों का निरीक्षण करना।
- परिसंघ के निर्माण के लिए प्रमुख हैचरियों का निरीक्षण करना।
- निर्माण से पूर्व फार्मों और हैचरियों का निरीक्षण।
- एल. वेन्नामई पालन की अनुमति देने और इस प्रजाति की गैर-प्राधिकृत कृषि को रोकने के लिए कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए हैचरियों का निरीक्षण करना।
- हैचरियों और फार्मों के अपशिष्ट जल की सतत रूप से निगरानी।
- जलकृषि में प्रतिबंधित दवाओं और रसायनों के उपयोग की निगरानी।
- हैचरियों/ फार्मों द्वारा गैर-प्राधिकृत कार्यकलापों के बारे में की गई विशिष्ट शिकायतों पर कार्रवाई।
- प्राधिकरण की वेबसाइट में सभी एन. वेन्नामई कार्यकलापों के संबंध में सूचना अपलोड करना।
- सार्वजनिक सूचना जारी करना, उत्तरदायी जलकृषि कार्य व्यवहारों के संबंध में जागरूकता फैलाना, तटीय राज्यों से संपर्क करना, डीएलसी/ एसएलसी और पणधारकों के साथ बैठक।

केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित उक्त अतिरिक्त कार्यभार का ध्यान में रखते हुए सीएए में स्टाफ को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा, भारत के पास 8,000 कि.मी. से अधिक सामुद्रिक तटरेखा होने के नाते इसके क्षेत्रीय केन्द्र होना आवश्यक है ताकि समग्र क्षेत्र को कवर किया जा सके। इसलिए, गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश राज्यों में 3 क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने जिसका स्टाफ 30 व्यक्तियों का हो और तमिल नाडु में मुख्यालय को मजबूत करने के लिए 34 अन्य पदों का प्रस्ताव सितंबर 2014 के दौरान पशुपालन और डेयरी तथा मात्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था जिसमें सरकार से शीघ्र अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ताकि सीएए उसे दी गई जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निष्पादित कर सके।

(i) गुजरात में सीएए के प्रस्तावित क्षेत्रीय केन्द्र के लिए क्षेत्राधिकार

फरवरी 2015 के दौरान गुजरात में सीएए के प्रस्तावित क्षेत्रीय केन्द्र के लिए क्षेत्राधिकार के संबंध में मंत्रालय के प्रश्न के उत्तर में, सूरत/ वालसाड़ में क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने के लिए पूरे क्षेत्राधिकार सहित एक विस्तृत प्रस्ताव आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है जिसमें इस उद्देश्य के लिए तटीय गुजरात के भौगोलिक लाभ का ब्यौरा दिया गया है।

(ii) चेन्नै में सीए के मुख्यालय का स्थान परिवर्तन

सीए अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित तटीय जलकृषि प्राधिकरण चेन्नै स्थित अपने मुख्यालय से कार्य कर रहा है। हाल तक प्राधिकरण हैडोज रोड, चेन्नै-600 006 में शास्त्री भवन सौध के एक छोटे से हिस्से में कार्य कर रहा था और उसको आबंटित स्थान मुश्किल से उसकी वर्तमान मांग को पूरा करता था। इसलिए, प्राधिकरण का तकनीकी खण्ड बेपेरी में किराए के भवन में कार्य कर रहा था। एक स्थान पर सभी खण्डों को रखने के लिए उपयुक्त सरकारी भवन को प्राप्त करने के प्रयास पूरे नहीं हुए इसलिए प्राधिकरण ने जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वनुवामपेट्टई, मेडिपक्कम, चेन्नै-600 091 में उपयुक्त निजी भवन लिया था और मार्च 2015 से नए परिसर में चला गया।

प्राधिकरण का क्षेत्रीय केन्द्र (आरसीज) स्थापित करके और अपने मुख्यालय को मजबूत करके तथा स्टाफ को एक जगह रखने और इसके साथ-साथ प्रयोगशाला सुविधा वाले स्थायी साज-सज्जा और अन्य सुविधाओं के लिए चेन्नै में सीए के राष्ट्रीय मुख्यालय परिसर का निर्माण करके सीए के संगठनात्मक ढांचे के विस्तार के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। तमिल नाडु सरकार से इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के लिए विगत में प्रयास किए गए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वर्ष 2013-14 के दौरान सचिव, मात्स्यिकी, तमिल नाडु सरकार से सैदापेट, चेन्नै में शीघ्र निर्माण के लिए प्रस्तावित उनके मात्स्यिकीय परिसर में एक तल पर पर्याप्त स्थान आबंटित करने का पुनः अनुरोध किया गया है।

VII. सीए में राजभाषा (हिन्दी) का कार्यान्वयन

सीए केन्द्र सरकार की हिन्दी शिक्षण योजनाओं के जरिए अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाकर राजभाषा के कार्यान्वयन को भी बढ़ावा दे रहा है।

- 2013-14 के दौरान प्राधिकरण के एक कर्मचारी ने प्रज्ञा पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया।
- 2013-14 के दौरान प्राधिकरण के एक कर्मचारी ने प्रवीण पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया।
- 2013-14 के दौरान प्राधिकरण के एक कर्मचारी ने प्रबोध पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया।

VIII. सीए के अतिरिक्त कार्यकलाप

(i) कार्यशाला/ सेमिनार में भागीदारी

- सीए ने दिनांक 28-02-2015 को चेन्नै में मात्स्यिकी तकनीकीतंत्री फार्म और केन्द्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान (सीआईबीए) द्वारा आयोजित समुद्र आधारित जलकृषि की स्थिति और वाणिज्यिक उत्पादन को आगे ले जाने के संबंध में एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया जिसमें सदस्य सचिव, सीए ने कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के दौरान अभिभाषण दिया और सीआईबीए द्वारा तैयार की गई 'समुद्र आधारित (लेट्स केलकैरीफर) बीज उत्पादन और कृषि के लिए पुस्तिका' जारी की। ब्रूडस्टाक विकास की वर्तमान स्थिति और बीज उत्पादन, नर्सरी के संबंध में प्रदर्शन का मूल्यांकन और पालन को बढ़ाने, किसानों द्वारा समुद्र आधारित पालन में प्राप्त अनुभव की समीक्षा और बड़े स्तर पर वाणिज्यिक उत्पादन के लिए भावी कार्यनीतियों जैसे

थीम पर कार्यशाला में ध्यान केन्द्रित किया गया और तकनीकी सत्र में विस्तार से चर्चा की गई और कुछ प्रमुख सिफारिशें सरकार के विचारार्थ तैयार की गई।



सदस्य सचिव, सीए कार्यशाला और मैनुअल के प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए

- सीए के कर्मचारियों ने 21-22 फरवरी 2015 तक विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) द्वारा आयोजित अक्वा अक्वारिया इंडिया-2015 के जलकृषि तकनीकी सम्मेलन में भाग लिया। 5 सत्रों के जरिए सम्मेलन में जलकृषि की विविधता, मछली के स्वास्थ्य का प्रबंधन और जैव सुरक्षा आवश्यकताओं, जलकृषि पोषण, सजावटी फिश कृषि और प्रमाणन तथा खाद्य सुरक्षा एवं विपणन पर विशेष ध्यान दिया गया, जिस पर संबंधित क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त व्यक्तियों द्वारा तकनीकी पत्रों को प्रस्तुत करके विस्तार से चर्चा की गई।

(ii) मेलों/ प्रदर्शनियों में भागीदारी

- सीए ने दिनांक 28-01-2015 को चेन्नै में समुद्र आधारित कृषि की स्थिति और वाणिज्यिक उत्पादन को आगे ले जाने के संबंध में राष्ट्रीय कार्यशाला से संबंधित मात्स्यिकी तकनीकी तंत्रीय मंच और केन्द्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान (सीआईबीए) द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया।
- सीए ने 21 से 22 फरवरी 2015 तक विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में आयोजित अक्वा अक्वारिया इंडिया-2015 के संबंध में समुद्र उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया। प्रदर्शनी में देश में जलकृषि क्षेत्र (सजावटी उत्पाद सहित) क्षेत्र में अद्यतन विकास और विभिन्न पालन तकनीकों में शामिल मशीनरियों में नवोन्मेष के साथ-साथ विदेशों और विभिन्न विदेशी देशों को भारत से समुद्र उत्पादों के निर्यात में हाल के रुझानों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।
- इस समारोह में एक स्टॉल लगाया गया था और सीए के उद्देश्यों, कार्यों और कार्यकलापों को दर्शाते हुए पोस्टर लगाए गए थे जिनमें झींगा किसानों/ हैचरी प्रचालकों द्वारा अपनाए जाने योग्य अच्छी जलकृषि पद्धतियां (जीएक्यूपी), जलकृषि में एंटीबायोटिक्स, रसायनों और ड्रग्स के दुरुपयोग के संबंध में जागरूकता तथा एसपीएफ एल. वेन्नामई बीज उत्पादन तथा पालन के लिए दिशा-निर्देश और जैव सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को भी दर्शाया गया था।

- महत्वपूर्ण अवधारणा के संबंध में देशी भाषा में पर्चे भी वितरित किए गए थे।
- बड़ी संख्या में जल किसानों, हैचरी प्रचालकों, आदान आपूर्तिकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं, मत्स्यपालन अधिकारियों, विद्यार्थियों और जनता ने स्टाल देखा। स्टाल पर जिंदा जानवरों का प्रदर्शन भीड़ के आकर्षण का केन्द्रा बना रहा और भीड़ द्वारा इन प्रजातियों के संबंध में सीएए विनियमनों तथा पालन तकनीकों के बारे में अनेक सवाल पूछे गए।



चेन्नै में हुई प्रदर्शनी में सीएए स्टाल



विजयवाड़ा में संपन्न अक्वा अक्वारिया-2015 में सीएए स्टाल

(iii) सीएए द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम

- आंध्र प्रदेश के गंगापट्टनम ग्राम, इन्दुकुरुपेट मंडल, नेल्लौर जिले में दिनांक 07-11-2014 को एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 200 झींगा किसानों/ हैचरी प्रचालकों और राज्य के राज्य मात्स्यकी अधिकारियों ने भाग लिया था। जागरूकता

कार्यक्रम के दौरान, सीएए अधिनियम, 2005 के तहत नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों में यथा-निर्धारित सीएए के अधिकारों और कार्यों पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया था। एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग, टिकाऊ जलकृषि के लिए एफएओ की नियमावली, अच्छे जलकृषि व्यवहारों (जीएक्यूपीएस) और एसपीएफ एल. वेन्नामई के उत्पादन के लिए हैचरियों और फार्मों को विनियमित करने के दिशा-निर्देशों से संबंधित मुद्दों को भी कार्यक्रम में सीएए अधिकारियों द्वारा स्थानीय भाषा में कवर किया गया था। स्थानीय भाषा में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पर्चे भी वितरित किए गए थे।



नेल्लौर जिले के गंगापट्टनम ग्राम में प्रगति में जागरूकता कार्यक्रम

(iv) संसदीय समितियों का दौरा

- लोक सभा के पटल पर रखे गए दस्तावेजों के संबंध में संसदीय समिति ने दिनांक 17-01-2015 को चेन्नै में अपना अध्ययन दौरा किया था। समिति के माननीय अध्यक्ष और सदस्यों ने संसद में प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खातों को रखने में विलंब के संबंध में तटीय जलकृषि प्राधिकरण के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया था। सदस्य सचिव सीएए, निदेशक (मात्स्यिकी) डीएचडी एंड एफ, सहायक आयुक्त (मात्स्यिकी) बीएचडीएंडएफ, सहायक निदेशक (तकनीकी) सीएए और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सीएए ने प्राधिकरण की ओर से विचार-विमर्श में हिस्सा लिया था। लोक सभा सचिवालय द्वारा भेजी गई प्रश्नावली का समय से उत्तर दे दिया गया था।
- कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 17 जनवरी से 4 फरवरी 2015 के दौरान महत्वपूर्ण मात्स्यिकी स्थलों का दौरा किया था। समिति ने चेन्नै में

31 जनवरी 2015 को प्राधिकरणों, अपीलीय प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकारियों (शर्त एवं सेवा) बिल 2014 पर विचार-विमर्श बैठक की थी। सीएए से सदस्य सचिव, सलाहकार और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने सीएए अधिनियम, 2005 के प्रावधानों विशेषतौर पर अध्यक्ष और सदस्यों की निबंधन एवं शर्तों, प्राधिकरण के समक्ष अपील पर अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं और मजदूरों को भुगतान की जाने वाली प्रतिपूर्ति के निपटान के लिए एक व्यक्ति वाले प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों आदि के संबंध में विचार-विमर्श में भाग लिया था। लोक सभा सचिवालय द्वारा भेजी गई प्रश्नावली का समय से उत्तर दे दिया गया था।



सीएए के कार्यकलापों एवं उपलब्धियों के बारे में संसदीय समिति को अवगत कराते सदस्य सचिव

(v) अन्य संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/ सेमिनारों/ गोष्ठियों में सीएए के सदस्यों/ अधिकारियों की भागीदारी

- अध्यक्ष, सीएए ने चेन्नै में 21 जनवरी 2015 को आयोजित झींगा हैचरी प्रचालकों के सामने उपस्थित हुए विभिन्न मुद्दों के लिए सीएए की समीक्षा बैठक का उद्घाटन किया और उद्घाटन भाषण दिया।
- सीएए की भूमिका और इसके कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए नई दिल्ली 7 मई 2014 को आयोजित बैठक में सदस्य सचिव, सीएए ने सचिव, पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग के साथ भाग लिया।
- समिति सचिव (मात्स्यिकी) की अध्यक्षता में कृषि भवन, नई दिल्ली में 23 मई 2014 को भारतीय जल में विदेशी जलीय प्रजातियों को लाने के संबंध में राष्ट्रीय समिति की 15वीं बैठक में सदस्य सचिव, सीएए ने भाग लिया।
- एफडीए भवन, नई दिल्ली में 26 मई 2014 को आयोजित मछली और मत्स्य उत्पाद के लिए वैज्ञानिक पैनल की चौथी बैठक में सदस्य सचिव, सीएए ने भाग लिया।
- हैदराबाद में 19-21 जून 2014 तक आयोजित एशिया प्रशान्त मात्स्यिकी आयोग की पांचवी क्षेत्रीय परामर्शदात्री फोरम बैठक में सदस्य सचिव, सीएए ने भाग लिया।
- कृषि भवन, नई दिल्ली में 30 जून 2014 को आयोजित जलीय जीव व्याधियों के लिए राष्ट्रीय सतर्कता कार्यक्रम की निगरानी करने के लिए तकनीकी सलाहकार समिति की चौथी बैठक में सदस्य सचिव, सीएए ने भाग लिया।

- नई दिल्ली में 28 जुलाई 2014 को आयोजित एल. वेन्नामई कार्यक्रम शुरू करने और सीएए के संबंध में सदस्य सचिव, सीएए ने सलाहकार, सीएए के साथ केन्द्रीय मंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण में भाग लिया।
- मात्स्यिकी प्रौद्योगिकीय संस्थान, तमिल नाडु मात्स्यिकी विश्वविद्यालय, नागापट्टनम द्वारा 13 अगस्त 2014 को आयोजित एल. वेन्नामई पालन के संबंध में नई प्रौद्योगिकियों पर जागरूकता कार्यक्रम में सदस्य सचिव, सीएए ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
- एनएससी, पूसा, नई दिल्ली में 16 और 17 सितंबर 2014 को कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्य मात्स्यिकी मंत्रियों की राष्ट्रीय कांफ्रेंस में सदस्य सचिव, सीएए ने भाग लिया।
- अंगोला में सीआईबीए द्वारा 10 अक्टूबर 2014 को आयोजित एल. वेन्नामई पालन और बेहतर प्रबंधन प्रथाओं के विकास के संबंध में कार्यशाला में सदस्य सचिव, सीएए ने भाग लिया।
- कृषि भवन, नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय में 13 अक्टूबर 2014 को आयोजित तिलापिया बीज और उत्पादन में सुधार की जांच और निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर की विषय निर्वाचन समिति की दूसरी बैठक में सदस्य सचिव, सीएए ने भाग लिया।
- नई दिल्ली में 27 अक्टूबर 2014 को आयोजित विदेशी मछलियों को लाने के संबंध में समिति की 16वीं बैठक में सदस्य सचिव, सीएए ने भाग लिया।
- मुंबई में 30 अक्टूबर 2014 को आयोजित जल कृषि पर भारत-नावे सहयोग संयुक्त कार्यशाला में सदस्य सचिव, सीएए ने भाग लिया।
- रामेश्वरम में सीएमएफआरआई द्वारा आयोजित द्वारा 4 नवंबर 2014 को आयोजित खुले समुद्र में केज कल्चर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में विचार-विमर्श पैनल में सदस्य सचिव, सीएए ने भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने एनबीएफजीआर, लखनऊ में 13 और 14 नवंबर 2014 को आयोजित दसवीं भारतीय मात्स्यिकीय और जलकृषि फार्म में भाग लिया और तकनीकी खण्ड की अध्यक्षता की।
- सदस्य सचिव, सीएए ने केन्द्रीय खारा जल, जलकृषि संस्थान (सीआईबीए) के काकडीप अनुसंधान केन्द्र में 9 दिसंबर 2014 को आयोजित 'खारा जल जल किसान सम्मेलन' में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने एनएससी परिसर, नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकेडमी द्वारा दिनांक 29 एवं 30 दिसंबर 2014 को आयोजित जलकृषि प्रमाणन पर बौद्धिक सत्र में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने आंध्र प्रदेश में 17 से 19 फरवरी 2015 तक कुछ एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों का दौरा किया।
- कृषि भवन, नई दिल्ली में 2 मार्च 2015 को आयोजित तिलापिया बीज और उत्पादन में सुधार की जांच और निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर की विषय निर्वाचन समिति की तीसरी बैठक में सदस्य सचिव, सीएए ने भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने आंध्र प्रदेश में जलकृषि को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श हेतु हैदराबाद में 9 मार्च 2015 को आयोजित मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश द्वारा संयोजित बैठक में भाग लिया।

- निदेशक (तकनीकी) सीएए ने राजकमंगलम, जिला-कन्याकुमारी, तमिल नाडु में 27 मार्च 2015 को समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र, मनोनमनियम सुन्दरानर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'दल-दल भूमि प्रजाति और पारिस्थितिकीय प्रणाली का संरक्षण पर राष्ट्रीय सम्मेलन' में भाग लिया जिसमें उन्होंने 'तमिल नाडु में मैनग्रोव के मामले में तटीय पारिस्थितिकीय प्रणाली का आर्थिक मूल्यांकन' पर एक प्रस्तुतीकरण दिया और समापन भाषण भी दिया।
- सहायक निदेशक (तकनीकी) और वरिष्ठ तकनीकी सहायक, सीएए ने 28 फरवरी 2015 को चेन्नै में आयोजित मात्स्यिकीय टेक्नोक्रेट फोरम और सीआईबीए द्वारा संगठित समुद्र आधार स्थिति की जलकृषि और इसे वाणिज्यिक उत्पादन के लिए आगे ले जाना विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।
- सहायक निदेशक (तकनीकी) और वरिष्ठ तकनीकी सहायक, सीएए ने 21-22 फरवरी 2015 के दौरान विजयवाड़ा में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा संगठित एक्वा एक्वारिया इंडिया वृ 2015 के जलकृषि तकनीकी सम्मेलन में भाग लिया।
- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सीएए ने 5-7 अगस्त 2014 के दौरान नई दिल्ली में आर्थिक अनुसंधान और प्रशिक्षण सोसायटी द्वारा आयोजित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर तकनीकी कार्यशाला में भाग लिया।

IX. वर्ष 2015-16 के दौरान किए जाने वाले संभावित कार्यकलाप

(i) पंजीकरण

तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण और नवीकरण एक सतत प्रक्रिया है। उम्मीद है कि अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक की अवधि के दौरान देश के और अधिक तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण किया जाएगा।

(ii) एल. वेन्नामई पालन के लिए अनुमोदन

लगभग 2,000 हेक्टेयर के अतिरिक्त फार्म क्षेत्र को एल. वेन्नामई पालन के तहत सीएए पंजीकरण में लाने का प्रस्ताव है।

(iii) निरीक्षण और निगरानी

सुविधाओं खासतौर से झींगा फार्मों और हैचरियों से निकलने वाले अपशिष्ट जल की गुणवत्ता की आवधिक निगरानी की जाएगी ताकि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना सुनिश्चित हो सके।

(iv) जागरूकता कार्यक्रम

पर्यावरण संरक्षण, तटीय जलकृषि कार्यकलापों और अच्छी जलकृषि पद्धतियों (जीएक्यूपीएस) के दीर्घकालिक विकास के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

(v) विज्ञापन और प्रकाशन

पणधारकों को सावधान करने तथा एहतियाती उपाय करने के लिए महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में सार्वजनिक सूचनाएं जारी की जाएंगी।

(vi) मैनुअल्स/ ब्रोशर तैयार करना

तृतीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, नियम और दिशा-निर्देशों के संग्रह को आगे संपादित किया जाएगा ताकि मंत्रालय द्वारा जारी सभी अधिनियम, दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं के संग्रह का कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा।

(vii) कार्यशालाएं और बैठकें

तृतीय जलकृषि कार्यकलापों में सामने आ रही समस्याओं का सामना करने के लिए पणधारकों की बैठकें आयोजित की जाएगी जिनमें प्रौद्योगिकीय सुधारों तथा अन्य पहलुओं के संबंध में विभिन्न समूहों के अनुभवों को साझा किया जाएगा।

सीएए तृतीय जलकृषि कार्यकलापों के संबंध में अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, सी-फूड मेलों और अक्वाशोज में यथासंभव भागीदारी करेगा।

(viii) क्षमता निर्माण

विनियामक उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अपने कार्यक्षेत्र में जानकारी को बढ़ाने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ के लिए प्रशिक्षण और अध्ययन यात्राओं का आयोजन किया जाएगा।

X. वर्ष 2014-15 के वित्त

(i) भारत के सीएंडएजी द्वारा सीएए की कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा

भारत में मात्स्यिकी संस्थानों के कार्य निष्पादन की समीक्षा के लिए सीएंडएजी के निर्देशों पर, लेखा महानिदेशक (केन्द्रीय), चेन्नै ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 की अवधि को कवर करते हुए जून-जुलाई 2014 में प्राधिकरण की कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा की थी। लेखा परीक्षा प्राधिकारियों ने तृतीय जलकृषि प्राधिकरण से संबंधित 'भारत में मात्स्यिकी कार्यकलापों पर कार्य निष्पादन समीक्षा' पर एक तथ्यगत नोट अग्रेषित किया था जिसे तथ्यों और टिप्पणियों पर प्राधिकरण की टिप्पणियों के लिए वर्ष 2014-15 हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की केन्द्र सरकार (केन्द्रीय व्यय) लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जा सकता है और उस पर विचार किया जा सकता है। तथ्यगत नोट में उठाए गए मुद्दों की प्राधिकरण द्वारा जांच की गई थी और लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को टिप्पणियां भेज दी गई थीं।

(ii) वित्ती वर्ष 2014-15 के दौरान वास्तविक वित्तीय परिणामों और कार्यकलापों का सार

वित्त वर्ष 2014-15 से संबंधित लेखों की लेखा परीक्षा महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चेन्नै द्वारा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत की गई थी और इसकी रिपोर्ट अनुबंध में दी गई है।

तृतीय जलकृषि अधिनियम प्राधिकरण, 2005 की धारा 16 और 17 के अनुसार तृतीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा किए गए बजट अनुमानों पर आधारित अनुदान सहायता पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के बजट प्रावधानों के तहत किशतों में उपलब्ध कराई गई थी। प्रशासन मंत्रालय ने दिनांक 16 दिसंबर 2013 के पत्र संख्या एफ-3-28-2013-बजट (एडीएफ) के तहत वित्त वर्ष 2014-15 के लिए केवल 300/- लाख रूपए का बजट अनुमान स्वीकृत किया था। मंत्रालय ने 11 दिसंबर 2014 के पत्र संख्या 3-28/2014-बजट (एडीएफ) द्वारा 250/- लाख रूपए का संशोधित अनुमान मंजूर किया था और कार्यालय में पूरी धनराशि का उपयोग कर लिया था।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तथा व्यय निम्नानुसार है:

प्रमुख शीर्ष 2405

उप शीर्ष-030031 अनुदान सहायता (अंतरण)

-030036 अनुदान सहायता (वेतन)

(लाख ₹ में)

मंत्रालय द्वारा स्वीकृत बजट प्राक्कलन	मंत्रालय द्वारा स्वीकृत संशोधित प्राक्कलन	प्राप्त राशि	खर्च की गई राशि	खर्च न की गई राशि
300	250	250	250	0.00

क्रम सं.	योजना का नाम	उप शीर्ष	बजट प्राक्कलन 2015-16
1	तटीय जलकृषि प्राधिकरण	131731 अनुदान सहायता (अंतरण) 131736 अनुदान सहायता (वेतन)	330

(iii) वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक लेखों का ब्यौरा

वर्ष 2014-15 के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण के वार्षिक लेखों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

XI. स्टाफ और प्राधिकरण की मौजूदा संगठनात्मक रचना

वर्तमान में वर्ष 2014-15 के दौरान सीएए में 21 स्वीकृत पद हैं जो निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	समूह	पद	स्वी कृत पद	प्रारंभ में स्टाफ की संख्या	वर्ष के दौरान वापस भेजे गए स्टाज की संख्या	वर्ष के दौरान स्टाफ में हुई वृद्धि	वर्ष के अंत में स्टाफ
1	क	निदेशक	1	0	0	1	1
		सहायक निदेशक	1	1	0	0	1
		वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0	0	1
2	ख	अधीक्षक	1	1	0	0	1
		निजी सचिव	2	2	0	0	2
		वरिष्ठ तकनीकी सहायक	2	2	0	0	2
		लेखाकार	1	1	1	0	1
		आशुलिपिक ग्रेड सी	2	1	1	0	0
3	ग	वरिष्ठ लिपिक	2	1	0	0	1
		आशुलिपिक ग्रेड डी	1	1	0	0	1
		कनिष्ठ लिपिक	2	1	0	0	1
		स्टाफ कार ड्राइवर	1	1	0	0	1
		एमटीएस	4	4	0	0	4
		योग	21	17	2	1	16

सलाहकार और परामर्शदाता

क्र.सं.	पदनाम	प्रारंभ में संख्या	वित्त वर्ष के दौरान छोड़ कर जाने वाले	वित्त वर्ष के शामिल होने वाले	वित्त वर्ष के अंत में
1	सलाहकार	1	0	0	1
2	परामर्शदाता	4	2	6	8

मैनपॉवर एजेंसी के जरिए संविदा पर

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या	वित्त वर्ष के दौरान छोड़ कर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या	वित्त वर्ष के दौरान नए व्यक्तियों की संख्या	वित्त वर्ष के अंत में व्यक्तियों की संख्या
1	कंप्यूटर प्रोग्रामर	1	0	0	1

XII. भर्ती/ सेवा निवृत्ति/ वापस भेजना

- डॉ. आर. पालराज ने तटीय जलकृषि के सदस्य सचिव के रूप में दो अवधि (6 वर्ष) की सेवा प्रदान करने के बाद 30 अप्रैल 2014 को अपना प्रभार वापस सौंप दिया।
- डॉ. पी. रविचन्द्रन, प्रधान वैज्ञानिक, केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान, चेन्नै ने 1 अक्टूबर 2014 से तटीय जलकृषि प्राधिकरण के नियमित सदस्य सचिव के रूप में प्रभार ग्रहण किया।
- डॉ. आर. जयरामन, आचार्य और विभागाध्यक्ष, मात्स्यिकी आर्थिक और प्रबंधन विभाग, मात्स्यिकी कालेज और अनुसंधान संस्थान, तमिल नाडु मात्स्यिकी विश्वविद्यालय, थुथुकुडी ने 6 फरवरी 2015 से तटीय जलकृषि प्राधिकरण के निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- सीएए में प्रतिनियुक्ति पर श्री आर. राजेन्द्रन, लेखाकार और श्रीमती के. कमलामबिकाई, स्टेनो ग्रेड 'सी' को क्रमशः दिनांक 4-08-2014 और 31-12-2014 को उनके मूल विभागों में वापस भेज दिया गया।

XIII. सूचना का अधिकार अधिनियम

वर्ष 2014-15 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुल इकतीस (31) आवेदन प्राप्त हुए थे। मांगी गई सूचना प्रस्तुत कर दी गई थी।

अनुलग्नक

सीएए की वार्षिक रिपोर्ट
और
वर्ष 2014-15 के लिए सीएंडएजी की
पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड्डई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(धनराशि-₹)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
संग्रह/ पूंजी निधि और देयताएं			
संग्रह/ पूंजी निधि	1	1,60,20,903	1,84,14,925
निर्धारित/ अक्षय निधियां	2	78,43,703	1,19,43,630
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	3	9,80,389	6,67,030
योग		2,48,44,995	3,10,25,585
संपत्ति			
अचल संपत्ति	4	1,42,51,507	1,61,45,481
पूंजी निवेश-निर्धारित/ अक्षय निधियां से	5	45,33,443	49,85,152
चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम, इत्यादि	6	60,60,045	98,94,952
योग		2,48,44,995	3,10,25,585
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	14		
आकस्मिक देयताएं और लेखांकन पर टिप्पणियां	15		

ह/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
 जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड्डई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा

(घनराशि-₹)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. आय			
अनुदान/ राजसहायताएं	7	2,50,00,000	2,37,86,111
शुल्क/ अभिदान	8	9,148	50
निवेश से आय (निर्धारित/ अक्षय निधियों से निवेश पर आय/ निधियों को निधियों में अंतरित किया गया)	9	-	-
अर्जित व्याज	10	4,90,947	4,87,383
अन्य आय	11	1,63,122	28,853
योग (क)		2,56,63,217	2,43,02,397
2. व्यय			
स्थापना व्यय	12	1,30,03,413	1,11,98,585
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	13	1,21,89,138	1,25,33,548
अनुदानों, राजसहायताओं आदि पर व्यय			-
मूल्य ह्रास	4	28,64,688	31,12,375
योग (ख)		2,80,57,239	2,68,44,508
व्यय से अधिक आय के अधिशेष/(कमी) के रूप में शेष (क-ख)			
विशेष संचय को अंतरित (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें) सामान्य संचय को/से अंतरण शेष		(23,94,022)	(25,42,111)
अधिशेष/(घाटे) के रूप में संग्रह निधि/पूंजी निधि में ले जाया गया			
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	14		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियां	15		

ह/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि 31.03.2015 को समाप्त होने वाले वर्ष/

प्राप्तियां	(धनराशि-रु)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रारंभिक शेष		
क) हाथ में नकदी ख) बैंक शेष i) चालू खातों में ii) जमा खातों में iii) बचत खातों में	92,36,623	73,47,557
2. प्राप्त अनुदान क) भारत सरकार से पूंजीगत प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां ख) राज्य सरकार से ग) अन्य स्रोत से (पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को अलग-अलग दर्शाएं)	2,50,00,000	35,13,889 2,37,86,111
3. निम्नलिखित क) निवेश ख) आय		
4. प्राप्त ब्याज क) बैंक जमाओं पर ख) ऋणों, अग्रिमों आदि पर ग) निर्धारित निवेशों पर	4,90,947	4,87,383 48,000
5. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें) क) परीक्षा शुल्क ख) निविदा शुल्क ग) विविध आय घ) आरटीआई शुल्क	7,900 61,342 248	28,853 50
6. उधार ली गई धनराशि		
7. कोई अन्य प्राप्तियां (ब्यौरे दें) क) जमानत राशि निक्षेप ख) त्यौहार अग्रिम की वसूली ग) हाथ में मुद्रा घ) साख पत्र ड.) अक्षय निधियां (प्रोसेसिंग फीस) च) आवेदन शुल्क (30%) छ) अग्रिम वापसी i) कार्य क्षेत्र में दौरे के लिए अग्रिम ii) निरीक्षण के लिए अग्रिम iii) बैठक के लिए अग्रिम iv) प्रिटिंग एवं स्टेशनरी के लिए अग्रिम v) वेतन के लिए अग्रिम vi) प्रशिक्षण के लिए अग्रिम vii) वाहन किराए पर लेने के लिए अग्रिम	2,50,000 44,550 5,839 29,21,995 4,17,345 378 5,443 15,317 1,864 13,600 8,000 7,553	3,01,000 2,15,671 47,34,197
योग	3,84,88,944	4,04,62,711

ह/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

प्राधिकरण

अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान खाता

भुगतान	(धनराशि-₹)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. व्यय		
क) स्थापना व्यय	1,30,03,413	1,11,98,585
ख) प्रशासनिक व्यय	1,14,92,674	1,25,33,548
2. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किए गए भुगतान (प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)		
3. किए गए निवेश और निक्षेप		
क) निर्धारित निक्षेप निधियों में से		32,56,773
ख) अपनी निधियों में		
4. अचल परिसंपत्तियां और चल रहे बड़े कार्य		
क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद	5,89,223	35,13,889
ख) चल रहे बड़े कार्यों पर व्यय		
5. अधिशेष धनराशि/ ऋणों की वापसी		
क) भारत सरकार को		
ख) राज्य सरकार को		
6. वित्त प्रभार (ब्याज)		
7. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
क) जमानत राशि	3,95,000	3,25,000
ख) निष्पादन जमानत राशि की वापसी		57,000
ग) त्यौहार अग्रिम	49,500	41,250
घ) पूर्वदत्त व्यय	35,595	11,043
ड.) निर्धारित निधि से व्यय	64,87,558	6,000
च) चिकित्सा अग्रिम		8,000
छ) खर्च नहीं की गई सहायता अनुदान की वापसी		
ज) पोस्ट मास्टर		
झ) हाथ में मुद्रा	70,000	2,75,000
8. ऋण एवं अग्रिम		
क) कार्य क्षेत्र में दौरे के लिए अग्रिम	20,000	
ख) निरीक्षण के लिए अग्रिम	42,603	
ग) बैठक के लिए अग्रिम	87,220	
घ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी के लिए अग्रिम	10,000	
ड.) वेतन के लिए अग्रिम	13,600	
च) प्रशिक्षण के लिए अग्रिम	16,000	
छ) वाहन खरीद के लिए अग्रिम	1,84,212	
9. अंतिम शेष		
क) हाथ में धनराशि		
ख) बैंक शेष		
i) चालू खाते में		
ii) जमा खाते में	59,92,346	92,36,623
iii) बचत खाते में		
योग	3,84,88,944	4,04,62,711

ह/-

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

अनुसूची 1: अक्षयधूँजी निधि

(धनराशि-₹)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष 1.04.2014 के प्रारंभ में शेष	1,84,14,925	1,74,43,147
जोड़ें: संग्रह धूँजी निधि में अंशदान		35,13,889
	1,84,14,925	2,09,57,036
घटाएं: आय एवं व्यय खाते से अंतरित आय से अधिक व्यय	(23,94,022)	(25,42,111)
जोड़ें: आय एवं व्यय खाते से अंतरित व्यय से अधिक व्यय		
वर्ष के अंत में शेष	1,60,20,903	1,84,14,925

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेडूई, मडिप्पावक्कम, चेन्नै-600 091
31.03.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

अनुसूची 2 : निर्धारित/ अक्षय निधियां (धनराशि-₹)

	निधिवार ब्यौरा							योग	
	फार्म पंजीकरण शुल्क	प्रोसेसिंग शुल्क (एल. वेन्नामई)		सामान्य भविष्य निधि	अंशदानिक भविष्य निधि	पेंशन निधि	ब्याज	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
		फार्म	हैचरी						
क) निधियों का प्रारंभिक शेष	21,11,823	44,67,784	21,07,250	8,68,000	9,60,358	10,87,019	3,41,396	1,19,43,630	72,15,433
ख) निधियों में वृद्धि	-	-	-	2,33,416	3,66,932	37,232	-	6,37,580	29,15,377
i. धान/अनुदान	-	-	-	-	-	-	1,92,662	1,92,662	3,41,396
ii. निर्धारित किए गए निवेश से आय	4,17,345	14,86,995	9,35,000	-	-	-	-	28,39,340	14,71,424
iii. शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (क + ख)	25,29,168	59,54,779	30,42,250	11,01,416	13,27,290	11,24,251	5,34,058	1,56,13,212	1,19,43,630
ग) निधियों के उद्देश्य के लिए उपयोग/ व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- अवल परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य बंदोबस्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- फार्मों के निरीक्षण पर यात्रा व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- प्रशिक्षण व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- सेमिनार/सम्मेलन आदि पर व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग ग (ग + ग ii)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)	25,29,168	59,54,779	30,42,250	11,01,416	45,339	11,24,251	5,34,058	78,43,703	1,19,43,630

नोट 1. ये आंकड़े को अनुदानों में निहित शर्तों के आधार पर संगत शीर्षों के तहत उद्घाटित किए गए हैं।
 2. केन्द्र/राज्य सरकार से प्राप्त योजनागत निधियों को पृथक निधियों के रूप में दर्शाना होता है और अन्य निधियों को मिलाया नहीं जाता है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

अनुसूची 3 : वर्तमान देयताएं और प्रावधान

(धनराशि-₹)

वर्तमान देयताएं	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. स्वीकृतियां				
2. विविध ऋणदाता : क) माल के लिए ख) अन्य				
3. निष्पादन जमानत राशि क) मैसर्स सिंसीयर ट्रेडर्स, चेन्नै ख) मैसर्स ऐश्वर्या निर्माण	1,11,139	1,11,139	5,000	5,000
4. पेशगी जमानत राशि क) मैरिट एंटरप्राइजेज ख) ऑर्बिट टेक्नोलॉजी ग) सार्टोरियस मैटचौट्रोनिक्इंडिया प्रा. लि. घ) एमईटीसी ड.) एजीलेंट टेक्नोलॉजी च) ब्रू लू स्टार लि., चेन्नै छ) डे एंड डे सर्विसेज प्रा.लि. ज) द होस्ट चेन्नै झ) एजीलेंट टेक्नोलोजीस, चेन्नै ट) एक्स सर्विसमैन ठ) डे एंड डे सर्विसेज प्रा.लि. ड) लक्ष्मी ट्रेवलस ढ) मैसर्स सिवा कैब्स, चेन्नै	44,250 25,000 2,50,000 50,000	3,69,250	20,280 44,250 4,500 20,000 1,75,000 50,500 25,000 27,000 2,50,000 20,000 25,000 500	6,62,030
5. प्रोद्भूत ब्याज किंतु देय नहीं: क) सुरक्षित ऋण/ उधारियां ख) असुरक्षित ऋण/ उधारियां				
6. सांविधिक देयताएं : क) नई पेंशन योजना (कर्मचारी अंशदान)				
7. अन्य प्रावधानं (आकस्मिक)		5,00,000		
योग		9,80,389		6,67,030

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेडुई, मडिप्पावक्कम, चेन्नै-600 091

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

अनुसूची 4: अचल परिसंपत्तिया (धनराशि-₹)

मद	मूल्य श्रस की दर (%)	सकल ब्यहंक				मूल्य श्रस			निवल ब्याक	
		वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यंकन		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के अंत में लागत मूल्यंकन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि होने पर	वर्ष के अंत मा योग
		30-09-14 तक	30-09-14 के बाद	30-09-14 के बाद	30-09-14 के बाद					
संयंत्र और मशीनरी	15	1,07,63,511	33,980	5,100	1,08,02,591	43,34,463	9,67,671	53,02,134	55,00,457	64,29,048
प्रयोगशाला उपकरण	15	52,54,588			52,54,588	7,32,717	6,78,281	14,10,998	38,43,590	45,21,871
कार्यालय उपकरण	15	38,49,223		5,797	38,55,020	16,33,099	3,33,288	19,66,387	18,88,633	22,16,124
कार	15	3,30,860			3,30,860	3,02,610	4,238	3,06,848	24,012	28,250
फर्नीचर और फिक्सचर्स	10	39,68,897			44,32,011	15,91,011	2,60,944	18,51,955	25,80,056	23,77,886
कंप्यूटर पंड पेरिफरलस	60	29,86,400		78,735	30,65,135	26,39,490	2,55,387	28,94,877	1,70,258	3,46,910
पुस्तकालय और तकनीकी पुस्तकें	60	19,65,291		3,81,491	23,49,279	17,39,899	3,64,879	21,04,778	2,44,501	2,25,392
योग		2,91,18,770		4,71,123	3,00,89,484	1,29,73,289	28,64,688	1,58,37,977	1,42,51,507	1,61,45,481

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड्डई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

अनुसूची 5 : निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश

(धनराशि-₹)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मियादी जमा प्राप्तियां (आईओबी)	22,62,437	20,69,775
एसबीखाता संख्या : 209501000007601 में पेंशन निधि निवेश	11,24,251	10,87,019
एसबीखाता संख्या : 209501000006535 में सामान्य भविष्य निधि निवेश	11,01,416	8,68,000
एसबीखाता संख्या : 209501000006536 में अंशदानिक भविष्य निधि निवेश	45,339	9,60,358
योग	45,33,443	49,85,152

अनुसूची 6 : वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्तमान परिसंपत्तियां:		
1. बैंक शेष:		
क) अनुसूचित बैंकों में: बचत खातों पर	59,92,346	92,36,623
2. हाथ में मुद्रा:		
ख) स्टैंप (फ्रैंकिंग)	3	93,988
ग) स्टैंप (पोस्टल)	6,526	38,397
योग (क)	59,98,875	93,69,008
ख. ऋण/अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां अग्रिम और ऐसी धनराशियां जो नकद रूप में अथवा वस्तु के रूप में अथवा मूल्य के लिए प्राप्त होनी हैं :		
1. पूर्व भुगतान (अनुलग्नक-1)	35,595	11,043
2. स्टाफ त्रौहार अग्रिम (अनुलग्नक-1)	25,575	20,625
3. मैसर्स हाइपरट्रिक्स प्र. लि.		1,04,785
4. इनफाइनिटीबुक डॉट कॉम		3,81,491
5. चिकित्सा अग्रिम		8,000
योग (ख)	61,170	5,25,944
योग (क + ख)	60,60,045	98,94,952

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय के तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

अनुसूची 7: अनुदान/ राजसहायताएं

(गैर-वसूली योग्य अनुदान और प्राप्त राजसहायताएं)

(धनराशि-₹)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) केन्द्र सरकार	2,50,00,000	2,37,86,111
योग	2,50,00,000	2,37,86,111

अनुसूची 8: शुल्क/ अभिदान

1) निविदा शुल्क	8,900	-
2) आरटीआई शुल्क	248	50
योग	9,148	50

नोट: प्रत्येक मद के संबंध में लेखाकरण नीतियों को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

अनुसूची 9: निवेशों से आय

(निधियों में अंतरित की गई निर्धारित अक्षय निधियों से निवेश पर आय)

इंडियन बैंक में मीयादी जमा पर ब्याज		
योग	-	-
निर्धारित/ अक्षय निधियों में अंतरित	-	-

अनुसूची 10: अर्जित ब्याज

1) सावधि जमाओं पर:		
क) अनुसूचित बैंकों में	-	-
2) बचत खातों पर:		
ख) अनुसूचित बैंकों में	4,90,947	4,87,383
योग	4,90,947	4,87,383

नोट: स्रोत पर कर की कटौती दर्शाई जाएगी

अनुसूची 11: अन्य आय

विविध आय	1,63,122	28,853
योग	1,63,122	28,853

अनुसूची 12: स्थापना व्यय

1) वेतन और मजदूरी	1,23,48,182	1,00,78,139
2) पेंशन अंशदान	5,37,887	10,87,019
3) ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति	1,17,344	33,427
योग	1,30,03,413	1,11,98,585

तटीय जलकृषि प्राधिकरण, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
31.03.2015 की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय के तुलन पत्र का
अनुसूची प्रपत्र भाग

अनुसूची 13: अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(धनराशि-₹)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. विज्ञापन और प्रचार	8,26,231	12,74,589
2. प्रकाशन	4,09,585	7,97,136
3. घरेलू यात्रा व्यय	8,31,248	13,22,150
4. चिकित्सा व्यय	3,24,064	1,28,258
5. आपूर्ति और सामग्री	1,93,100	5,01,578
6. कार्यालय व्यय		
मरम्मत और अनुरक्षण	2,15,122	29,263
विद्युत और ऊर्जा	3,76,849	2,04,771
ईंधन व्यय	1,000	-
किराया, दर और कर	27,45,994	17,37,723
फोटोस्टेट्स व्यय	-	-
पोस्टेज, टेलीग्राम	1,90,017	2,23,346
प्रिंटिंग, स्टेशनरी और उपभोग्य	4,14,366	11,15,030
जल प्रभार	40,515	30,941
पुस्तकालय व्यय (पीरियाडिकल्स और जर्नल्स)		6,225
कंप्यूटर अनुरक्षण		3,675
टेलीफोन व्यय	2,62,449	2,59,124
प्रोफेशनल चार्जेज	3,33,231	13,29,696
वाहन किराया प्रभार	16,23,922	15,13,366
बैठक व्यय ज	7,09,959	35,155
टेलीफोन, मोबायल प्रतिपूर्ति व्यय	44,445	19,098
विविध व्यय	1,28,607	6,23,832
सेमिनार/ कार्यशाला/ प्रशिक्षण व्यय	40,400	15,340
अन्य संविदागत सेवाएं	13,46,784	11,21,011
वैबसाइट अनुरक्षण प्रभार	43,000	33,708
एएमसी व्यय (एसी, कंप्यूटर्स, कार्यालय उपस्कर आदि)	1,60,731	2,05,533
वार्षिक पीआरए अनुरक्षण प्रभार (एनएसडीएल)	2,827	3,000
अनुवाद व्यय	28,700	
समाचार पत्र एवं मैगजीन	20,318	
वर्दीधारी (यूनिफार्म)	3,035	
स्टाफ कल्याण	37,002	
सफाई कर्मचारी वेतन	23,800	
वेब हाउसिंग चार्जेज	1,72,235	
शिपिंग व्यय	4,02,557	
रासायनिक प्रयोगशाला	2,37,045	
बैंक व्यय	-	-
योग	1,21,89,138	1,25,33,548

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
 जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

अनुलग्नक 1: अग्रिम

(धनराशि-₹)

क्र.सं.	अग्रिम	31.03.2015	31.03.2014
क	स्टाफ त्र्यौहार अग्रिम	25,575	20,625
	योग	25,575	20,625

क्र.सं.	अन्य अग्रिम	31.03.2015	31.03.2014
ख	अन्य पेशगी	35,595	-
	टीएएनसी	-	-
	निरीक्षण के लिए अग्रिम	-	-
	फ्रैंकिंग मशीन के लिए एएमसी	-	11,043
	योग	35,595	11,043

तटीय जलकृषि प्राधिकरण भारत सरकार, कृषि मंत्रालय

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेड्डई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

अनुसूची 14: लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण परंपरा

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत और आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) आईसीएआई द्वारा जारी और लागू अनिवार्य लेखा मानकों तथा सीजीए द्वारा केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए यथानिर्धारित संगत प्रस्तुत करण संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं। प्राधिकरण व्यय और आय के समस्त मदों के संबंध में जब तक कुछ और नहीं कहा जाए, प्रोद्रवन पद्धति अपनाता है।

2. अचल परिसंपत्तियां

- क) अचल परिसंपत्तियों का लेखा इन्हें प्रभारित किए जाने का निरीक्षण करने के बाद किया जाता है।
- ख) अचल परिसंपत्तियों को लागत में से संचित मूल्या ह्रास लागत, जिसमें खरीद मूल्य, अंदर लाने का भाड़ा, शुल्कों और करों तथा उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए उन्हें कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए लगी अन्य लागत शामिल होती है, को घटाकर दर्शाया जाता है। पात्र अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण से संबंधित वित्तीय लागत को उस सीमा तक शामिल किया जाता है जिस सीमा तक वे उपयोग के लायक रहती हैं।
- ग) तत्कालीन जल कृषि प्राधिकरण की उन अचल परिसंपत्तियों का लेखांकन भी उन्हें खरीदने की तारीख से सीसीए द्वारा उनका अधिग्रहण किए जाने तक की अवधि के लिए लागत में से मूल्यह्रास को घटाकर किया जाता है जिनका मूल्य ज्ञात होता है। जिन अचल परिसंपत्तियों का मूल्य ज्ञात ही होता है उनका सीसीए की लेखा पुस्तकों में पूंजीकरण करने के लिए 1/- रुपए का नाममात्र का मूल्य मान लिया जाता है।
- घ) गैर-मौद्रिक अनुदानों के जरिए प्राप्त हुई अचल परिसंपत्तियों का पूंजीकरण पूंजी निधि में तदनुसूची जमा द्वारा बताए गए मूल्य पर किया जाता है। फ्री गिफ्ट के रूप प्राप्त हुई अचल परिसंपत्तियों का लेखा 1/- रुपए का नाममात्र का मूल्य मान कर किया जाता है।
- ड.) विशेष अनुदान सहायता से अधिगृहीत की गई अचल परिसंपत्तियों का लेखा प्राधिकरण के लेखाओं में अचल परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है। अनुदान सहायता से सृजित की गई अचल परिसंपत्तियों की लागत को पूंजी निधि में जमा किया जाता है। इन परिसंपत्तियों पर उनके उपयोग की अवधि के लिए आयकर अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास भी प्रभारित किया जाता है और इसे आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

3. मूल्य ह्रास

- क) मूल्यह्रास का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों पर अपलिक्षित मूल्य पद्धति से किया जाता है।
- ख) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में संवर्धन/कमी होने के संबंध में वित्त वर्ष की पहली छ:माही में अधिगृहीत की गई परिसंपत्तियों पर आयकर नियमों में विनिर्दिष्ट दरों पर पूरा मूल्यह्रास

प्रभारित किया जाता है और दूसरी छ:माही में अधिगृहीत की गई परिसंपत्तियों पर 50% मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

ग) 5000/- रुपए अथवा इससे कम लागत वाली अचल परिसंपत्तियों पर अधिग्रहण के वर्ष में पूरा मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

4. पट्टा/ किराया

पट्टा/किराया का लेखांकन पट्टे की निबंधन और शर्तों के अनुसार व्यय के रूप में किया जाता है।

5. परिसंपत्तियों का खराब होना

एक परिसंपत्ति को तब खराब माना जाता है जब उसको बनाए रखने की लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। खराब होने की हानि को उस वर्ष के आय और व्यय खाते में प्रभारित किया जाता है जिसमें उस परिसंपत्ति को खराब परिसंपत्ति के रूप में अभिज्ञात किया जाता है। खराब होने की हानि को वसूली योग्य धनराशि के रूप में माना जाता है।

6. सरकारी अनुदान/ राजसहायताएं

पूंजीगत व्यय अर्थात् सहायता अनुदान से सृजित मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों की लागत को पूंजी निधि खाते में जमा किया जाता है। सहायता अनुदान से किए गए राजस्व व्ययों को आय व्यय खाते में नामे किया जाएगा। वर्ष के अंत में व्ययों से अधिक अनुदान को पूंजी निधि में अंतरित कर दिया जाएगा।

7. सेवा निवृत्ति लाभ

- क) वर्ष के दौरान नई पेंशन योजना में प्राधिकरण के अंशदान को आय और व्यय खाते में दर्शाया जाता है।
- ख) उपदान से संबंधित देयताओं, जिनका पता वर्ष में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है, का प्रावधान किया जाएगा और पृथक रूप से निधीयन किया जाएगा।
- ग) कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण से संबंधित देयताओं, जिनका पता वास्तविक मूल्यांकन पर प्रोद्भवन आधार पर वर्ष के अंत में वार्षिक रूप से लगता है, हेतु प्रावधान किया जाता है।

8. कराधान

प्राधिकरण केंद्र/राज्य सरकार को अपनी संपत्ति, आय और लाभ और प्राप्त हुए लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर, सेवा कर, सीएसटी अथवा अन्य किसी कर को भुगतान करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। अतः चालू और आस्थगित आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

पूर्व की घटनाओं के परिणामस्वरूप मौजूदा देयता की स्थिति में प्रमाणन में काफी अनुमान के आधार पर प्रावधान किए जाते हैं और यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्गमन हो। आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है किंतु उन्हें लेखाओं के भाग के रूप में नोट में प्रकट किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों न तो मान्यता दी जाती है और ना ही उन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

10. आय और व्यय

इस पैराग्राफ में बाद में विनिर्दिष्ट की गई आय और व्यय को छोड़कर वर्ष के सभी आय और व्यय का लेखाओं के विशिष्ट प्रत्यक्ष शीर्षों के तहत प्रोद्भवन आधार पर लेखांकन किया जाता है।

- क) पूर्व वर्ष की आय अथवा व्यय, जो एक अथवा अधिक पूर्व अवधियों में प्रावधान करने/देयता का सृजन करने में चूक करने के कारण हुआ था, का लेखांकन 'पूर्व अवधि समायोजन' के तहत किया जाता है।
- ख) यदि व्यय के आधार पर देयता का सृजन किया जाता है/ प्रावधान किया जाता है तो इसका लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है।
- ग) वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद प्राधिकरण को प्रादुर्भूत होने वाले व्याय/ आय, भूतलक्षी प्रभाव से यदि कोई हो, का लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है।
- घ) तुलन पत्र और/ अथवा आय और व्यय खातों में किसी मद को किस प्रकार और किस तरीके से दर्शाया जाए इसका निर्धारण करने में मूर्तता पर विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले में पूर्वदत्ता/ पूर्व अवधि के 1000/- रुपये तक के मदों का लेखांकन लेखाओं के आम शीर्षों के तहत नकद आधार पर किया जाता है।

11. राजस्व मान्यता

- क) प्राधिकरण डीएलसी/ एसएलसी और सीएए के बीच 70:30 के अनुपात में फार्मों के पंजीकरण के लिए शुल्क प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा, प्राधिकरण लिटोपनियस वेन्नामई फार्मों और हैचरियों के लिए प्रोसेशन फीस प्राप्त कर रहा है। प्राधिकरण की मौजूदा नीति के अनुसार इस शुल्क का लेखा इसके प्राप्त होने के वर्ष और विशेष अथवा निर्धारित प्रयोजन के लिए उपयोग करने के वर्ष में प्राधिकरण की निर्धारित/अक्षय निधि के रूप में किया जाता है।
- ख) व्याज की आय का लेखांकन बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए नकद आधार पर किया जाता है।

12. पृथक प्रकटीकरण

पृथक प्रकटीकरण के संबंध में आय और व्यय खाते में किए जाते हैं :

- क) 'पूर्व अवधि' के मद जिनमें आय अथवा व्यय के सामग्री मद शामिल होते हैं और जो एक अथवा अधिक पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरण तैयार करने में चूक करने के परिणामस्वरूप चालू अवधि में उत्पन्न होते हैं।
- ख) 'असाधारण' मद, जो प्राधिकरण के सामान्य कार्यकलापों से स्पष्ट तौर पर हुई घटनाओं और लेनदेनों से उत्पन्न आय अथवा व्यय होते हैं और इनके बार बार अथवा नियमित तौर पर होने की उम्मीद नहीं होती है।
- ग) 'विविध आय' शीर्ष के तहत 50,000/- रुपये से अधिक के मद को आय और व्यय खाते में उपयुक्त लेखा शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है।
- घ) 'विविध व्यय' शीर्ष के तहत 50,000/- रुपये से अधिक के मद को आय और व्यय खाते में उपयुक्त लेखा शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है।

ह/-

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-

सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

अनुसूची 15: आकस्मिक देयताओं और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियां

आकस्मिक देयताएं

31 मार्च 2015 को 5,00,000/- रूपए की राशि मैसर्स गंगोत्री हैचरीज के विरुद्ध मुकदमेंबाजी के लिए आकस्मिक देयताओं के रूप में रखी गई

अचल परिसंपत्तियां

तत्कालीन जल कृषि प्राधिकरण की उन अचल परिसंपत्तियों का लेखांकन भी उन्हें खरीदने की तारीख से सीसीए द्वारा उनका अधिग्रहण किए जाने तक की अवधि के लिए लागत में से मूल्य ह्रास को घटाकर किया जाता है जिनका मूल्य ज्ञात होता है। जिन अचल परिसंपत्तियों का मूल्य ज्ञात ही होता है उनका सीसीए की लेखा पुस्तकों में पूंजीकरण करने के लिए 1/- रूपए का नाममात्र का मूल्य मान लिया जाता है। सभी परिसंपत्तियों पर आयकर नियमों में निर्धारित दर से मूल्यह्रास का परिकलन कर लिया गया है और वर्ष 2014-15 के आय और व्यय खाते में प्रभावित किया गया है।

वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

प्राधिकरण ने पोस्ट ऑफिस से फ्रैंकिंग मशीन ले ली है जिसमें एक निश्चित धनराशि के स्टैंप हैं। इसके अलावा, प्राधिकरण पोस्ट ऑफिस से पोस्टल स्टैंप खरीदता है और इसके लिए भुगतान की गई धनराशि को हाथ में स्टैंप के रूप में दर्शाया जाता है। स्टैंप की दैनिक खपत के लिए रखे जा रहे रजिस्टर के आधार पर स्टैंप पर किए गए कुल व्यय को वार्षिक आधार पर हाथ में स्टैंप खाते को तदनु रूप जमा करके संबंधित व्यय शीर्ष में नाम किया जाता है। 31 मई 2015 की स्थिति के अनुसार हाथ में स्टैंप की धनराशि 6,526/- रूपए है।

दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी को 3,000/- रूपए के अग्रदाय मंजूर किया गया है।

वर्तमान देयता

निष्पादन गारंटी के रूप में प्राप्त हुई रूपए 5,000/- की जमानत राशि को इसकी वारंटी की अवधि पूरी होने तक बनाए रखा जाएगा।

कराधान

प्राधिकरण अपनी संपत्ति, आय, लाभ और प्राप्त हुए लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर अथवा अन्य किसी कर को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए और आस्थगित आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सरकारी अनुदान प्राप्त/शुल्क

‘पूँजीगत व्यय’ अर्थात् सहायता अनुदान से सृजित मूल्यवृद्धि योग्यक परिसंपत्तियों की लागत को पूँजी निधि खाते में जमा किया जाता है। सहायता अनुदान से किए गए राजस्व व्ययों को ‘आय व्यय खाते’ में नामे किया जाएगा। 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के अंत में व्ययों से अधिक अनुदान को पूँजी निधि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

प्राधिकरण डीएलसी/एसएलसी और सीएए के बीच 70:30 के अनुपात में फार्मों के पंजीकरण के लिए शुल्क प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा, प्राधिकरण लिटोपनियस वेन्नामई फार्मों और हैचरियों के लिए प्रोसेशन फीस प्राप्त कर रहा है। प्राधिकरण की मौजूदा नीति के अनुसार इस शुल्क का लेखा इसके प्राप्त होने के वर्ष और विशेष अथवा निर्धारित प्रयोजन के लिए उपयोग करने के वर्ष में प्राधिकरण की निर्धारित/अक्षय निधि के रूप में किया जाता है। निर्धारित निधि के बाहर 2014-15 के दौरान 64,87,558/- का उपयोग किया गया।

पिछले वर्ष के आंकड़े

सीएजी द्वारा स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया में तुलन पत्र, आय और व्यय खाते तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते में उनसे संबंध विभिन्न अनुसूचियों सहित पिछले वर्ष के आंकड़े दर्शाना विनिर्दिष्ट किया गया है।

ह/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव

Shi Rivas
JH
30/4

निदेशक/ सीई

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 20(3) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां, सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नै के संलग्न तुलन-पत्र, आय एवं व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान खाते की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखाओं के वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानकों, प्रकटीकरण शर्तों आदि के साथ लेखाओं की अनुरूपता के संबंध में लेखांकन के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों और विनियमों (स्वामित्व और विनियमितता) की अनुपालना और दक्षता तथा निष्पादन पहलुओं आदि के लिहाज से वित्तीय लेन-देन के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में पृथक रूप से बताई गई है।

3. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के तहत यह अपेक्षित है कि हम इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि वित्तीय विवरणों में भौतिक रूप से कोई तथ्यात्मक गलती नहीं है। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर, धनराशियों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरणों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करना शामिल है। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धान्तों और प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आंकलन करना और साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना शामिल है। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उपयुक्त आधार उपलब्ध करवाती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- हमने अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक संपूर्ण जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।
- इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में रखा गया है।
- हमारी राय में लेखापुस्तकों की हमारे द्वारा की गई जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के नियमों और विनियमों में यथा अपेक्षित उपयुक्त लेखाओं और संगत अभिलेखों को उपयुक्ततः तैयार किया गया है।

iv. हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) लेखाओं में संशोधन का प्रभाव

लेखापरीक्षा के आधार पर प्राधिकरण के लेखाओं को संशोधित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप:

- देयताओं में 3.11 लाख की कमी हुई।
- परिसम्पत्तियों में 3.11 लाख की कमी हुई।
- घाटें में 2.71 लाख की वृद्धि हुई।

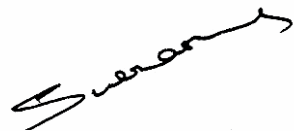
(ख) सामान्य

- i. लेखांकन मानक 15 में यथा उल्लिखित बीमांकित आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ नहीं उपलब्ध कराए गए हैं।
- ii. प्राधिकरण ने इससे संबंधित पंजीकरण शुल्क के केवल 30% हिस्से का ही लेखांकन और यह भी नकदी आधार पर किया गया है। इससे प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाना चाहिए। जिला स्तर और राज्य स्तर की समितियों से संबंधित 70% हिस्से का लेखांकन प्राधिकरण के लेखाओं में नहीं किया गया है। इसे प्राप्तियों और साथ ही भुगतान के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

(ग) सहायता अनुदान

- वर्ष के दौरान प्राप्त 2.50 करोड़ के सहायता अनुदान (गैर-योजना) में से 0.36 करोड़ रूपए की आंतरिक प्राप्तियों और 0.97 करोड़ रूपए के खर्च नहीं किए गए शेष (कुल 3.83 करोड़ रूपए), प्राधिकरण कुल 3.23 करोड़ रूपए का ही उपयोग कर सका और 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार 0.6 करोड़ रूपए का शेष बच गया।
- v. आगे के पैराओं में की गई हमारी टिप्पणियों की शर्त पर हम रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्ट में समीक्षाधीन तुलन-पत्र, आय एवं व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान खाता लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।
 - vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और साथ ही हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामले तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप सच्ची और सही स्थिति दर्शाते हैं।
- क. जहां तक, यह 31 मार्च 2015 की तटीय जलकृषि प्राधिकरण के कार्यों के तुलन-पत्र से संबंधित है, तथा
- ख. जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से



स्थान : चेन्नै

दिनांक : 28-10-2015

प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)

चेन्नै

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त कर दिया गया है और जिला स्तरीय समितियों की तथा राज्य स्तरीय समितियों की लेखा परीक्षा का कार्य प्रगति पर था।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय समितियों से प्राप्य पूरे पंजीकरण शुल्क के लेखांकन में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।

3. अचल परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन

वर्ष 2014-15 तक के लिए अचल परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया था।

4. माल सूची के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2014-15 तक के लिए माल सूची का वास्तविक सत्यापन किया गया था।

5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

प्राधिकरण सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमित था।



निदेशक/ सीई

वर्ष 2014-15 के लिए अलग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का उत्तर

ख. सामान्य	
1. लेखांकन मानक 15 में यथा विनिर्दिष्ट बीमांकन आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
2. प्राधिकरण में इससे संबंधित पंजीकरण शुल्क के केवल 30% हिस्से के लिए लेखा-परीक्षा की है, वह भी नकद आधार पर। इसका प्रोद्भव आधार पर लेखांकन किया जाना होता है। इसके अलावा, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय समितियों से संबंधित 70% हिस्से का प्राधिकरण के खातों में लेखांकन नहीं किया जाना होता है। इसे रसीदों के साथ-साथ भुगतानों के रूप में दर्शाना होता है।	जिला स्तरीय समितियां जलकृषि फार्मों के पंजीकरण के लिए शुल्क सीधे तौर पर प्राप्त कर रही हैं। शुल्क रसीद के ब्यौरे लेखा-परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए जा सकते क्योंकि उक्त सूचना सभी डीएलसीज से प्राप्त नहीं हुई है। सीएए में वित्त वर्ष 2013-14 से डीएलसीज के बही खातों के निरीक्षण के लिए पहले ही आंतरिक लेखा परीक्षकों को नियुक्त कर दिया है ताकि सीएए के बही खातों में उनके द्वारा प्राप्त की गई/वहन की गई वास्तविक आय/व्यय को अंतिम रूप दिया जा सके और इसका वर्णन किया जा सके। भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
ग. सहायता अनुदान	
वर्ष के दौरान प्राप्त 2.50 करोड़ रुपये (गैर-योजना) के सहायता अनुदान में से आंतरिक प्राप्ति 0.36 करोड़ रुपये और खर्च नहीं किया गया शेष 0.97 करोड़ रुपये (कुल 3.83 करोड़ रुपये) है, प्राधिकरण दिनांक 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार 3.23 करोड़ रुपये का उपयोग कर सकता है, जिसमें से 0.6 करोड़ रुपये का शेष बचेगा।	तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के खंड 16 के तहत, यह प्राधिकरण प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सहायता अनुदान प्राप्त करता है और अपने कार्यों के निष्पादन के लिए इसका उपयोग करता है। अधिनियम के खंड 17(1) के तहत, यह कार्यालय एल.वेन्नामई हैचरियों और फार्मों के पंजीकरण के लिए प्राप्त शुल्कों के अतिरिक्त फार्मों के पंजीकरण के लिए डीएलसीज से पंजीकरण शुल्क का 30% प्राप्त करता है और इसका उपयोग इसकी 17वीं बैठक में यथा निर्धारित विशिष्ट उद्देश्यों जैसा कि चिन्हित निधि के लिए करता है जैसे तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों की निरीक्षण और निगरानी, नमूनों को एकत्र करना और इनकी जांच करना, बैठकें और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, व्यापक ब्रोशर/पर्चों आदि का अनुवाद।

	लेखा परीक्षा के दौरान एकत्र की गई आंतरिक प्राप्तियों की धनराशि 0.36 करोड़ रुपए थी और विगत वर्ष की बची हुई शेष राशि 0.97 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार कुल उपलब्ध धनराशि 1.33 करोड़ रुपए थी। चिन्हित/इंडोवमेंट निधि में से व्यय बैठक के बाद, मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार अंतिम शेष उपलब्ध धनराशि 0.6 करोड़ रुपए थी। चूंकि, यह धनराशि विशेष उद्देश्यों के लिए चिन्हित है, इसलिए शुल्क प्राप्तियों को लेखांकन मानकों के अनुसार तुलन-पत्र में चिन्हित/इंडोवमेंट निधि खाते के रूप में दर्शाया जाता है। इसलिए कृपया टिप्पणियों पर ध्यान न दिया जाए।
--	---

वर्ष 2014-15 के लिए अलग लेखा-परीक्षा के अनुलग्नक का उत्तर

2. आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की उपयुक्तता	
जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय समितियों से प्राप्ति योग्य कुल पंजीकरण शुल्क के लेखांकन में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।



सत्यमेव जयते

Annual Report 2014-15

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY



Government of India

Ministry of Agriculture

GDR Tower, 12-A Bharathi Street

Vanuvampettai, Madipakkam Post

Chennai - 600 091, Tamil Nadu

Tel : 91-44-2260 3783, 3784, 3502, Telefax : 044-2260 3780

Email : aquaauth@vsnl.net / aquaauth@gmail.com

Website : www.caa.gov.in

न्यायमूर्ति के. रविराजा पाण्डियन
अध्यक्ष

Justice K. Raviraja Pandian
Chairperson



तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई
मडिपक्कम पी.ओ., चेन्नै-600 091
तमिल नाडु, भारत
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
Government of India, Ministry of Agriculture
GDR Tower, 12-A Bharathi Street, Vanuvampettai
Madipakkam P.O., Chennai - 600 091
Tamil Nadu, India

P R E F A C E

Coastal aquaculture, especially shrimp farming is a much talked about topic in India which has been in the limelight since the nineties when the Supreme Court in its verdict in Writ Petition No.561 of 1994 raised concern on the environmental protection of coastal areas and directed the Central Government to constitute an authority to protect the ecologically sensitive coastal areas and seashore as well as to promote sustainable and responsible coastal aquaculture development in the country. It was, therefore, felt necessary that an enabling atmosphere with an appropriate policy, legal and institutional framework should be provided to facilitate this function.

The Coastal Aquaculture Authority (CAA) was set up in this context under the provisions of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005. The CAA during its existence in the past nine years have made significant strides in achieving its goal of regulating coastal aquaculture activities in the areas notified by the Central Government as 'coastal areas' through implementation of the various statutory measures contemplated under the various provisions of the Act. These include registration of farms and hatcheries, site selection and design of the facilities, eco-friendly farming practices, good farm/ hatcheries management with emphasis on waste management, testing of water parameters, testing of quality seed, periodic monitoring and inspection of the activities, enforcement of biosecurity measures and setting up of Effluent Treatment Plants for wastewater treatment, etc., all of which are implemented through proper linkages and consultations with the Central and State Government agencies and other scientific organizations. In this connection, CAA has also been organizing several awareness programmes and stakeholders meet for exchange of views to address the complexity of problems encountered in carrying out its statutory responsibilities.

The introduction of the exotic shrimp viz. *Litopenaeus vannamei* with proper regulatory measures and strict enforcement through frequent 'checks' has paved the way for the revival of this sector and has yielded spectacular results with the average production of *L. vannamei* shrimp reaching a level of 8.55 MT/ha/annum in the country. To enable farmers who have initially registered for *Penaeus monodon* culture to take up *L. vannamei* culture, suitable guidelines have been issued in February 2015.

The expansion of this activity also brings with it other related issues and constraints. Although use of antibiotics in shrimp farming is strictly prohibited under the CAA Act, reports of rejection of our products by some importing countries is causing concern and the Authority is contemplating various measures to bring it to 'zero level rejection' in close coordination with the farmers, hatchery operators, feed manufacturers, inputs suppliers and seafood exporters, *etc.*, in order to address this problem in conformity with the prevailing global market standards and requirements.

Besides participating in various workshops/ seminars as well as in fairs and exhibitions, the Authority also issues Public Notices now and then to create the required awareness amongst the stakeholders on the current developments and procedural requirements to be followed in consonance with the regulations of the Authority. Considering the vast coastal area under the jurisdiction of CAA in the ten coastal states and four coastal UTs, there is an urgent need to strengthen our efforts by enhancing the staff strength and through establishment of Regional Centres. A proposal to this effect has been sent for the active consideration of the Government.

CAA acknowledges its gratitude to the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and the officers under the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries for their active support for the smooth functioning of the organization.



(Justice K. Raviraja Pandian)
Chairperson

I. Composition, Operational Goals and Objectives of the Authority

The Coastal Aquaculture Authority was established under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 for regulating activities connected with coastal aquaculture in coastal areas and for matters connected therewith or incidental thereto to ensure that coastal aquaculture does not cause any detriment to the coastal environment and the concept of responsible aquaculture is followed. Coastal aquaculture means '*culturing, under controlled conditions in ponds, pens, enclosures or otherwise, in coastal areas, of shrimp, prawn, fish or any other aquatic life in saline or brackish water; but does not include fresh water aquaculture*'. Coastal area means '*area of land within a distance of two kilometers from the High Tide Line (HTL) of seas, rivers, creeks and backwaters*'. The main objective of the Authority is to promote sustainable development without causing damage to the coastal environment following responsible coastal aquaculture practices and to protect the livelihood of various stakeholders living in the coastal area.

1. Composition of the Authority during 2014-15

- | | |
|---|-----------------|
| (i) Justice K. Raviraja Pandian
(Former Judge, High Court of Madras) | ... Chairperson |
| (ii) Dr P Ravichandran
Principal Scientist, Central Institute of
Brackishwater Aquaculture, Chennai
(till 30 th September 2014)
(Expert in the field of Coastal Aquaculture) | ... Member |
| (iii) Dr R Kirubhagaran
Scientist 'F', National Institute of
Ocean Technology, Chennai
Representative of the M/o Earth Sciences, Govt. of India
(Expert in the field of Coastal Ecology) | ... Member |
| (iv) Dr Ms Manju Raina
Director (CP Division)
Ministry of Environment & Forests, Govt. of India
(Expert in the field of Environment Protection/ Pollution) | ... Member |
| (v) Dr Rajasekhar Vundru IAS
Joint Secretary (Fisheries)
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries
(Representative of the M/o Agriculture, Govt. of India) | ... Member |

- vi) Ms Leena Nair, IAS** ... Member
Chairman, The Marine Products
Export Development Authority
(Representative of the M/o Commerce, Govt. of India)
- (vii) Dr D H Brahmbhatt, IAS** ... Member
Commissioner & Secretary
Government of Gujarat
(Department of Fisheries & Animal Resources)
(Representative of Gujarat State)
Shri Arunkumar Solanki
Commissioner & Secretary
(Department of Fisheries & Animal Resources)
(with effect from 27th August 2014)
- (viii) Shri K Praveen Kumar, IAS** ... Member
Commissioner of Fisheries
Government of Andhra Pradesh
(Representative of Govt. of Andhra Pradesh)
(till 3rd February 2015)
Shri Rama Shankar Naik, IAS
Commissioner of Fisheries
(with effect from 4th February 2015)
- (ix) Shri Saeed Ahmed Baba, IAS** ... Member
Principal Secretary (Fisheries)
Department of Fisheries, Aquaculture,
Aquatic Resources and Fishing Harbour
Government of West Bengal, Kolkata
(Representative of West Bengal State)
- (x) Dr S Vijaya Kumar, IAS** ... Member
Secretary (Fisheries)
Government of Tamil Nadu
Department of Animal Husbandry,
Dairying and Fisheries, Chennai
(Representative of Tamil Nadu)
- (xi) Dr R Paul Raj** ... Member Secretary
Member appointed by the Central Government
(till 30th April 2014)
Dr P Ravichandran
(Interim charge - 1st May to 30th September 2014 and
Regular Member Secretary from 1st October 2014)

2. Aims and Objectives of the Authority

The aims and objectives of the Authority are to regulate 'coastal aquaculture' activities in the areas notified by the Central Government as 'coastal areas' and for matters connected therewith. The Authority is empowered to make regulations for the construction and operation of aquaculture farms in coastal areas, inspection of farms and hatcheries for *L. vannamei* to ascertain their environmental impact, registration of aquaculture farms and hatcheries, removal or demolition of coastal aquaculture farms which cause pollution, fixing standards for all coastal aquaculture inputs, viz. seed, feed, growth supplements, chemicals, etc., used in coastal aquaculture and for the overall monitoring of coastal aquaculture activities in the country.

3. Powers and Functions of the Authority

The powers and functions of the Authority are specified in Chapter IV of the CAA Act, 2005, the Rules framed there under, and the Regulations framed by Coastal Aquaculture Authority, notified in March 2008. The CAA, shall *inter alia* make regulations for the orderly and sustainable development of the coastal aquaculture sector to facilitate environmentally responsible and socially acceptable coastal aquaculture for the socio-economic benefits of the various stakeholders involved in the activity.

The major responsibility of Coastal Aquaculture Authority towards achieving these goals is to ensure registration of all kinds of coastal, brackish and saline aquaculture farms and hatcheries engaged or to be engaged in seed production of *Litopenaeus vannamei*, registration of farms for SPF shrimp culture with due biosecurity, etc., in the country within the notified area. This is an ongoing process. A number of measures have been initiated by the Authority for registering all eligible coastal aquaculture farms through various awareness programs to sensitize the farmers. It is mandatory for all persons carrying on coastal aquaculture to register their farms with the Coastal Aquaculture Authority, as per the procedures laid down in the Coastal Aquaculture Authority Act and Rules. Registration is valid for a period of five years, which can be renewed from time to time for a like period. The registration process would be continued in respect of existing farms, new farms as well as for farms that may be renovated for taking up coastal aquaculture activities in future.

Aquaculture is not permitted within two hundred meters from the High Tide Line of the seas, creeks, rivers and backwaters within the Coastal Regulation Zone. However, this condition is not applicable to the 'existing farms' that is, farms set up before the commencement of the Act and to the non-commercial and experimental aquaculture farms operated by the Government or any research Institute of the Government. However, all such farms need to be registered with the CAA. Any person carrying on coastal aquaculture without such registration is liable to be punished with imprisonment

for a term which may extend to three years or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both as provided in Section 14 of the Act.

CAA is assisted by the State Level Committees (SLC) and the District Level Committees (DLC) set up under the provision of the CAA Rules, 2005 which are the primary linkages on matters concerning the registration of coastal aquaculture farms. In the case of farms up to 2 ha water spread area, the DLC, upon satisfaction, shall recommend the applications directly to CAA for consideration of registration; and in the case of farms above 2 ha water spread area, the DLC shall inspect the farm to verify compliance of norms and recommend the applications to SLC, who upon satisfaction, shall recommend them to the CAA for registration.

Coastal Aquaculture Authority was authorized to grant permission for importing broodstock of SPF *L. vannamei* from approved overseas SPF broodstock suppliers and to allot annual requirements of broodstocks, as detailed in the Guidelines issued under Notification dated 15th October 2008, issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries (DAHD&F), under the Livestock Importation Act, 1898, (as amended by Livestock Importation Act, 2001).

CAA is also empowered to monitor SPF *L. vannamei* hatcheries and farms for strict compliance of the Guidelines issued through Notification under the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2009.

The CAA also has the powers and functions as stated below :

- ensure that agricultural lands, salt pan lands, mangroves, wet lands, forest lands, land for village common purposes and land meant for public purposes and national parks and sanctuaries are not converted as aquaculture farms in order to protect the livelihood of coastal community living in coastal areas;
- survey the entire coastal area and advise the Central Government and the State/ UT Governments for formulating suitable strategies for achieving eco-friendly development;
- advise and extend support to the State/ UT Governments for constructing common infrastructure, common water in-take, discharge canals and common effluent treatment systems;
- fix standards for seed, feed, growth supplements and chemicals used for the maintenance of the water bodies and the organisms reared and other aquatic life;
- carryout or sponsor investigations and studies/ schemes relating to environment protection and demonstration of eco-friendly technologies;
- collect and disseminate the data and other scientific and socio-economic information related to coastal aquaculture;

- prepare materials relating to sustainable development of coastal aquaculture and activities relating to coastal aquaculture;
- give publicity and train personnel regarding sustainable utilization and fair and equitable sharing of the coastal resources;
- constitute various technical committees, sub-committees, working groups, *etc.*, for preparation of technical manuals, *etc.*;
- direct the owners of the farm to carry out modifications to minimize the impacts on coastal environment;
- order seasonal closure for ensuring sustainability; or in the interest of maintaining environmental sustainability and protection of livelihoods in the interest of coastal environment;
- cancel the registration where any person has obtained registration by furnishing false information or contravened any of the provisions of these rules or of the conditions mentioned in the certificate of registration;
- deal with any issue pertaining to coastal aquaculture including those which may be referred to it by the Central Government;
- make suitable recommendations to the Government for amending the Guidelines from time to time.

4. Regulation of SPF *Litopenaeus vannamei* culture in India

Coastal Aquaculture Authority has been authorised, *vide* Notification dated 15th October 2008, issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture, under the Livestock Importation Act, 1898, (as amended by Livestock Importation Act, 2001), to register hatcheries and to grant permission for importing broodstock of SPF *Litopenaeus vannamei*. The broodstock suppliers were approved by CAA in consultation with National Fisheries Development Board (NFDB), Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA) and the Marine Products Export Development Authority (MPEDA). The biosecurity requirements for the quarantine, import permit, port of entry, pre-border quarantine requirements, quarantine requirements on arrival of imported broodstock, disinfection methods, *etc.*, are detailed in the said Guidelines contained in the above Notification.

Under the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2009, Guidelines were issued for regulating hatcheries and farms for introduction of SPF *L. vannamei*. These Guidelines contain the criteria for applicants to breed *L. vannamei*, the technical requirements, procedures for production and sale of SPF *L. vannamei* seeds and, specific norms and regulations for approval and operation of farms.

To facilitate smooth operations by the hatchery operators and shrimp farmers, Government of India came out with further amendments to the CAA Rules, 2005 through

a Notification in March, 2012 by permitting import of SPF juveniles of *L. vannamei* up to 10 g for rearing to adult broodstock, sale of nauplii among the permitted hatcheries, and for shifting culture of one species to another after adequate dry out period. This Notification also strengthens the inspection process to deal with unauthorized seed production and farming of *L. vannamei* through destruction of the unauthorized stock or through confiscation and disposal of stock by the Inspection Team of CAA.

An amendment Notification was issued on 16th February 2015 whereby Guidelines have also been issued for permitting farms which are registered for *Penaeus monodon* to take up *L. vannamei* culture with low stocking density following zero water exchange.

Coastal Aquaculture Authority is following these Guidelines in permitting hatcheries and farms to take up *L. vannamei* farming and in the inspection and monitoring of the farms and hatcheries for the sustainable development of this venture. The introduction of SPF *L. vannamei* paved way for revival of a large number of abandoned shrimp farms and has resulted in substantial increase in the production and export of farmed shrimp in the country.

II. Targets and Performance

1. Annual Targets

- Convening meetings of the Authority at least once in two months to take appropriate decisions for implementation.
- Registration and renewal of coastal aquaculture farms which is a continuous process, and cannot be specifically quantified or targeted. An additional 3,000 coastal aquaculture farms were expected to be registered during the year subject to the receipt of proposals with the recommendations from the District and State Level Committees (DLCs / SLCs).
- Extension of SPF *L. vannamei* culture, covering an additional area of about 2,000 ha for the year 2014-15 with an anticipated additional production of about 20,000 MT of shrimp in a year.
- Selection of broodstock suppliers by the Technical Committee depending upon the need and on reviewing the performance of existing suppliers.
- Issuing Public Notice to invite applications from prospective hatchery owners with adequate biosecurity facilities for granting permission to import broodstock and to produce SPF seed for supplying to the farmers approved by CAA.
- The broodstock requirement for *L. vannamei* farming would be worked out by the Technical Committee on the basis of annual requirement, hatchery capacity and the extent of farming area for *L. vannamei* culture.

- Processing all the applications received from farmers, who intend to culture *P. monodon*, SPF *L. vannamei* or any other brackishwater species, in their farms after creation of the required facilities, and issuing Certificate of Registration and or permission therefor.
- Processing of the applications received for seed production and farming operations of SPF *L. vannamei* in a time bound manner.
- Inspection of hatcheries and farms by the Inspection Team to ascertain the biosecurity as well as other requirements.
- Consideration of the applications recommended by the Inspection team for granting approval by the Authority in its regular meetings.
- Monitoring of hatcheries and farms will be done periodically; and appropriate action to be taken for violation of the conditions of approval.
- Sampling and testing of wastewater discharged from Effluent Treatment System (ETS) to ensure that water quality parameters conform to the standards notified by the CAA.
- Organising awareness programmes, in Maritime States, to sensitize the farmers on registration of farms for undertaking *P. monodon*, SPF *L. vannamei*, finfishes and crab farming and on issues concerning banned drugs and other substances, as and when required.
- Participation / organization of workshops and exhibitions relating to coastal aquaculture depicting sustainable farming practices.
- Preparation of brochures / handouts on Good Aquaculture Practices (GAqP) for distribution to stakeholders.

2. Brief review of Actual Performance

- Six meetings of the Authority were held between April 2014 and March 2015. In all, 1,258 applications for registration of coastal aquaculture farms received from SLCs/ DLCs were considered for approval. The Authority approved 1,026 applications; the remaining applications were returned to the DLCs/ SLCs for rectification of defects.
- Registration certificates were issued to all the 1,026 farms approved by the CAA.
- During the year, the Authority has considered 904 applications (including the two Institutes) for renewal of registration and renewed all the 904 farms and endorsement to that effect has been made in the original Registration Certificates.
- On the basis of the Inspection Team's report, 27 new hatcheries were permitted for SPF *L. vannamei* seed production after inspection; and permission granted to 117 hatcheries during 2013-14 were renewed up to 31.03.2015 for importing broodstock of SPF *L. vannamei* from 10 broodstock suppliers short-listed by the CAA.

- After scrutinizing the applications received from the farmers, for culture of SPF *L. vannamei* and based on the Inspection Team's report, the CAA has approved 173 farms with water spread area (WSA) of 621.64 ha.
- The number of SPF *L. vannamei* hatcheries have grown steadily from 9 since the commencement of the programme (July 2009). Within a period of six years (March 2015), the CAA has approved 183 hatcheries with a production capacity of 13,928 million seeds.
- Seed production has also increased considerably from 310.69 million during 2009-10 to about 13,442.05 million (estimated) during 2014-15 by the approved hatcheries and supplied to registered shrimp farmers during the year.
- A total of 1,65,156 pairs of broodstock of SPF *L. vannamei* were approved by CAA for import during the year 2014-15. A total of 59,922.78 million nauplii were produced and the average survival rate of total post larvae produced (13,442.05 million) from total nauplii was estimated at 22.43 per cent.
- The Technical Committee constituted to examine the feasibility of utilizing the wastewater in the ETS in farms approved for SPF *L. vannamei* to take up secondary aquaculture, submitted its report in June 2014 which was approved by the Authority at its forty seventh meeting held on 27th June 2014. It was suggested that CIBA with financial assistance from the Union Ministry of Agriculture may conduct a demonstration programme on secondary aquaculture and accordingly CIBA has been requested to work out a suitable project for this purpose.
- An awareness programme was conducted during the year in Gangapatnam Village, Indukurpet Mandal, Nellore District of Andhra Pradesh on 07.11.2014 in association with State Fisheries Department in which about 200 shrimp farmers, hatchery operators and State Fisheries officials of the district participated.
- A review meeting to discuss various issues faced by the shrimp hatchery operators and to work out the requirements of broodstock for the year 2015-16 was held on 21st January 2015 at Chennai in which the present status of SPF *L. vannamei* seed production in the country based on various information available and other issues such as reproductive performance, consortium, unregistered hatcheries, broodstock allocation & performance, erring hatcheries and record maintenance, etc., were discussed elaborately and reviewed. About 135 hatchery operators and related stakeholders participated in the discussions.
- Meeting of the Technical Evaluation Committee, set up to shortlist additional overseas suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock met on 11.07.2014 to shortlist additional suppliers. Out of two proposals received through expression of interest, one was recommended after personal presentation and scrutiny.

- A proposal to set up Regional Centers (3) of CAA to cover the entire area of coastal States in the country for easy access to farms and hatcheries and also to strengthen the Headquarters at Chennai in Tamil Nadu was submitted during October 2014. Subsequently a detailed proposal with full justification for establishing a Regional Centre at Surat/ Valsad was also submitted to the Central Government during March 2015.
- Data base in CAA website www.caa.gov.in uploaded through National Informatics Centre, Chennai is updated periodically with new and latest information. The new concept of Online Registration of aquafarms is progressing fast which shall be put to use after completing the required procedures.

III. A. Activities and Achievements

1. Meetings of the Authority and Committees constituted by the Authority

- During the current year, *i.e.*, from April 2014 to March 2015, the CAA convened six regular meetings, in addition to other meetings for specific purposes. The details of the meetings and important decisions taken are summarized in Table 1. Besides approving the applications for registration, the Authority discussed many vital issues such as issue of show cause notices to the permitted hatcheries/ farms violating the Guidelines of CAA, action against unregistered hatcheries, review of the registration process of hatcheries, monitoring of wastewater discharged from farms and hatcheries, *etc.*



Authority meetings in progress



Authority meetings in progress

Table 1 : Meetings of the Coastal Aquaculture Authority (April 2014-March 2015)

Meetings	Date & Venue	Important decisions taken in the meeting
Forty Sixth Meeting	29 th April 2014, Chennai	• Approved the registration of 313 shrimp farms. • Approved the renewal registration of 140 shrimp farms. • Resolved to permit 19 shrimp farms (WSA - 63.88 ha) to culture SPF <i>L. vannamei</i>. • Granted permission to one hatchery (Tamil Nadu) to import SPF <i>L. vannamei</i> broodstock and seed production. • Resolved that construction/ setting up of facilities for coastal aquaculture has to be done only with the prior approval of CAA. • Resolved to fix a reasonable fee of ₹5,000/- for reassessment of hatcheries. It was also resolved to include an Aquaculture Engineer in the inspection team for reassessment purpose.

Meetings	Date & Venue	Important decisions taken in the meeting
Forty Sixth Meeting	29 th April 2014, Chennai	- Agreed in principle to allow consortium of hatcheries after assessment of production capacity, to hold the broodstock of partner hatcheries at the lead hatchery where maturation, spawning and nauplii production will be done. Partner hatcheries will source their nauplii from lead hatcheries and rear them to post larvae for their captive use or sale to CAA approved farms. It was also resolved to charge a registration fee of ₹5,000/- per consortium. - Resolved to have online submission of applications and also resolved to consult NIC for further assistance required to execute the process of submission of applications online. - Resolved to set up a Technical Committee with Member Secretary, CAA as Chairman and representatives from CIBA, DAHD&F and SAP to work out specific modalities to permit existing shrimp farms culturing <i>P. monodon</i> to take up SPF <i>L. vannamei</i> culture to ensure restricted stocking density, escape of the cultured shrimp from ponds, restricting harvest practices to netting alone, and to suggest good aquaculture and waste management practices for such farms, etc. - Accorded <i>post-facto</i> approval to the opening of bank account for Pension Fund for the permanent staff of CAA. - The Authority placed on record the excellent performance of the outgoing Member Secretary Dr R Paul Raj.
Forty Seventh Meeting	27 th June 2014, Chennai	- Approved the registration of 4 shrimp farms. - Approved the renewal registration of 24 shrimp farms. - Granted permission to 10 hatcheries to import SPF <i>L. vannamei</i> broodstock and seed production. - Permission granted to 18 shrimp farms (WSA-145.45 ha) to culture SPF <i>L. vannamei</i>. - Resolved to allow the <i>L. vannamei</i> farms to undertake secondary aquaculture upon strict compliance of safeguards / conditions as recommended by the Technical Committee set up for this purpose.

Meetings	Date & Venue	Important decisions taken in the meeting
Forty Seventh Meeting	27 th June 2014, Chennai	• Approved the Annual Accounts of CAA for the year 2013-14. • Resolved to amend the Guidelines in Part II-Para 6 of the SPF <i>L. vannamei</i> guidelines to be modified as “confiscate, dispose of and / or destroy the stock as it thinks fit” and send a proposal to the Ministry to this effect. • Resolved to give sitting fee to non-official members as per Government of India Rules.
Forty Eighth Meeting	26 th August 2014, Chennai	• Approved the registration of 33 shrimp farms. • Approved the renewal registration of 32 shrimp farms. • Granted permission to 6 hatcheries to import SPF <i>L. vannamei</i> broodstock and seed production. • Granted permission to 30 shrimp farms (WSA-186.98 ha) to culture SPF <i>L. vannamei</i>. • Resolved to include M/s. P T Bibit Unggul (Global Gen), Indonesia in the list of SPF <i>L. vannamei</i> broodstock suppliers to Indian hatcheries approved by the CAA for seed production based on the recommendation of the Technical Evaluation Committee. • Resolved to send a revised proposal to the Ministry of Agriculture for setting up Regional Centers at a suitable location at Gujarat, Kolkata and Bhimavaram/ Kakinada in Andhra Pradesh. • Approved the 2 proposals for registration of farms, one submitted by the Director of Fisheries, Goa and the other by Department of Coastal Aquaculture, FCRI, Tamil Nadu Fisheries University, Thoothukudi, Tamil Nadu and the proposal for renewal of registration of the farm submitted by the Assistant Director of Fisheries, Thanjavur District, Tamil Nadu under the Guidelines for Govt. Research Institute. • Approved the Guidelines prepared by the Technical Committee to permit existing shrimp farms culturing <i>P. monodon</i> to take up <i>L. vannamei</i> culture for bringing out the required notification by the Ministry of Agriculture. • Resolved to issue closure order to the two hatcheries (Andhra Pradesh) which were involved in unauthorized seed production of <i>L. vannamei</i> and also take up the matter with the Chief Secretaries of the State/s concerned.

Meetings	Date & Venue	Important decisions taken in the meeting
Forty Ninth Meeting	17 th October 2014, Chennai	• Approved the registration of 95 shrimp farms. • Approved the renewal registration of 226 shrimp farms. • Granted permission to 3 hatcheries to import SPF <i>L. vannamei</i> broodstock and seed production. • Permission granted to 10 shrimp farms (WSA-31.63 ha) to culture SPF <i>L. vannamei</i>. • Approved CAA's Annual Report for the year 2013-14. • Resolved to write to the concerned State Governments asking them to direct the local bodies not to approve construction of hatcheries without CAA's approval and also resolved to send a letter to Government of Andhra Pradesh to submit full report with all required details to CAA along with the approvals granted at various levels by the State Department/ local bodies. • Resolved to issue a Public Notice stating that the list of CAA approved hatcheries is available in CAA website (www.caa.gov.in may be given in Telugu also) and that other hatcheries are not permitted to produce / sell seeds of <i>L. vannamei</i>.
Fiftieth Meeting	19 th December 2014, Chennai	• Approved the registration of 230 shrimp farms. • Approved the renewal registration of 98 shrimp farms. • Granted permission to 4 hatcheries to import SPF <i>L. vannamei</i> broodstock and seed production. • Permission granted to 57 farms (WSA-139.89 ha) to culture SPF <i>L. vannamei</i>. • Approved the proposal of Kerala University of Fisheries and Ocean Studies Kochi, for registration of its farm under the Guidelines for Govt. Research Institute. • Resolved to issue closure order to the 6 hatcheries (AP) involved in unauthorized <i>L. vannamei</i> seed production and also take up the matter with the concerned District Collector for necessary action against the hatcheries. • Resolved to impose a fine of ₹1,00,000/- to one registered <i>L. vannamei</i> hatchery in Villupuram District, Tamil Nadu for letting out its wastewater directly to the open sea without treating it in ETS, thus violating the biosecurity requirement in SPF <i>L. vannamei</i> hatcheries.

Meetings	Date & Venue	Important decisions taken in the meeting
Fiftieth Meeting	19 th December 2014, Chennai	• Approved the reply to the comments made in the Audit Report of CAA for the year 2013-14. • Resolved to issue warning notices to the nine unregistered farms in Nellore District, Andhra Pradesh for farming <i>L. vananmei</i> and also to forward copy of the letter to the District Collector, Nellore. • Resolved to set up a committee headed by Member Secretary, CAA to examine various aspects requiring amendment to Guidelines/ Rules including simplification of application forms for online registration.
Fifty First Meeting	27 th February 2015, Chennai	• Approved the registration of 348 shrimp farms. • Approved the renewal registration of 381 shrimp farms. • Granted permission to 3 hatcheries to import SPF <i>L. vannamei</i> broodstock and seed production. • Permission granted to 39 farms (WSA-53.84 ha) to culture SPF <i>L. vannamei</i>. • Resolved to permit additional broodstock if required, to those hatcheries who have imported 100% of allotted broodstock for the year, on a case to case basis with due regard to the annual requirement and proportionate to the remaining period in the year/ part of the next year. • Resolved to recommend the nodal Ministry for setting up of an Aquatic Quarantine Facility at Andhra Pradesh in consultation with the State Government. • Resolved to study the suggestion to set up nauplii rearing centers in detail through a brain storming session. • Resolved to call fresh EoI for supply of SPF <i>L. vannamei</i> broodstock. • Resolved to issue closure order to the 4 hatcheries (Andhra Pradesh) which were involved in unauthorized seed production of <i>L. vananmei</i> and also take up the matter with the concerned District Collector for necessary action against the hatcheries. • Approved the proposal received from Head, Dept. of Veterinary Pathology, Madras Veterinary College, Chennai for granting permission to one of their students for doing research on 'Pathology of <i>Vibrio parahaemolyticus</i> infection in shrimp'.

2. Other Meetings of Committees

- (i) The Technical Committee set up under the chairmanship of Member Secretary, CAA with representatives from CIBA, DAHD&F and SAP during May 2014 to work out specific modalities for permitting the existing shrimp farms culturing *P. monodon* to take up SPF *L. vannamei* met on 25th July 2014 and discussed various issues; and the norms developed by the Committee were sent to the Ministry.
- (ii) Expert Group set up in May 2014 under the chairmanship of Member Secretary, CAA to suggest norms for site selection, excavation/ construction/ installation of such of the facilities required for coastal aquaculture met twice on 02.05.2014 and on 05.12.2014. The basic document prepared on the basis of discussions was circulated to the members of the committee for their comments. The document was further revised during the second meeting and Guidelines for establishment of new hatcheries have been formulated and sent to the representative from Ministry of Environment for additional inputs required for this purpose.
- (iii) A review meeting to discuss various issues faced by the shrimp hatchery operators as well as to work out the requirements of broodstock for the year 2015-16 was held on 21st January 2015 at Chennai under the chairmanship of the Chairperson, CAA. In all, about 150 persons participated from private and public sectors. Justice K. Raviraja Pandian, Hon'ble Chairperson, CAA in his inaugural address specified the need for sustained growth of the sector and asked the hatchery owners/operators to help to achieve this.



Chairperson and Member Secretary, CAA with the guests



Chairperson, CAA inaugurating the Meet

The Member Secretary presented the review of SPF *L. vannamei* hatcheries and performance of seed production on the basis of available information. The review included reproductive performance, consortia approvals, status of unregistered hatcheries, broodstock allotment for future, etc.



Member Secretary, CAA presenting the review



A section of the audience



Stakeholders during the presentation



At the end of the discussions it was recommended that :

- Allotment of broodstock at the present level is considered sufficient as allocation as per the production capacity during 2010 was increased by 50% during 2014-15 and the hatcheries should consider improvement in performance of broodstock for increasing the quality and quantity of seed production.



Interaction during the Meet

- The decision of the Authority to include a condition in LoP that the imported broodstock should be destroyed after six months from the date of import was informed. The consequences on use of non-SPF broodstock or mixing of SPF and non-SPF broodstocks for nauplii production and selling of nauplii to low biosecured unregistered backyard hatcheries were explained to refrain from such practices.

- Regarding requirements of broodstock and seed, it was decided that the market forces should take care of the requirements of hatcheries and specific guidelines and infrastructure requirements should be framed to set up nauplii rearing centres to meet the requirement of additional seed production without importation of broodstock and without maturation system with a caution that any adult broodstock found in such systems should lead to closure of the hatchery.



Interaction with stakeholders in the Meet

- It was suggested to shortlist more overseas broodstock suppliers as at present 90% of import of broodstock is done only from one source and that there is no genetic improvement of broodstock. It was recommended that hatcheries which have imported the entire quota of broodstock allotted to them for the year may apply for additional requirements, if any, for consideration of the Authority by working suitable modalities. Simplification of proforma for record maintenance, submission of progress reports *etc.*, was also discussed.
 - The recommendations evolved at the review meeting were discussed in detail at the 51st meeting of the Authority for further follow up action.
- (iv) The Committee constituted as per decision of the 50th meeting of the Authority for suggesting suitable recommendations for amending the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005 and the Guidelines issued thereunder met at CIBA, Chennai on 20.02.2015. It was decided to jot down the issues that need amendment along with justification to be circulated to the members for more focused discussions and follow up at the subsequent meetings.

3. Registration of Shrimp Farms

One of the major tasks accomplished by the CAA was the registration of shrimp farms on the recommendations of the SLCs and DLCs constituted for this purpose.

- The Authority considered the applications recommended by the District and State Level Committees for registration of shrimp farms in its meetings held regularly once in two months and has approved and issued 28,473 registration certificates to shrimp farmers till March 2015 (since inception of the CAA).
- A statement showing the total number of Certificates of Registration issued by the Authority in all the 12 Maritime States/ UTs is given in the Table 2 and their State-wise and area-wise distribution in terms of number of farms is depicted in Figures 1 and 2. The details of registered farms are also made available to the end users in the Authority's website, which is being updated periodically.

**Table 2 : Details of Registration Certificates issued by CAA
from 1st to 51st Meeting (December 2005-March 2015)**

Sl. No.	Name of States	No. of Farms under Total Area (ha)						Area of Farm	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.01	Total	TFA (ha)	WSA (ha)
1	West Bengal	1,948	165	6	0	0	2,119	2,345	1,575
2	Odisha	5,592	422	29	13	0	6,056	7,892	5,040
3	Andhra Pradesh	15,021	1,047	120	52	9	16,249	23,553	16,670
4	Tamil Nadu	907	630	131	19	1	1,688	4,977	3,438
5	Puducherry	29	1	0	0	0	30	55	41
6	Kerala	774	165	15	4	0	958	1,818	1,230
7	Karnataka	258	41	2	2	0	303	408	315
8	Goa	21	15	2	2	0	40	136	96
9	Maharashtra	91	121	24	18	6	260	2,053	1,289
10	Gujarat	140	603	8	1	2	754	3,436	2,451
11	Daman & Diu	0	12	0	0	0	12	60	38
12	A & N Islands	3	1	0	0	0	4	22	5
	Total	24,784	3,223	337	111	18	28,473	46,755	32,188

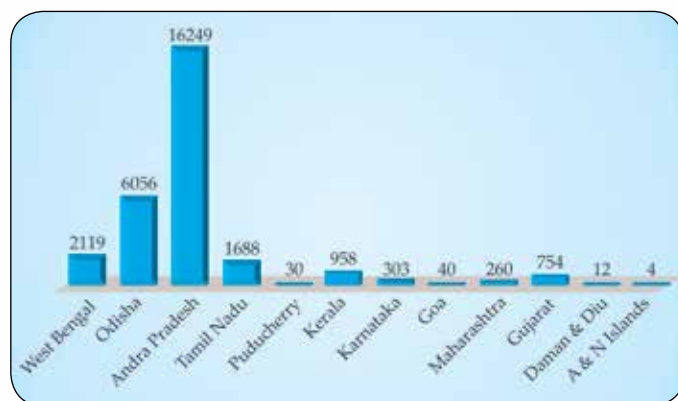


Figure 1 Registration of number farms (State-wise) in all coastal states from December 2005 to March 2015

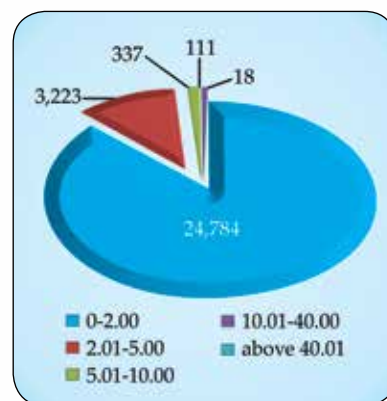


Figure 2 Registration of number of farms (area-wise) in all coastal states from December 2005 to March 2015

- During the year under report (April 2014 to March 2015), the Authority has considered and approved 1,026 applications (including one each of Director of Fisheries, Goa; FCRI, Tamil Nadu Fisheries University, Thoothukudi, Tamil Nadu and KUFOS, Kochi, Kerala). The registration certificates were issued and dispatched directly to the farmers and the certificates returned undelivered

were sent to the Member Conveners of the SLCs of the states as resolved in the 27th meeting of the Authority.

- A statement showing the total number of farms registered with the Authority during April 2014 to March 2015 in the 12 Maritime States/ UTs is given in Table 3. Charts showing the details of shrimp farms registered with the Authority (State-wise and area-wise) are depicted in Figures 3 and 4.

Table 3 : Details of Registration Certificate issued by CAA during the Current Year (April 2014-March 2015)

Sl. No.	Name of States	No. of Farms under Total Area (ha)						Area of Farm	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.01	Total Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	West Bengal	68	0	0	0	0	68	72	50
2	Odisha	564	3	2	3	0	572	812	497
3	Andhra Pradesh	267	0	0	0	0	267	301	215
4	Tamil Nadu	8	0	0	0	0	8	14	10
5	Puducherry	24	0	0	0	0	24	33	25
6	Kerala	73	0	0	0	0	73	89	64
7	Karnataka	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Goa	2	1	1	0	0	4	19	11
9	Maharashtra	0	9	1	0	0	10	57	38
10	Gujarat	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A & N Islands	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1,006	13	4	3	0	1,026	1,397	910

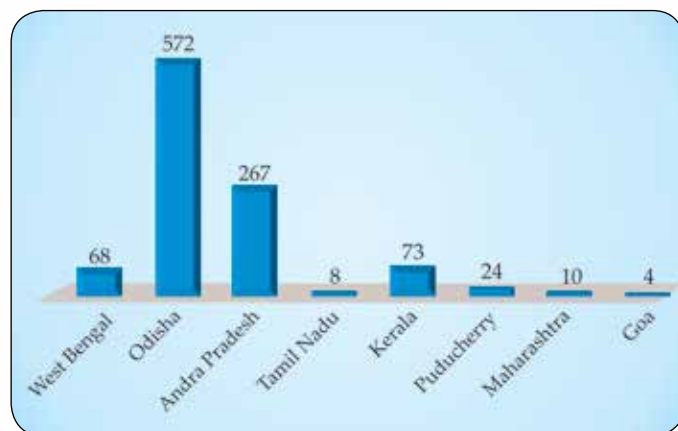


Figure 3 Registration of number of farms (State-wise) during the year 2014-15

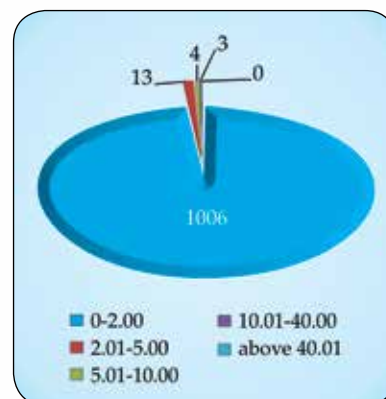


Figure 4 Registration of number of farms (area-wise) during the year 2014-15

- The total area of the farms registered (28,473 numbers) up to March 2015 was 46,755 ha and the water spread area was 32,188 ha and the total and WSA for the farms registered during the current year (1,026 numbers) were 1,397 ha and 910 ha, respectively as presented in Tables 2 and 3 are depicted in Figures 5 and 6.

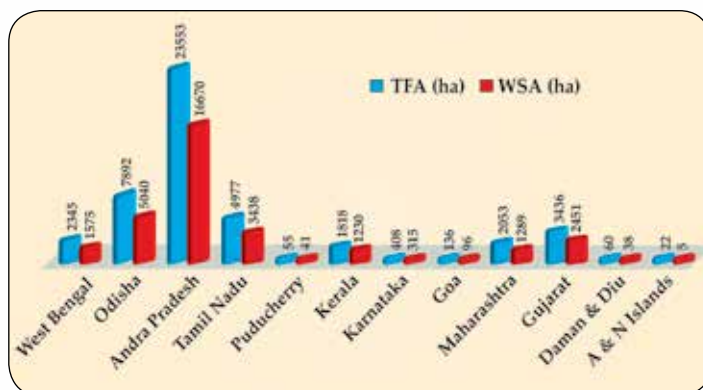


Figure 5 Total and WSA of the farms registered (State-wise) from December 2005 to March 2015

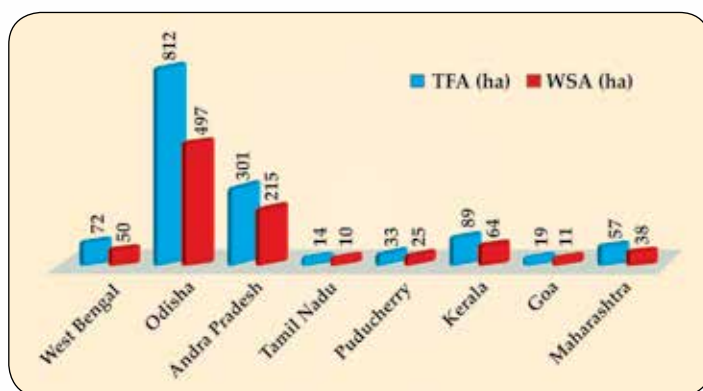


Figure 6 Total and WSA of the farms registered (State-wise) during the year 2014-15

4. Renewal of Registrations of Shrimp Farms (State-wise details)

Renewal of registration of coastal aquafarms with the Authority is mandatory after expiry of the period of approval. Renewal of registrations after expiry of 5 years period started during September 2012 and 1,283 farms with a total area of 2,860.81 ha (WSA 2,111.66 ha) were approved for renewal of registration till 2014-15.

- During the year, the Authority has considered 902 applications of farmers for renewal of registration and renewed all the 902 farms with a total area of 1,823.59 ha (WSA 1,358.12 ha) and endorsement to that effect has been made in the original Registration Certificates.
- A statement showing the registration of total number of farms renewed with the Authority up to March 2015 in the 12 Maritime States/ UTs is given in Table 4 and the State-wise and area-wise details of renewal of registration during the period

are depicted in Figures 7 and 8. The State-wise details of renewed farms during the current year (April 2014 to March 2015) are presented in Table 5 and the State-wise and area-wise details of renewal of registration in terms of number of farms during the current year are depicted in Figures 9 and 10.

Table 4 : Details of Renewal of Registration Certificate issued by CAA during September 2012-March 2015

Sl. No.	Name of States	No. of farms WSA (ha)					Total	TFA (ha)	WSA (ha)
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	Above 40.01			
1	West Bengal	2	0	0	0	0	2	0.63	0.18
2	Odisha	206	2	0	0	0	208	294.99	190.86
3	Andhra Pradesh	605	2	0	0	0	607	1,153.40	889.29
4	Tamil Nadu	289	12	0	0	0	301	759.86	565.90
5	Puducherry	2	0	0	0	0	2	4.30	2.81
6	Kerala	20	0	0	0	0	20	29.16	22.38
7	Karnataka	16	6	0	0	0	22	43.67	35.74
8	Goa	10	0	0	0	0	10	22.26	15.64
9	Maharashtra	28	7	2	0	0	37	106.79	78.26
10	Gujarat	4	60	0	0	1	65	400.75	281.80
11	Daman & Diu	0	9	0	0	0	9	45.00	28.80
12	A & N Islands	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1,182	98	2	0	1	1,283	2,860.81	2,111.66

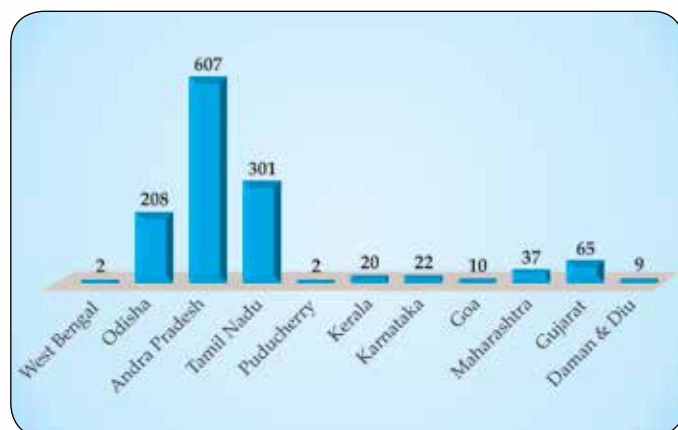


Figure 7 Renewal of number of Registrations of farms (State-wise) in all coastal States during September 2012 to March 2015

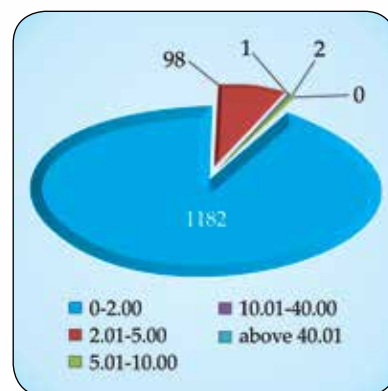


Figure 8 Renewal of Registrations of farms (area-wise) during the year 2014-15

Table 5 : Details of Renewal of Registration Certificate issued by CAA during April 2014-March 2015

Sl. No.	Name of States	No. of farms / WSA (ha)					Total	TFA (ha)	WSA (ha)
		0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	Above 40.01			
1	West Bengal	2	0	0	0	0	2	0.63	0.18
2	Odisha	163	0	0	0	0	163	197.96	125.22
3	Andhra Pradesh	599	2	0	0	0	601	1,136.78	878.44
4	Tamil Nadu	99	0	0	0	0	99	375.16	271.98
5	Puducherry	2	0	0	0	0	2	4.30	2.81
6	Kerala	9	0	0	0	0	9	14.04	10.66
7	Karnataka	3	1	0	0	0	4	8.64	7.31
8	Goa	10	0	0	0	0	10	22.26	15.64
9	Maharashtra	3	7	2	0	0	12	63.82	45.88
10	Gujarat	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A & N Islands	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	890	10	2	0	0	902	1,823.59	1,358.12

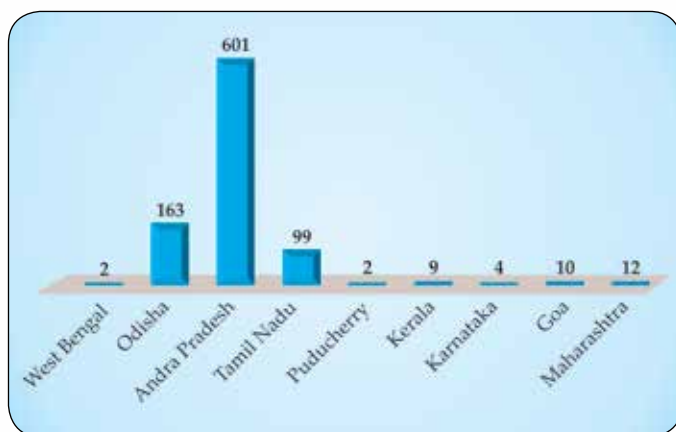


Figure 9 Renewal of number of Registrations of farms (State-wise) during the year 2014-15

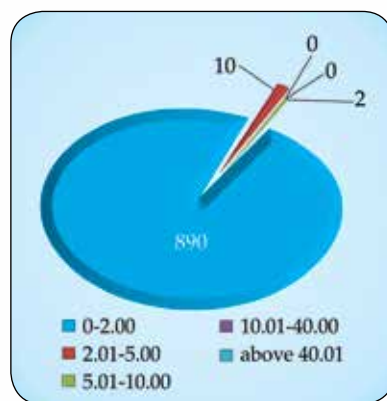
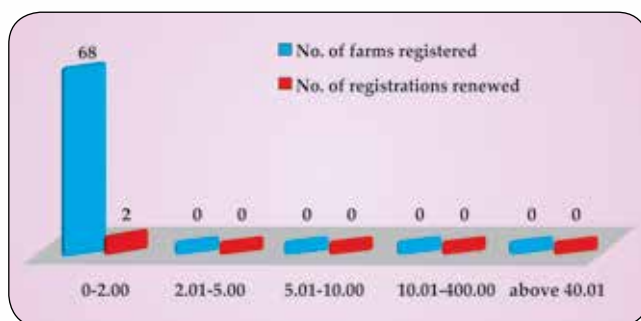


Figure 10 Renewal of Registrations of farms (area-wise) during the year 2014-15

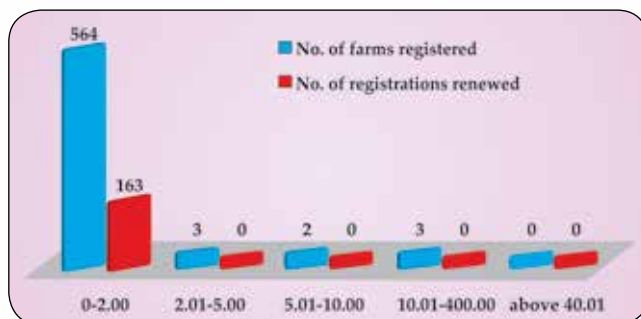
- Out of the 12 Maritime States/ UTs, both the registration and renewal of registration of shrimp farms approved by the Authority during the year was carried out in 9 States (West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Karnataka, Goa and Maharashtra), their area-wise break up are depicted in charts given as **Figures 11 to 19** below :

West Bengal



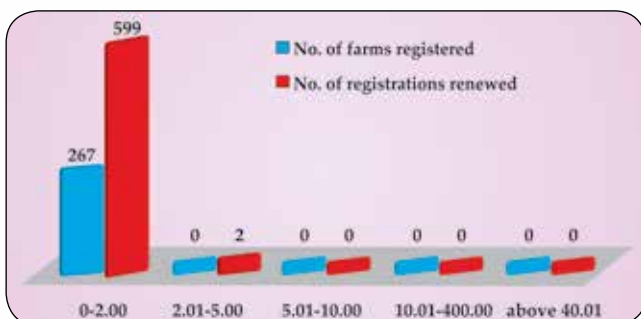
Area (ha)	No. of Farms registered	No. of Registrations renewed
0 - 2.00	68	2
2.01-5.00	0	0
5.0-10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	0

Odisha



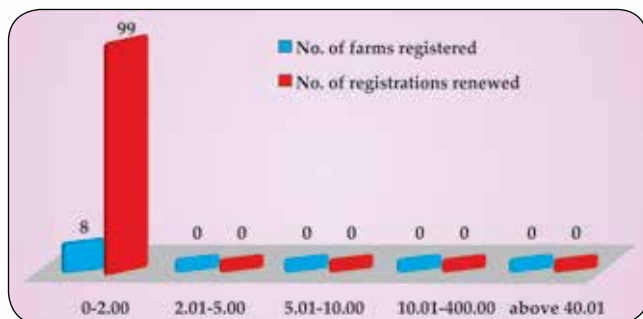
Area (ha)	No. of Farms registered	No. of Registrations renewed
0 - 2.00	564	163
2.01-5.00	3	0
5.0-10.00	2	0
10.01- 40.00	3	0
above 40.01	0	0

Andhra Pradesh



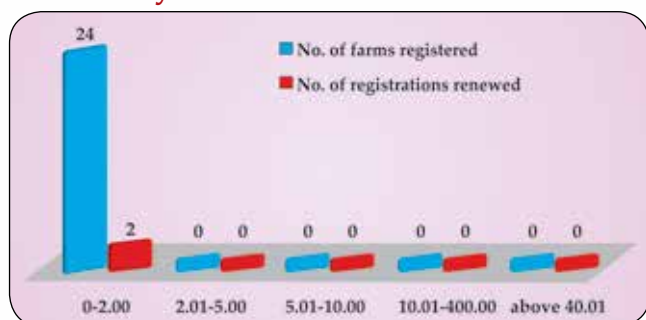
Area (ha)	No. of Farms registered	No. of Registrations renewed
0 - 2.00	267	599
2.01-5.00	0	2
5.0-10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	0

Tamil Nadu



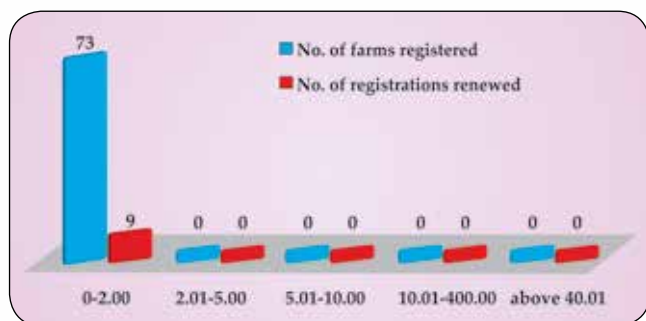
Area (ha)	No. of Farms registered	No. of Registrations renewed
0 - 2.00	8	99
2.01-5.00	0	0
5.0-10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	0

Puducherry



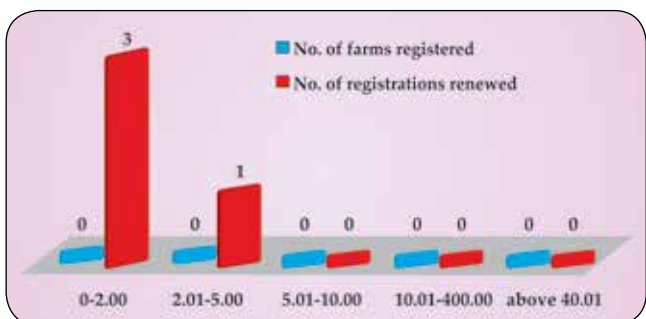
Area (ha)	No. of Farms registered	No. of Registrations renewed
0 - 2.00	24	2
2.01-5.00	0	0
5.0-10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	0

Kerala



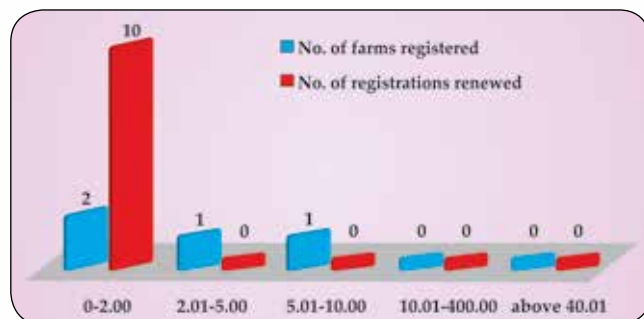
Area (ha)	No. of Farms registered	No. of Registrations renewed
0 - 2.00	73	9
2.01-5.00	0	0
5.0-10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	0

Karnataka



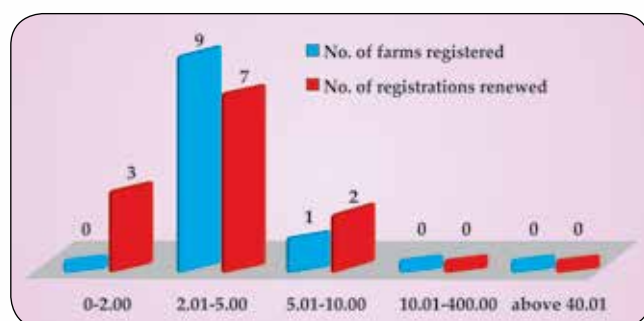
Area (ha)	No. of Farms registered	No. of Registrations renewed
0 - 2.00	0	3
2.01-5.00	0	1
5.0-10.00	0	0
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	0

Goa



Area (ha)	No. of Farms registered	No. of Registrations renewed
0 - 2.00	2	10
2.01-5.00	1	0
5.01-10.00	1	0
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	0

Maharashtra



Area (ha)	No. of Farms registered	No. of Registrations renewed
0 - 2.00	0	3
2.01-5.00	9	7
5.01-10.00	1	2
10.01- 40.00	0	0
above 40.01	0	0

5. Efforts taken by CAA to promote Registration/ Renewal of Aquafarms

- For expediting the process of registration, letters were sent to District Collectors and Secretaries of Fisheries of various coastal States.
- Farmers have been advised through public notices in leading newspapers, CAA website as well as through SLCs/ DLCs on the need for farm registration/ renewal of coastal aquaculture farms with CAA and the consequences to be faced if not registered.
- Awareness on registration/ renewal of farms for undertaking farming of shrimps (*P. monodon*, SPF *L. vannamei*), finfishes, crabs, etc., are created by CAA through awareness programmes conducted in coastal states and also sensitizing the farmers by CAA monitoring team during their field visits.
- Organizing workshops and participation in exhibitions connected with coastal aquaculture illustrating the importance of registration/ renewal of coastal aquaculture farms displayed in posters as well as by distribution of brochures/ handouts prepared in local languages to aquafarmers and related stakeholders. Also, farmers are being educated about the provision for punishment/ penalty, if the farms for aquaculture purpose are not registered with CAA.
- Destruction/ disposal of the stock from unapproved farms by the Inspection Team.

- The updated version of Compendium of CAA Act, Rules, Guidelines and Notifications published by CAA in bilingual (Hindi and English) format containing various amendments to the Rules and Guidelines as well as all new Notifications issued till March 2014 was brought out and distributed to the DLCs, SLCs and stakeholders to facilitate the farmers/ stakeholders to comply with the notified statute, Rules, Guidelines and Regulations of CAA. The updated version of the Compendium is hosted in CAA website also for utilisation by farmers/ stakeholders.

III. B. SPF *Litopenaeus vannamei* Farming

(i) Selection of SPF *L. vannamei* Broodstock Suppliers

CAA carried out the exercise of short listing and selecting the suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock, based on the genetic base and disease status, by holding intensive discussions with the prospective suppliers in consultation with other related organizations like CIBA, NFDB and MPEDA. There were nine suppliers existing till 2013-14. In order to meet additional requirements of SPF *L. vannamei* broodstock arisen due to the addition of considerable number of new hatcheries in the country and also to ensure the supply from EMS-free countries, short listing for selecting additional suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock was taken up by inviting expression of interest. Based on personal presentations the Technical Evaluation Committee recommended M/s. P T Bibit Unggul (Global Gen) from Indonesia during the current year and the same was approved by the Authority in its 48th meeting held on 26.08.2014. Altogether, ten suppliers as detailed below have been approved for the supply of broodstock of SPF *L. vannamei* till 2014-15 :

1. M/s. Oceanic Institute, Hawaii
2. M/s. Kona Bay Marine Resources, Hawaii
3. M/s. Shrimp Improvement Systems, Florida
4. M/s. SyAqua, Thailand
5. M/s. Vannamei 101 Co. Ltd., (with joint venture), Thailand
6. M/s. Charoen Pokphand Foods Public Co. Ltd., Thailand
7. M/s. Shrimp Improvement Systems Pte. Ltd., Singapore
8. M/s. Shrimp Improvement Systems Pte. Ltd., Hawaii
9. M/s. High Health Aquaculture Inc., Hawaii
10. M/s. P T Bibit Unggul (Global Gen), Indonesia

Due to the prevalence of EMS in South East Asian Countries importers were advised to exercise due caution while importing broodstock from these sources. They were subsequently advised that since OIE (World Animal Health Organization) has officially reported four countries in Asian region (*viz.* China, Malaysia, Thailand and Vietnam)

as EMS affected, import of broodstock from other countries which are reported to be free from EMS may be considered subject to furnishing the required certification from exporting countries and on fulfilling pre border quarantine requirements.

(ii) Meeting of the Technical Evaluation Committee on Import of broodstock

Meeting of the Technical Committee to workout annual requirement of broodstock of SPF *L. vannamei* was clubbed with the review meeting to discuss the issues faced by shrimp hatchery operators held on 21st January 2015 at Chennai due to the common issues involved. The details of the discussions are given in earlier paragraph under the sub-head 'Other Meetings of Committees'.

(iii) Import of SPF *L. vannamei* broodstock and Seed production in the year 2014-15

- CAA grants approvals for import of SPF *L. vannamei* broodstock and seed production in biosecured hatcheries and also for farming SPF *L. vannamei* in biosecured farms. CAA also regularly conducts inspection of the hatcheries and farms. Monitoring of hatcheries and farms is carried out to ensure that the quality of wastewater discharged from the ETS conform to the standards prescribed by CAA.
- During the year 2014-15, a total of 902 applications were received from the hatchery operators for issuance of new registrations. After scrutinizing the applications, the Inspection Committee constituted by the CAA inspected the hatcheries to evaluate their facilities and ascertain their suitability. On the basis of the report of the Inspection Committee, 27 new hatcheries (18 in Andhra Pradesh and 9 in Tamil Nadu) were given approval by the Authority (in the 47th to 51st meetings) for import of broodstock and seed production of SPF *L. vannamei* and LoPs were issued for 24 hatcheries to import broodstock during 2014-15 and for the remaining 3 hatcheries during 2015-16.



Inspection of SPF *L. vannamei* hatcheries



Inspection of SPF *L. vannamei* hatcheries

- As per the recommendation of the committee constituted for granting permission to hatcheries, LoPs were renewed for 114 hatcheries out of the 117 hatcheries approved during 2013-14.
- Letters of Permission for the 45 hatcheries approved in the fortieth meeting of the Authority held on 19.03.2013 and 24 out of 27 new hatcheries permitted during 2014-15 were issued during the current year.
- Altogether, LoPs have so far been issued to 183 hatcheries (135 in Andhra Pradesh, 43 in Tamil Nadu, 3 in Gujarat and 1 each in Odisha and Karnataka) with production capacity of 13,928 million post larvae per annum and they were permitted to import 1,65,156 pairs of SPF *L. vannamei* broodstock for the year 2014-2015. The validity of the LoP is up to 31.03.2015. The State-wise details of the approved hatcheries with their production capacity are presented in Table 6, their distribution on percentage is depicted in Figure 20 and the district-wise distribution is provided in Figure 21.

Table 6 : State-wise distribution of SPF *L. vannamei* hatcheries approved by CAA for the year 2014-15

Sl. No.	State / District	No. hatcheries permitted	Seed production capacity (million/annum)	No. broodstock permitted (pairs)
1	Andhra Pradesh			
	a) Vizianagaram	7	680	8,160
	b) Nellore	37	3,003	36,036
	c) Visakhapatnam	22	1,858	21,396
	d) East Godavari	48	3,124	36,678
	e) Guntur	5	313	3,756
	f) Prakasam	15	1,250	15,000
	g) Srikakulam	1	140	1,680
	Sub Total	135	10,368	1,22,706
2	Tamil Nadu			
	a) Villupuram	23	2,040	24,480
	b) Kancheepuram	17	1,015	11,910
	c) Nagapattinam	2	100	1,200
	d) Cuddalore	1	120	1,440
	Sub Total	43	3,275	39,030
3	Odisha - Puri	1	90	1,080
4	Gujarat - Junagadh and Valsad	3	135	1,620
5	Karnataka - Uttar Kannada	1	60	720
	Total	183	13,928	1,65,156

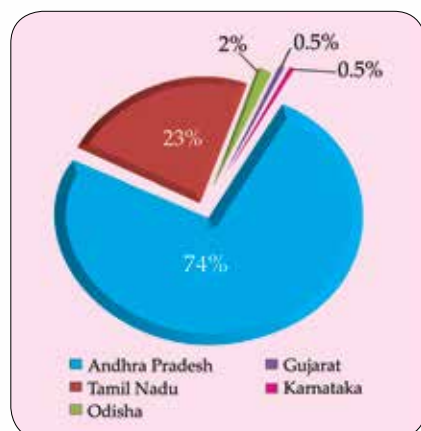


Figure 20 State-wise distribution of *L. vannamei* hatcheries during 2014-15

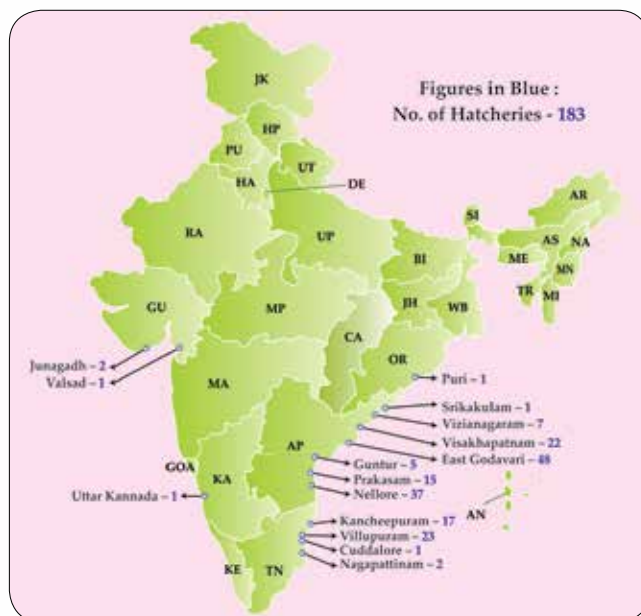


Figure 21 District-wise distribution of permitted SPF *L. vannamei* hatcheries

(iv) Performance of SPF *Litopenaeus vannamei* Hatcheries in India

- The total number of broodstock permitted during 2014-15 was 1,99,798 pairs (inclusive of 50% increase allowed by CAA during 2014-15) for all the 183 hatcheries with a minimum production potential of 13,928 million SPF seeds. From reports received from the hatcheries, it is estimated that a total of 13,442.05 million seed (Post Larvae) were produced during the year and supplied to the registered shrimp farmers. The hatcheries have produced about 59,922.78 million nauplii through 2,86,815 spawnings and the overall survival rate from nauplii to PL is estimated at 22.43 per cent.
- The number of *L. vannamei* hatcheries have grown steadily with 9 from the commencement of the programme (July 2009) and reached a level of 183 hatcheries within a period of six years (March 2015), with a production capacity of 13,928 million seeds.
- Seed production has also increased considerably from 310.69 million during 2009-10 to 13,442.05 million (estimated) during 2014-15 by the approved hatcheries. The State of Andhra Pradesh contributed maximum to the fast growth starting with 6 hatcheries during 2008-09 to 135 during 2014-15 followed by Tamil Nadu with 3 during 2008-09 to 43 in 2014-15. While the number of hatcheries in Gujarat increased from 1 in 2009-10 to 2 in 2012-13 and to 3 during 2013-14, no hatcheries were added in Odisha and Karnataka. The growth of SPF *L. vannamei* hatcheries approved by CAA since inception (July 2009) up to 51st meeting (March 2015) in the country is presented in Table 7 and the State-wise growth in hatcheries and seed production during the period is depicted in Figures 22 and 23.

Table 7 : Growth of CAA approved *L. vannamei* hatcheries in India Since inception (July 2009) up to 51st meeting (March 2015)

Year	No. of Hatcheries Permitted	Production Capacity (million)	No. of Broodstock		Seed Produced (million)
			Permitted (pairs)	Imported (pairs)	
2008-09	9	-	-	-	-
2009-10	24	615	15,300	12,367	310.69
2010-11	21	1,329	16,100	10,733	1,328.88
2011-12	74	5,608	48,720	18,980	2,465.06
2012-13	105	8,295	66,360	64,580	8,000.00
2013-14	117	8,776	70,208	52,818	5,044.75
2014-15	183	13,928	1,99,798	1,65,156	13,442.05

Figure 22 Growth of *L. vannamei* hatcheries and seed production in the country during the years 2008-09 to 2014-15

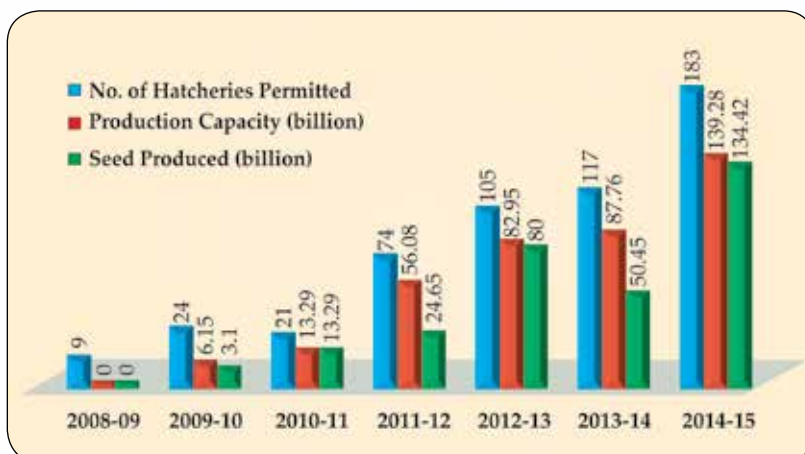
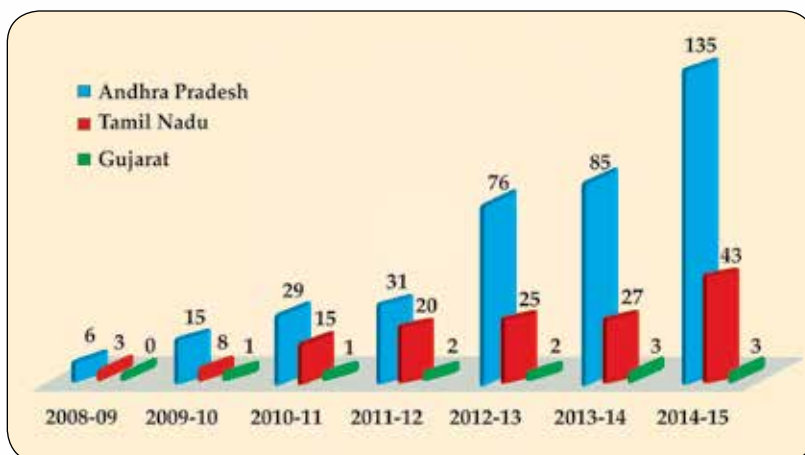


Figure 23 Growth of *L. vannamei* hatcheries in Coastal States



In order to facilitate the hatcheries to enhance production of improved quality SPF *Litopenaeus vannamei* seeds, CAA has taken the following measures :

- Allotment of broodstock was increased by 50% during 2014-15.
- In view of the inadequate space in the aquatic quarantine, it was decided to permit sale of nauplii among CAA approved hatcheries as per the notification G.S.R.280(E) dated 23rd March 2012. This has enabled better utilization of the imported broodstock for PL production.
- The Authority in its forty sixth meeting held on 29th April 2014 decided to allow consortium of hatcheries after assessment of production capacity of the lead hatchery in order to help the other consortium partner hatcheries which have poor maturation performance to get the nauplii production done at the lead hatchery of the consortium.

- It has been decided to permit hatcheries which have imported the entire quantity of broodstock allotted to them for the year to apply for additional requirement, if any, which will be considered by the Authority on a case to case basis with due regard to the annual requirement, subject to the condition that the same is allocated proportionate to the remaining period in the year and the excess number, if any, will be carried forward against the allocation to be made to that hatchery in the next year.



Biosecurity in hatchery-Compound wall and tyre wash



GAqP-Instructions to be followed before entry in biosecured hatcheries



Biosecurity-Sand filter



Biosecurity-Shower Room



Water treatment and Filtration systems in biosecured hatchery



Interior view of biosecured hatcheries



Separate implements in biosecured hatcheries



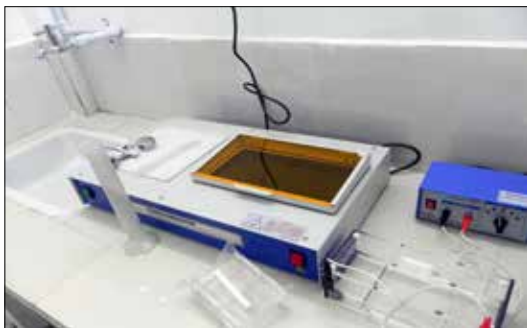
Maturation section in biosecured hatcheries



Indoor algal culture in a biosecured hatchery



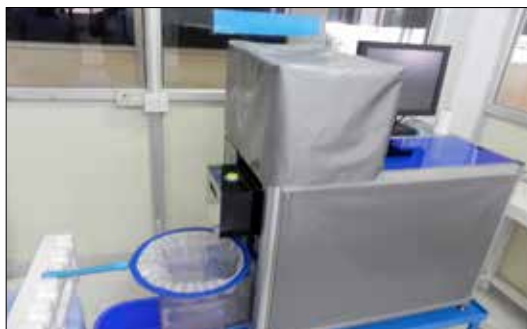
Artemia section in biosecured hatcheries



Laboratories in biosecured hatcheries



Shrimp measuring machine in a biosecured hatchery



Outdoor algal tanks in biosecured hatcheries



Biosecurity-ETS in hatcheries



GAqP-New type of aeration in ETS and hygienic waste disposal in biosecured hatcheries



Early post larvae



Post larvae

v) Consortium of Hatcheries

The concept of consortium of hatcheries was introduced by the CAA as resolved in the 46th meeting of the Authority held on 29th April 2014 in order to facilitate import of SPF *L. vannamei* broodstock jointly by those hatcheries having lesser production capacity under the supervision of a lead hatchery and using the AQF facility together. The scheme also helps those hatcheries which have poor maturation performance to have the nauplii production done at the lead hatchery of the consortium and PL production in the partner hatcheries. The scheme enabled import and quarantining of SPF *L. vannamei* broodstock at considerably less cost. Out of the 183 hatcheries approved as on 31.03.2015 with production capacity of 13,928 million, 65 hatcheries with production capacity of 4,830 million have formed 21 consortia each one accommodating 2 to 12 numbers of small hatcheries. The consortia formed 55.08% of the total number of hatcheries registered as on 31.03.2015 with 53.09% of the production capacity (Figure 24). The import level of broodstock in consortia ranged between 20 and 80% of total allocation with an average of around 50 per cent.

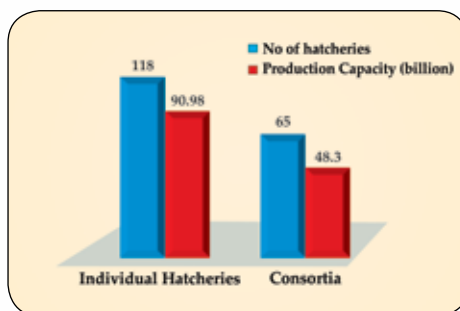


Figure 24 Consortia in SPF *L. vannamei* hatcheries

vi) Action taken against non-compliance of CAA Guidelines/ unauthorized *L. vannamei* seed production

While carrying out the routine monitoring of shrimp hatcheries as well as during inspection of hatcheries on specific complaints to ascertain the illegal seed production of *L. vannamei*, the inspection team visited a total of 29 shrimp hatcheries in Nellore, Prakasam and East Godavari Districts of Andhra Pradesh and Kancheepuram and

Villupuram Districts of Tamil Nadu, of which 18 hatcheries (16 in Andhra Pradesh and 2 in Tamil Nadu) were found to have been involved in unauthorized *L. vannamei* seed production.

During these visits, the team observed 2,000 numbers of unauthorized broodstock of *L. vannamei* as well as 296.3 million larvae produced using pond reared broodstock. The unauthorized stocks were destroyed on the spot by the team as per the guidelines given in G.S.R.280(E) dated 23rd March 2012 notified by the Ministry of Agriculture. Further actions taken on these hatcheries by the Authority are as detailed below :

Action taken against Registered hatcheries for non-compliance of CAA Guidelines

- LoP of a *L. vannamei* hatchery in Nellore District, Andhra Pradesh was cancelled and their Bank Guarantee of ₹5,00,000/- invoked due to violation of CAA Guidelines on *L. vannamei* seed production by using pond reared broodstock as confirmed by the Monitoring Team on 11.11.2014. The action is as per the decision taken in the Authority in its 51st meeting held on 27.02.2015 after issuing a show-cause notice on 02.12.2014 and also after holding a personnel hearing on 19.01.2015.
- A fine of ₹1,00,000/- was imposed to another hatchery in Villupuram District, Tamil Nadu for violation of Clause 4 of Part I of Annexure II of CAA Rules, 2005 as amended *vide* G.S.R. 302(E) dated 30th April 2009 on requirement of biosecurity in *L. vannamei* hatcheries by letting out drainage wastewater from all the sections of the hatchery directly to the open sea without treating it in ETS as confirmed by the Monitoring Team on 19.09.2014. The action is in accordance with the decision taken by the Authority in its 50th meeting held on 19.12.2014 after issuing a show-cause notice on 14.10.2014 and also after holding a personnel hearing on 05.12.2015.

Action taken against Unregistered hatcheries for illegal seed production

- Closure orders were issued to 12 unregistered hatcheries which were involved in unauthorized seed production of *L. vannamei* in Andhra Pradesh as resolved in the Authority meetings (2 in the 48th meeting held on 26.08.2014, 6 in 50th meeting held on 19.12.2014 and 4 in the 51st meeting held on 27.02.2015). The matter was also taken up with the District Collectors concerned to take necessary action against the illegal hatcheries.
- A Public Notice was also issued in all the leading newspapers stating that the list of CAA approved hatcheries is available in the website of CAA (website address www.caa.gov.in given in Telugu also) and that other hatcheries are not permitted to produce/ sell seeds of *L. vannamei*. The Notice was uploaded in the Authority's website also.



Inspection in an unauthorized *L. vannamei* hatchery

- Another Public Notice dated the 9th July 2014 was issued stating that the new shrimp hatchery entrepreneurs/operators who are interested in establishing new shrimp hatcheries in coastal areas should obtain prior approval of the Coastal Aquaculture Authority (CAA) before starting construction. The Notice was hosted in the Authority's website also directing the applicants to submit their proposal along with the site plan and design as per the proforma available in the CAA website www.caa.gov.in.



Impact of action taken against unauthorized hatchery

(vii) Permission to shrimp farms to culture SPF *L. vannamei*

Perused the proposals received from farmers for taking up SPF *L. vannamei* culture; the farms were inspected by the Inspection Teams constituted by CAA and the following biosecurity requirements essential for SPF *L. vannamei* culture were verified and ensured by the team for granting permission :

- peripheral fencing of farms;
- crab fencing;
- water intake reservoirs;
- installation of bird netting/ bird scares;
- Effluent Treatment System (ETS).



Inspection of *L. vannamei* farms



View of a biosecured *L. vannamei* farm



Farm fencing in biosecured *L. vannamei* farms



Crab fencing in biosecured *L. vannamei* farms



Biosecurity in *L. vannamei* farms - Bird netting and Bird scare



Bird netting in a biosecured *L. vannamei* farm



Water intake and filtration at intake point in a biosecured farm



Biosecurity in *L. vannamei* farm-Reservoir for water treatment and ETS for wastewater treatment



GAqP-Farm with observation tower



GAqP-Restriction in entry to personnel

In order to facilitate faster processing of proposals received from farmers for taking up SPF *L. vannamei* culture and issuance of CAA registration to cope up with the faster development in the sector, CAA constituted District Level Teams (DLTs) in the coastal States to inspect farms having water spared area below 5 ha and to recommend eligible cases to CAA after verifying the essential biosecurity requirements.

On the basis of the recommendations of the Inspection Team and the District Level Teams, further processing is done at the level of Member Secretary CAA, after which the proposals are placed before the Authority for consideration. After the approval by CAA, the farms are registered and LoPs are issued to the farmers.

- During the year under report (2014-15), the Authority has registered 173 farms with water spread area of 621.64 ha and all the farms were issued LoPs for SPF *L. vannamei* farming.
- The State-wise details of the farms for which registration and LoPs were issued are given in Table 8, and their percentage distribution is depicted in Figure 25. The area-wise distribution of farms in different states is depicted in Figure 26.

Table 8 : State-wise details of permission of SPF *L. vannamei* farms from April 2014 to March 2015

Sl. No	Name of the State	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	60	330.82	230.54
2	Tamil Nadu	24	79.00	57.86
3	Gujarat	35	252.64	185.12
4	Maharashtra	10	59.47	40.13
5	Karnataka	6	16.38	13.84
6	Kerala	1	29.26	18.56
7	Odisha	36	95.96	73.09
8	Goa	0	0	0
9	Puducherry	1	3.04	2.50
10	Daman & Diu	0	0	0
11	West Bengal	0	0	0
	Total	173	866.57	621.64

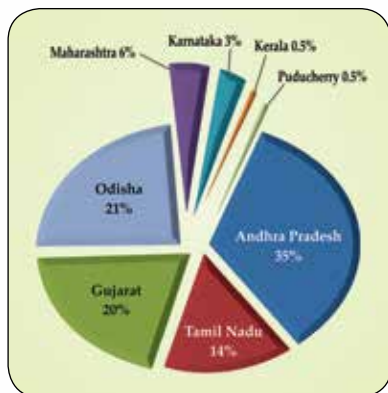


Figure 25 Percentage distribution of CAA approved *L. vannamei* farms for the year 2014-15

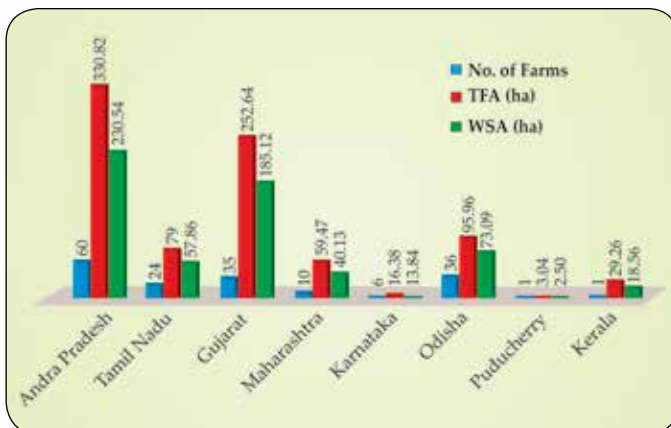


Figure 26 Details of *L. vannamei* farms permitted in the current year

- CAA has so far registered and issued LoPs to 1,076 SPF *L. vannamei* farms till March 2015, covering a total area of 10,023.63 ha (WSA 6,782.04 ha), the State-wise details of the farms are presented in Table 9, their percentage distribution is depicted in Figure 27 and area-wise distribution in different States is depicted in Figure 28.

Table 9 : State-wise details of SPF *L. vannamei* farms permitted since inception (December 2009) up to 51st meeting (March 2015)

Sl. No	Name of the State	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	645	5,997.32	4,131.25
2	Tamil Nadu	147	1,123.82	776.03
3	Gujarat	86	904.51	638.29
4	Maharashtra	46	1,192.5	724.51
5	Karnataka	24	72.68	56.97
6	Odisha	115	584.32	359.59
7	Goa	6	31.11	22.09
8	Puducherry	2	20.11	14.35
9	Daman & Diu	3	60.00	38.40
10	West Bengal	1	3.00	2.00
11	Kerala	1	29.26	18.56
	Total	1,076	10,018.63	6,782.04

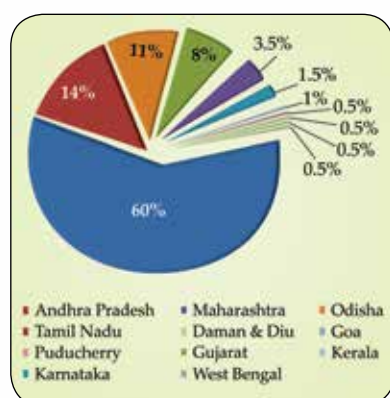


Figure 27 Percentage distribution of CAA approved *L. vannamei* farms : December 2009-March 2015

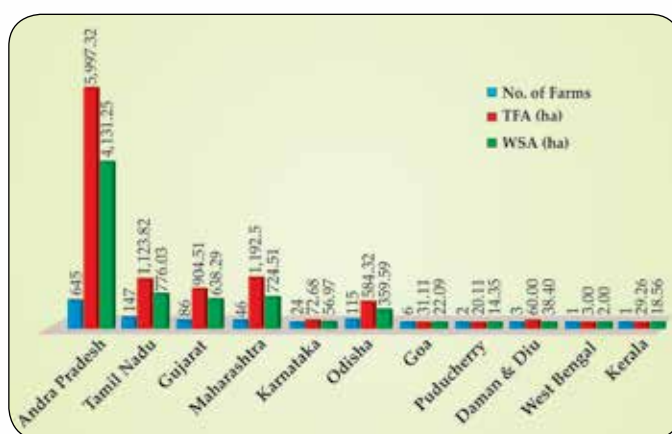


Figure 28 Details of *L. vannamei* farms permitted from December 2009 to March 2015

- The growth of *L. vannamei* farms in terms of number of LoPs issued in all coastal states from December 2009 to March 2015 is presented in Table 10. The country witnessed a fast growth in farming too, starting initially with 107 farms with total farm area of 1,744.9 ha during 2009-10 which has grown steadily

to 1,076 farms with total farm area of 10,023.63 ha during 2014-15 in a period of six years. The state of Andhra Pradesh contributed much to the growth and attained 1st place starting with 87 farms with total farm area of 1,236.3 ha during 2009-10 and reaching a level of 645 farms with total farm area of 5,997.3 ha during 2014-15 followed by Tamil Nadu (2nd place) with 147 farms (TFA 1,123.8 ha) during 2009-10 to 24 farms (TFA 79.0 ha) during 2014-15 and Gujarat (3rd place) with 35 farms (TFA 252.6 ha) during 2009-10 to 86 farms (TFA 904.5 ha) during 2014-15. The growth in terms of farm area is depicted in Figure 29 and the State-wise growth during the period is given in Figure 30. The district-wise distribution of *L. vannamei* farms as on March 2015 is given in Figure 31.

Table 10 : Number of LoPs issued for SPF *L. vannamei* Farming in all coastal States during December 2009 to March 2015

Sl. No	Name of the State	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
		No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	87	1,236.3	815.4	105	1,205.9	833.2	129	1,619.8	1,118.9	259	1,474.6	1,059.3
2	Tamil Nadu	6	90.1	55.4	32	324.2	203.4	41	276.9	213.8	34	295.3	202.5
3	Gujarat	4	146.0	78.0	6	125.0	97.0	18	172.5	128.6	11	104.4	74.4
4	Maharashtra	10	272.5	168.6	3	152.0	91.5	3	89.6	31.0	13	483.8	308.9
5	Goa	0	0	0	1	5.6	2.8	0	0	0	3	18.3	13.9
6	Karnataka	0	0	0	16	47.0	37.4	1	0.9	0.8	0	0	0
7	Kerala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Odisha	0	0	0	5	140.1	83.8	0	0	0	11	78.2	48.9
9	West Bengal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Puducherry	0	0	0	0	0	0	1	17.1	11.9	0	0	0
11	Damn & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60.0	38.4
	Total	107	1,744.9	1,117.4	168	1,999.8	1,349.1	193	2,176.8	1,505.0	334	2,514.6	1,746.3

Table 10 : (conti)

Sl. No	Name of the State	2013-14			2014-15			Total (2009-10 to 2014-15)		
		No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	5	129.9	73.8	60	330.8	230.5	645	5,997.3	4,131.3
2	Tamil Nadu	10	58.3	43.1	24	79.0	57.9	147	1,123.8	776.0
3	Gujarat	12	104.0	75.2	35	252.6	185.1	86	904.5	638.3
4	Maharashtra	7	135.1	84.4	10	59.5	40.1	46	1,192.5	724.5
5	Goa	2	7.2	5.4	0	0	0	6	31.1	22.1
6	Karnataka	1	8.3	5.0	6	16.4	13.8	24	72.7	57.0
7	Kerala	0	0	0	1	29.3	18.6	1	29.3	18.6
8	Odisha	63	270.1	153.9	36	96.0	73.1	115	584.3	359.6
9	West Bengal	1	3.0	2.0	0	0	0	1	3.0	2.0
10	Puducherry	0	0	0	1	3.0	2.5	2	20.1	14.4
11	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	3	60.0	38.4
	Total	101	715.9	442.8	173	866.6	621.6	1,076	10,018.6	6,782.2

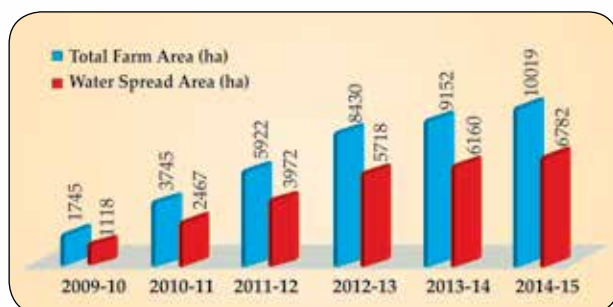


Figure 29 Growth of *L. vannamei* farms in terms of farm area during the years 2009-10 to 2014-15

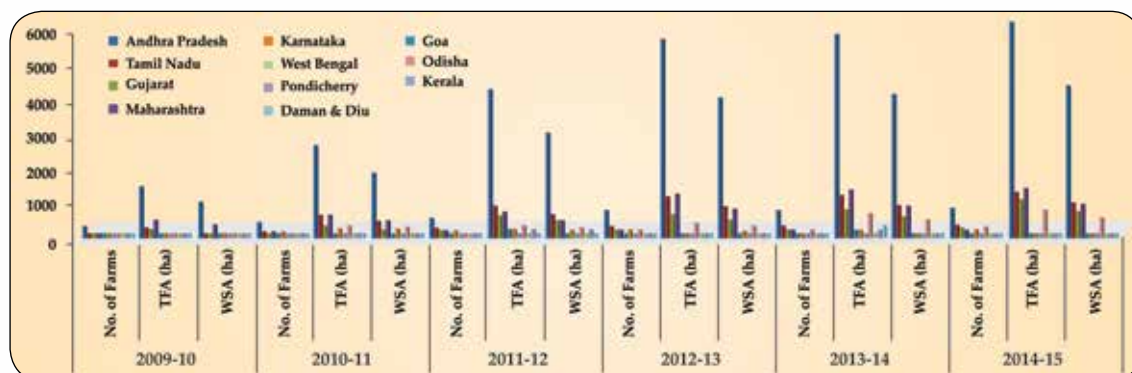


Figure 30 State-wise growth of *L. vannamei* farms during December 2009 to March 2015

(viii) State-wise performance of *L. vannamei* farming

During the year under report (2014-15), the Authority has registered 173 farms with water spread area of 621.64 ha distributed in 8 maritime states, of which Andhra Pradesh ranks 1st having WSA of 230.54 ha (60 farms), Gujarat ranks 2nd with 185.12 ha (35 farms), Odisha with 73.09 ha (36 farms) and Tamil Nadu having 57.86 ha (24 farms) followed by Maharashtra and Karnataka having 40.13 ha (10 farms) and 13.84 ha (6 farms) respectively. The states of Kerala and Puducherry are having one farm each with 18.56 and 2.5 ha respectively. SPF seeds (PL 12-15) supplied by the hatcheries approved by CAA were stocked in these farms, the gist of their performance is presented below :

Andhra Pradesh

The state of Andhra Pradesh recorded the highest number (645) of *L. vannamei* farm registrations with total farming area of 5,997.32 ha (WSA of 4,131.25 ha). Farms in this state are located in the districts of Nellore, East Godavari, Prakasam, West Godavari, Guntur, Krishna, Visakhapatnam and Srikakulam. Though the State ranks 1st in terms of number of farms registered, it ranks 3rd in terms of area developed per farm (average 6.4 ha). Farmers in the state stock about 0.45-0.65 million seed/ha and obtain yield of about 8-15 MT/ha in a culture period of about 60-130 days with survival rate ranging from 65-80 per cent. The average body weight during the culture period ranged between 10-26 g and the FCR 1.2 to 2.0.

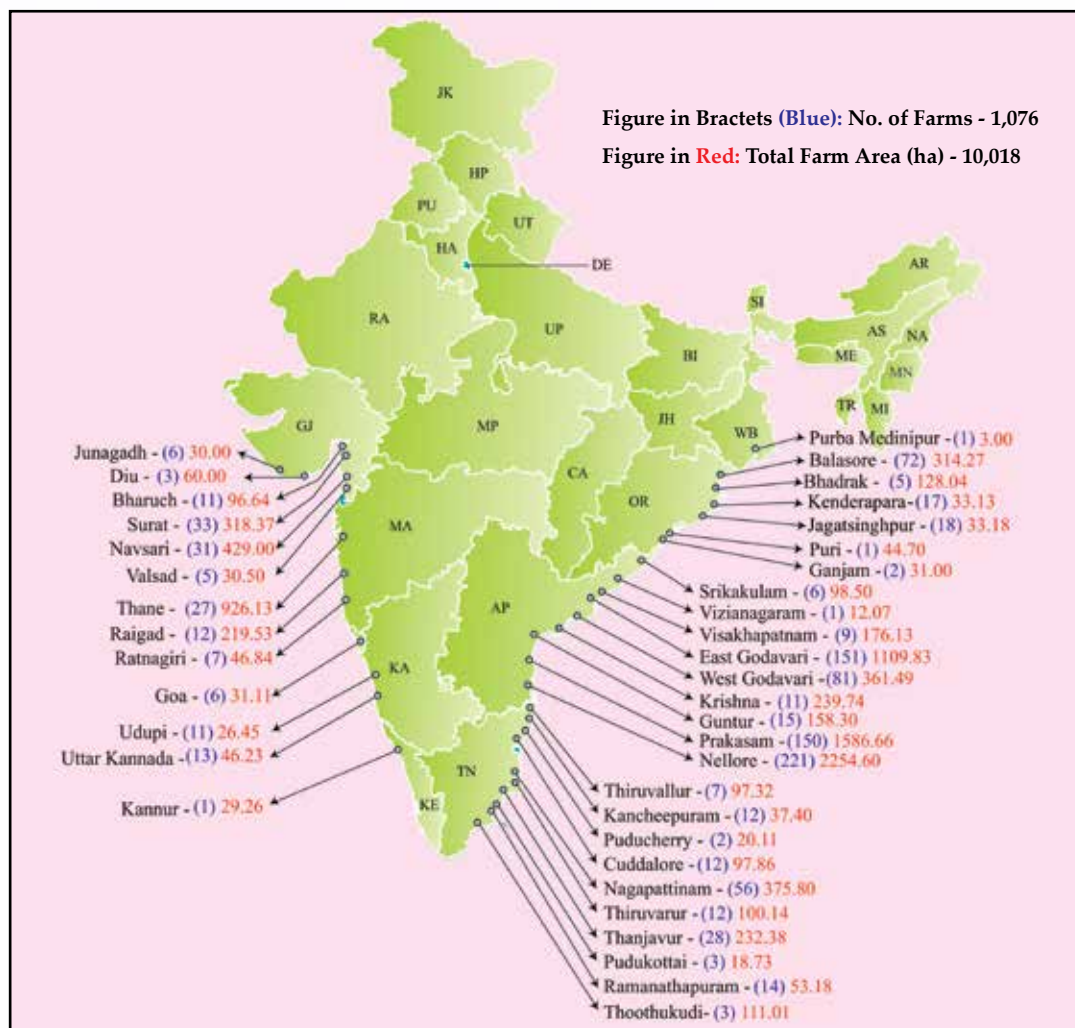


Figure 31 District-wise distribution of *L. vannamei* farms as on March 2015

Tamil Nadu

SPF *L. vannamei* farming in Tamil Nadu is carried out in 147 farms registered with CAA having total farm area of 1,123.82 ha and WSA of 776.03 ha. This State ranks 2nd in registration of *L. vannamei* farms located mainly in Pudukottai, Thanjavur, Thiruvarur, Nagapattinam, Cuddalore, Thiruvallur and Kancheepuram districts. However, it ranks 4th in terms of area developed per farm (average 5.28 ha). Stocking density in the State ranged between 0.40-0.60 million seed/ ha and the yield ranged between 6.5-10.5 MT/ha in a culture period of about 70-120 days. The farmers in the state could obtain survival rate of about 75% with average body weight ranging between 14-28 g with FCR of about 1.2-1.6.

Gujarat

SPF *L. vannamei* farms registered in Gujarat is 86 with total farm area of 904.51 ha and WSA of 638.29 ha. Though the State ranks 4th in terms of number of farms approved, it ranks 2nd in terms of area developed per farm (average 7.42 ha). SPF *L. vannamei* farms in Gujarat are located mainly in Valsad, Navsari, Surat and Bharuch districts. Farmers in the state practice systematic farming with stocking density ranging between 0.40-0.65 million seed/ha and the production ranged between 7.0-12.7 MT/ha in a culture period of about 60-140 days with survival rate of about 80 per cent. The average body weight during the culture ranged between 15 to 30 g with FCR of about 1.6.

Maharashtra

The number of farms registered in this State is 46 with a total farm area of 1,192.5 ha and water spread area of 724.51 ha. Maharashtra, though ranks 5th in terms of number of *L. vannamei* farm registered, it ranks 1st in terms of area developed per farm (average 15.75 ha) with farms located mainly in Thane, Raigad and Ratnagiri districts. The stocking density in the state is ranging between 0.35-0.50 million/ha and the yield ranged in between 4.5-9.0 MT/ha in a culture period of about 50-127 days. Survival rate in the state ranged in between 65-85% with average body weight of about 17-25 g and FCR ranging from 1.0-1.3.

Odisha

Litopenaeus vannamei farming in Odisha is picking up recently and out of the 115 farms registered with a total farm area of 584.32 ha (WSA 359.59 ha) so far, 99 farms having total farm area of 366.0 ha (WSA 226.95 ha) were registered during the last year (2013-14) and the current year (2014-15) only. Though the State ranks 3rd in terms of registration of farms, area developed per farm is less (average 3.12 ha). The farms are located mainly in Balasore, Bhadrak and Puri districts. Stocking density in this state range between 0.25 and 0.45 million/ha and the production ranged from 3.8 to 8.5 MT/ha in a culture period of about 70 to 114 days. The State reported better survival (about 90%), with average body weight of 25 g (22-28 g) and FCR ranging from 1.0 to 1.4 during the culture period.

Karnataka

Karnataka state has 24 registered *L. vannamei* farms (TFA 72.17 ha and WSA 57.0 ha) located mainly in the districts of Udupi and Uttara Kannada. Farmers in the State practice low density farming with about 0.25-0.35 million/ha with production ranging from 1.98 to 3.2 MT/ha in a culture period of about 64-120 days with about 78-85% survival. The average body weight during culture ranged from 18.0 to 20.0 g with FCR of about 1.17.

Puducherry

Puducherry has only one registered *L. vannamei* farm with total farm area of 17.10 ha and water spread area of 11.90 ha located in Karaikal District. Culture in the farm is practiced with stocking density of about 0.25-0.45 million/ha with production ranging from 2.5 to 4.5 MT/ha in a culture period of about 90 days with about 87% survival. The average body weight during culture ranged from 22 to 24 g with FCR of about 1.8.

Goa, Kerala, West Bengal and Daman & Diu Administration

Goa has 6 registered *L. vannamei* farms (TFA 31.10 ha and WSA 22.08 ha) located mainly in Ponda district. There is no new farm registered during the year. Kerala has only one farm registered during the current year with TFA of 29.3 ha and WSA of 18.6 ha located in Kannur District. West Bengal has 2 registered SPF *L. vannamei* farms only (TFA 3.0 ha and WSA 2.0 ha) and Daman & Diu Administration has 3 registered farms (TFA 60.0 ha and WSA 38.40 ha).



GAqP-Filtration of water at inlet



GAqP-Farm lining



GAqP-Aeration in *L. vannamei* farms



GAqP-Practice of using gum boot



GAqP-Permanent/ Temporary foot/ hand dips



GAqP-Stacked feed and other inputs



GAqP- Probiotics ready for application



GAqP-Application of pellet feed : manual and by feed suspensors



GAqP-Application of probiotics and lime

(ix) Action taken against Unapproved *L. vannamei* farms / Environmental problems

On the basis of complaint/s received by CAA, the inspection team authorized by CAA inspects the concerned farm/s and in the event of the team confirming unauthorized culture of *L. vannamei* or creation of environmental problems to the neighboring agriculture field or drinking water source/s or creation of social problems, CAA takes immediate action on the spot as per the guidelines G.S.R.280(E) dated 23rd March 2012 notified by the Ministry of Agriculture and/or by discussing the matter in the subsequent meeting of the Authority and act as per the resolution/s passed in the meeting as per CAA Act and Rules.

- Warning notices were issued to the 9 unregistered farms located at Kurru Village, the Hamlet of Isakapalli, Allur Mandal, Nellore District, Andhra Pradesh as resolved in the fiftieth meeting of the Authority held on 19th December 2014 as the inspection team conformed unauthorized *L. vananmei* culture in the farms. The matter was also informed to the District Collector, Nellore by forwarding copy of the said resolution.

(x) Production of SPF *L. vannamei*

Farming of *L. vannamei* started in the country during December 2009 and till the end of the current year (31.03.2015) a total number of 1,076 farms were approved by CAA with WSA of 6,782.04 ha. SPF *L. vannamei* production in these farms averaged



Progress of harvest in a *L. vannamei* farm

8.55 MT/ha/year (range 5.96-11.14 MT/ ha) with considerable increase in production per hectare over the last 6 years. The increase in productivity in *L. vannamei* farms impacted the overall production from shrimp farms and the export of shrimp from India.

The stocking density in these farms ranged between 0.37 and 0.57 million/ha and the duration of culture varied from 62 to 126 days. *L. vannamei* shrimps have grown to an average body weight of 21.5 g (ranged from 15.6 to 27.4 g) with an average survival rate of 78.0% (ranged in between 65 and 90%) and FCR of 1.35 (ranged in between 1.1 and 1.6).



Farm-fresh harvested *L. vannamei*



GAqP-Post harvest care of the produce

Cluster farming of SPF *L. vannamei*

Cluster farming system introduced by CAA facilitated the farmers having small farm holdings also to take up SPF *L. vannamei* culture by having common ETS and biosecurity measures. Out of the 1,076 farms (TFA 1,018.63 ha) registered by CAA as on 31.03.2015, 569 are cluster farms accommodating 2,608 numbers of small farm holdings with total farm area of 5,430.78 ha. The cluster farms formed 52.88% of the total number of farms registered as on 31.03.2015 with 54.21% of the total area of farming (Figure 32).

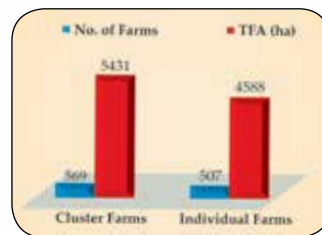


Figure 32 Cluster Farming in *L. vannamei*

(xi) Guidelines for permitting farms which have been registered for *P. monodon* culture, to take up *L. vannamei* culture

The Ministry of Agriculture issued Guidelines for permitting farms which have been registered for *P. monodon* culture, to take up low density *L. vannamei* culture vide Gazette Notification G.S.R.100(E) dated 16th February 2015.

In order to create awareness among the aquafarmers regarding this approval, a Public Notice was issued on 12th March 2015 informing shrimp farmers in the coastal areas who are interested to take up low density *L. vannamei* culture in farms registered for *P. monodon*, stating that they can submit a letter to CAA for permission along with the Registration Certificate for endorsement on inspection of the facility. Farmers were also informed that those who have not so far registered their farms with CAA, may apply to the District Level Committee for registration specifying their intension to culture *L. vannamei* and such applications shall be decided in accordance with the provisions of the Rules. The said details were hosted in the Authority's website www.caa.gov.in.

(xii) Monitoring of *L. vannamei* Hatcheries/ Farms

Regular monitoring of *L. vannamei* hatcheries and farms by the monitoring team authorized by CAA is carried out by visiting the registered farms/ hatcheries at regular intervals to avoid negative social and environmental impacts related to farming, such as water pollution, spreading of disease, escapes, habitat/ social impacts, etc., to surrounding communities. The status of biosecurity in the hatcheries/ farms, production methods, performance, water quality in the culture systems, health of seeds/ shrimps, environmental problems if any due to the operation are assessed. Wastewater sample discharged from the hatcheries and farms were also collected from final discharge point of ETS in order to test and ensure that wastewater parameters conform to the standards prescribed by CAA.

- During the year 2014-15, CAA monitoring team altogether visited 77 hatcheries (25 in Nellore and East Godavari Districts of Andhra Pradesh, 52 in Kancheepuram, Villupuram and Nagapattinam Districts of Tamil Nadu) and 35 farms (26 in Nellore District of Andhra Pradesh, 9 in Cuddalore and Nagapattinam Districts of Tamil Nadu) permitted by CAA.

- Analysis of wastewater samples collected at the final discharge point of ETS of registered hatcheries conform to the wastewater quality standards prescribed by CAA, except in 31 hatcheries and 4 farms where the wastewater quality exceeded the CAA standards. These hatcheries and farms were cautioned to bring the water quality to required level by serving warning letters. CAA also directed the owners of the hatcheries to carry out modifications in their ETS to curb the impacts of organic load.
- The production facilities were inspected and the records/ registers were also verified and the details on the quantity of broodstock imported, their source, mortality if any, spawning, eggs, nauplii, number of post larvae produced/ sold, name and address of the farmer to whom the seeds were sold, date and number of the valid CAA registration of hatcheries/ farms; quantity of shrimp produced, sold, name and address of the processor to whom sold, *etc.*, in farms as detailed in the guidelines were checked. The farmers/ hatchery operators were reiterated to maintain proper records as per the Guidelines and submission of regular reports to CAA as prescribed in CAA Act and Rules. Also, the farmers were advised to adopt responsible, ecologically and economically sustainable aquaculture practices and in the production of safe and quality aquaculture products. Good aquaculture practices (GAQPs) including application of site-specific probiotics were also suggested.



Monitoring in hatcheries in progress



Check tray monitoring in *L. vannamei* farm



Biological monitoring in *L. vannamei* farm

Strict regulation in identifying the broodstock suppliers, the import procedures and the quarantining of the broodstock ensured that *L. vannamei* broodstock imported in the country so far are free of OIE listed pathogens. Similarly, approval of hatcheries and farms after ensuring strict biosecurity facilities and regular monitoring together to ensure that the guidelines are properly implemented and that the wastewater quality parameters discharged from ETS of farms and hatcheries conform to the standards prescribed by CAA, *etc.*, have enabled the shrimp farming sector to avoid diseases especially the Early Mortality Syndrome (EMS) so far, though, the disease still persists in the devastated shrimp farms in the neighboring south east Asian countries.



Verification of records in *L. vannamei* hatcheries



Verification of records in *L. vannamei* hatcheries



Verification of records in *L. vannamei* farms



Collection of wastewater samples

IV. Water Quality Monitoring Laboratory

A water quality monitoring laboratory has been established in the Technical section of CAA for regular monitoring of the wastewater from hatcheries and farms to ensure that they are within the standards prescribed by CAA Act and Rules. The laboratory is fully equipped with the installation of instruments such as CHNSO Analyzer, Spectrophotometer, Nitrogen Kjeltec-Distillation Unit, Multiparameter water quality sondes, Millipore titration system, BOD Incubator, COD Analyser and Gas Chromatography-Mass Spectrum with Head Sampler (GC-MS) apart from other equipment required for water quality monitoring.

V. Website updation

In order to facilitate the shrimp farmers and hatchery operators to get full information on guidelines for seed production and farming, to get the application forms for registration/renewal and the buyers in foreign countries to get the full details on cultured shrimps for traceability, CAA is having a website viz., www.caa.gov.in which is uploaded through National Informatics Centre, Chennai. Data base having detailed informations about registration and regulation for shrimp hatcheries and farms, broodstock import and aquatic quarantine on *L. vannamei* farming activities are focused. The website also describes the powers and functions of the Authority, Act, Rules, Regulations and Guidelines, the Result Framework Document of CAA and also the detailed list of members appointed by the central government, besides carrying all the notifications, circulars, advertisements and other important matters of public interest. The website also contains full details on the modalities for registration and renewal of hatcheries/aquafarms with the required forms, list of shortlisted suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock, quarterly compliance report, reservation of space in aquatic quarantine, details on DLCs and SLCs, list of banned antibiotics, biological sampling for testing antibiotics, wastewater quality standards, etc., given in user-friendly downloadable format. New and latest information are frequently and exigently uploaded periodically in the website.

The new concept of Online Registration of aquafarms through CAA website has progressed considerably which will be ready shortly for use for the benefit of farmers.

VI. Strengthening of Coastal Aquaculture Authority

Coastal Aquaculture Authority has the jurisdiction to regulate the coastal aquaculture activities in ten coastal States and four coastal Union Territories. In 2005, when CAA was established under the statutory provision of CAA Act, 2005, 21 staff originally sanctioned by the Central Government to the Aquaculture Authority in 1977 were continued. Until 2008, the major activity of CAA was registration of shrimp farms, both new and old, with due inspection carried out by the DLCs and SLCs. Since 2009, with

the introduction of the exotic shrimp SPF *L. vannamei*, many additional functions are given to CAA of which the following are important :

- Shortlisting of overseas SPF *L. vannamei* broodstock suppliers to Indian hatcheries for seed production and its farming.
- Work out annual requirement of SPF *L. vannamei* in consultation with all concerned.
- Leading the technical committee for overseeing the operation of aquatic quarantine.
- Inspection of hatcheries for permitting import of *L. vannamei* broodstock and seed production and monitoring of the programmes to prevent unauthorized breeding.
- Inspection of lead hatcheries for formation of consortia.
- Inspection of farms and hatcheries prior to construction.
- Inspection of shrimp farms for permitting *L. vannamei* culture and monitoring of the programmes to prevent unauthorized farming of this species.
- Continuous monitoring of wastewater of hatcheries and farms.
- Monitoring of usage of banned drugs and chemicals in aquaculture.
- Action on specific complaints about unauthorised activities by hatcheries/ farms.
- Updating information on all *L. vannamei* activities in the Authority's website.
- Issue of public notices, awareness creation on responsible aquaculture practices, correspondence with coastal States, DLC/ SLCs and meetings with stakeholders.

In view of the said additional work load allotted by the Central Government there is an urgent need to enhance the staff strength. Further, India being so vast with a coast line of more than 8,000 km, it is essential to have Regional Centers to cover the entire area. Hence, a proposal, for the establishment of three Regional Centers in the states of Gujarat, West Bengal and Andhra Pradesh with a staff strength of 30 persons and additional 34 posts for strengthening the head quarters at Chennai in Tamil Nadu was submitted to the Department of Animal Husbandry and Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture during September 2014 requesting approval of the Government early so that CAA can perform the duties assigned to it efficiently.

(i) Justification for the proposed Regional Centre of CAA at Gujarat

In response to a query from the Ministry during February 2015, on justification for the proposed Regional Centre of CAA at Gujarat a detailed proposal with full justification for establishing the Regional Centre at Surat/ Valsad indicating the geographic advantages of coastal Gujarat for this purpose has been submitted for further necessary action.

(ii) Shifting of the office of CAA Headquarters at Chennai

The Coastal Aquaculture Authority established under CAA Act, 2005 is functioning with its Headquarters at Chennai. The Authority till recently was functioning in a small portion of the Shastri Bhawan Annexe in Haddows Road, Chennai-600 006 and the

space allotted is hardly adequate to meet the current demands. Therefore, the Technical Section of the Authority was functioning in a rented building in Vepery. As the efforts to get a suitable government accommodation to accommodate the entire sections at one place did not materialize, the Authority has taken up suitable private accommodation at GDR Tower, 12-A Bharati Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091 and moved to the new premises since March 2015.

The Authority has ambitious plans for expanding the organizational set up of CAA by setting up Regional Centres (RCs) and to strengthen its Headquarters and also to construct a National Headquarters Complex of CAA at Chennai to accommodate the staff as well as to have a permanent set up for having the laboratory and other facilities. Efforts put up during the past to get suitable land for the purpose from Government of Tamil Nadu have not met with any success. A request has again been made to the Secretary Fisheries, Government of Tamil Nadu during 2013-14 to allot adequate space in one of the floors in their Fisheries Complex proposed to be constructed soon at Saidapet, Chennai.

VII. Implementation of Official Language (Hindi) in CAA

CAA is promoting implementation of official language by imparting training to their staff through the Hindi Teaching Schemes of the Central Government.

- A staff member of the Authority attending the PRAGYA Course during 2013-14 has successfully completed the course during the year.
- A staff member of the Authority attending the PRAVEEN Course during 2013-14 has successfully completed the course during the year.
- A staff member of the Authority attending the PRABODH Course during 2013-14 has successfully completed the course during the year.

VIII. Outreach Activities of CAA

(i) Participation in Workshop/ Seminar

- CAA participated in the one day National Workshop on Aquaculture of Seabass-Status and way forward for commercial production organized by Fisheries Technocrats Forum and CIBA held at Chennai on 28.01.2015, wherein Member Secretary, CAA delivered felicitation address during the inaugural session of the workshop and also released the 'Manual for Seabass (*Lates calcarifer*) Seed production and Farming' brought out by CIBA. Themes focused in the workshop such as present status of broodstock development and seed production, evaluation of demonstrations on the nursery and grow-out culture, review of experience gained in sea bass culture by farmers and future strategies for large

scale commercial production were discussed elaborately in the technical session and a few pertinent recommendations that entail consideration of the government were drafted.



Member Secretary, CAA felicitating the Workshop and releasing the manual

- CAA officials participated in the Aquaculture Technical Conference of the Aqua Aquaria India-2015 organized by the Marine Products Export Development Authority at Vijayawada, Andhra Pradesh from 21st to 22nd February 2015. The conference through five sessions focused themes on diversification of aquaculture, fish health management and biosecurity requirements, aquaculture nutrition, ornamental fish culture and certification and food safety and marketing issues which were discussed elaborately by presentation of technical papers by experienced persons in the respective fields.

(ii) Participation in Fairs / Exhibitions

- CAA participated in the exhibition organized by Fisheries Technocrats Forum and CIBA in connection with the National Workshop on Aquaculture of Seabass-Status and way forward for commercial production held at Chennai on 28.01.2015.
- CAA participated in the exhibition organized by MPEDA in connection with Aqua Aquaria India-2015 held at Vijayawada, Andhra Pradesh from 21st to 22nd February 2015.
- Stalls were put up in both the exhibitions and posters/charts, banners and blowups depicting the objectives, functions and activities of CAA and also highlighting the mandate, functions and also Good Aquaculture Practices to be adopted by the shrimp farmers/ hatchery operators including awareness on abuse of antibiotics, chemicals and drugs in aquaculture and guidelines and biosecurity requirements for SPF *L. vannamei* seed production and farming were displayed in the stall for the benefit of the farmers and hatchery operators.
- Handouts on important themes in vernacular languages were also distributed.
- Large number of aqua farmers, hatchery operators, input suppliers, researchers, fisheries officials, students and public visited the stalls and benefitted. Exhibits on *L. vannamei* farming attracted large crowd to the stall, lot of queries raised

on CAA Regulations were answered and the importance of biosecurity in farms and hatcheries, their registration with CAA and practicing GAQPs for sustainable farming were explained.



CAA Stall in the exhibition held during the National Workshop at Chennai



CAA Stall in Aqua Aquaria India-2015 held at Vijayawada

(iii) Awareness programme conducted by CAA

An awareness programme was conducted in Gangapatnam Village, Indukurpet Mandal, Nellore District of Andhra Pradesh on 07.11.2014 which was attended by about 200 shrimp farmers/ hatchery operators and State Fisheries officials of the State. During the awareness programme, powers and functions of CAA as provided in the Rules, Regulations and Guidelines under the CAA Act, 2005 were mainly highlighted. Issues on abuse of antibiotics, FAO's Code of Conduct for sustainable aquaculture,

Good Aquaculture Practices and the CAA Guidelines for regulating hatcheries and farms for introduction of SPF *L. vannamei* were also covered in the programme in local language by CAA officials. Handouts on important themes in vernacular languages were also distributed.



Awareness Programme in Gangapatnam Village of Nellore District in progress

(iv) Visit of Parliamentary Committees

- The Parliamentary Committee on Papers Laid on the Table of Lok Sabha undertook its Study Visit to Chennai on 17.01.2015. Hon'ble Chairman and Members of the Committee held discussions with the representatives of Coastal Aquaculture Authority regarding delay in laying of the Annual Report and Audited Accounts of the Authority for the year 2013-14 in the House. Member Secretary CAA, Director (Fy) & Assistant Commissioner (Fy) of DAHD&F and Assistant Director (Technical) & Senior Administrative Officer of CAA participated in the discussions on behalf of the Authority. The questionnaire sent by the Lok Sabha Secretariat was replied well in time.
- The Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice visited places of fisheries importance during 27th January to 4th February 2015. The Committee had an interaction meeting on Tribunals, Appellate Tribunals and other Authorities (Conditions and Services) Bill 2014 on 31st January 2015 at Chennai. Member Secretary, Advisor and Senior Administrative Officer from CAA participated in the discussions relating to

the provision in the CAA Act, 2005 especially on the terms and conditions of Chairperson and Members, procedures followed on appeals before the Authority and on the powers and functions of the one man Authority for settlement of compensation to be paid to workers, *etc.* The questionnaire sent by the Lok Sabha Secretariat was replied well in time.



Member Secretary briefing the activities and achievements of CAA to the Parliamentary Committee

(v) Participation of CAA members/ officers in meetings/ seminars/ symposia organized by other organizations

- Chairperson CAA inaugurated the Review Meeting of CAA to discuss various issues faced by the shrimp hatchery operators held on 21st January 2015 at Chennai and delivered the inaugural address.
- Member Secretary CAA attended the meeting with the Secretary, Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries held on 7th May 2014 at New Delhi to appraise the role of CAA and its functions.
- Member Secretary CAA attended the Fifteenth Meeting of National Committee on Introduction of Exotic Aquatic Species into Indian Waters held on 23rd May 2014 at Krishi Bhawan, New Delhi held under the Chairmanship of Joint Secretary (Fy.).
- Member Secretary CAA attended the Fourth Meeting of Scientific Panel for Fish and Fishery Products held on 26th May 2014 at FDA Bhawan, New Delhi.
- Member Secretary CAA attended the Fifth Regional Consultative Forum Meeting of Asia Pacific Fishery Commission held on 19th to 21st June 2014 at Hyderabad.
- Member Secretary CAA attended the Fourth Meeting of the Technical Advisory Committee to monitor National Surveillance Programme for Aquatic Animal Diseases held on 30th June 2014 at Krishi Bhawan, New Delhi.
- Member Secretary CAA accompanied by Advisor, CAA attended the Presentation on CAA and introduction of *L. vannamei* programme held on 28th July 2014 before the Union Agriculture Minister at New Delhi.

- Member Secretary CAA attended as Chief Guest on Awareness Programme on New Technologies on *L. vannamei* farming conducted on 13th August 2014 by the Institute of Fisheries Technology, Tamil Nadu Fisheries University, Nagapattinam.
- Member Secretary CAA attended the National Conference of State Fisheries Ministers conducted by Ministry of Agriculture held on 16th and 17th September 2014 at NASC, Pusa, New Delhi.
- Member Secretary CAA attended the Workshop on *L. vannamei* farming and development of Better Management Practices on 10th October 2014 organized by CIBA at Ongole.
- Member Secretary CAA attended the Second Meeting of the National Level Steering Committee to oversee and monitor Tilapia seed and grow-out production held on 13th October 2014 in the Ministry of Agriculture at Krishi Bhawan, New Delhi.
- Member Secretary CAA attended the 16th Meeting of the Committee on Introduction of Exotic Fishes held on 27th October 2014 at New Delhi.
- Member Secretary CAA attended the Indo Norwegian Co-operation-Joint Workshop on Aquaculture held on 30th October 2014 at Mumbai.
- Member Secretary CAA attended the Panel discussion at the one day training programme on Open Sea Cage Culture held on 4th November 2014 organized by CMFRI at Rameswaram.
- Member Secretary CAA attended the 10th Indian Fisheries and Aquaculture Forum held at NBFGR, Lucknow on 13th and 14th November 2014 and chaired a Technical Session.
- Member Secretary CAA attended as Guest of Honour the 'Brackishwater Aqua-Farmers Meet' held on 9th December 2014 at Kakdweep Research Centre of CIBA.
- Member Secretary CAA attended the Brainstorming Session on Aquaculture Certification held on 29th and 30th December 2014 organized by National Academy of Agricultural Sciences at NASC Complex, New Delhi.
- Member Secretary CAA visited a few of the SPF *L. vannamei* hatcheries from 17th to 19th February 2015 in Andhra Pradesh.
- Member Secretary CAA attended the 3rd Meeting of the National level Steering Committee to oversee and monitor Tilapia seed and grow-out production held on 2nd March 2015 at Krishi Bhawan, New Delhi.
- Member Secretary CAA attended the Meeting convened by the Chief Secretary, Andhra Pradesh held on 9th March 2015 at Hyderabad to discuss various issues for promoting aquaculture in Andhra Pradesh.

- Director (Technical) CAA attended the 'National Symposium on Conservation of Wetland species and Ecosystem' conducted by Centre for Marine Science and Technology, Manonmaniam Sundaranar University on 27th March 2015 at Rajakkamangalam, Kanyakumari District, Tamil Nadu and made a presentation on 'Economic valuation of coastal ecosystems-the case of mangroves in Tamil Nadu' and also delivered valedictory address.
- Assistant Director (Technical) and Senior Technical Assistant CAA participated in the one day National Workshop on Aquaculture of Seabass-status and way forward for commercial production organized by Fisheries Technocrats Forum and CIBA held at Chennai on 28th February 2015.
- Assistant Director (Technical) and Senior Technical Assistant CAA participated in the Aquaculture Technical Conference of the Aqua Aquaria India-2015 organized by MPEDA at Vijayawada during 21st to 22nd February 2015.
- Senior Administrative Officer CAA attended the Technical Workshop on 'Right to Information Act, 2005' held at New Delhi during 5th to 7th August 2014 organized by Society for Economic Research & Training.

IX. Activities likely to be taken up during 2015-16

i) Registration

Registration and renewal of coastal aquaculture farms and hatcheries are continuous processes. It is expected that more coastal aquaculture farms and hatcheries of the country would be registered during the period between April 2015 and March 2016.

ii) Approval for *L. vannamei* culture

About 2,000 ha of additional farm area is proposed to be brought under *L. vannamei* culture with CAA registration.

iii) Inspection and Monitoring

Periodic monitoring of the facilities, especially the quality of wastewater discharged from shrimp farms and hatcheries are to be taken up to ensure meeting of the standards prescribed by the Authority.

iv) Awareness Programmes

Awareness programmes relating to environment protection, sustainable development of coastal aquaculture activities and good aquaculture practices are to be organised.

v) Advertisement and Publication

Public notices are to be issued on the important matters to caution stakeholders and for taking precautionary measures.

vi) Preparation of Manuals / Brochures

The compendium on Coastal Aquaculture Authority Act, Rules and Guidelines would be further edited incorporating all the Regulations, Guidelines and notifications issued by the Ministry in some local languages.

vii) Workshops and Meetings

Stakeholder meetings would be organized for addressing the problems encountered in the coastal aquaculture activities, where experiences of various groups on technological improvements and other aspects, would also be shared.

CAA would be representing in workshops, exhibitions, seafood fairs and aqua shows organised by other agencies on coastal aquaculture activities, whenever possible.

viii) Capacity building

Training and study visits would be organised for technical and administrative staff for the effective implementation of regulatory measures as well as for improving the knowledge in their sphere of work.

X. Finance during the year 2004-15**i) Performance Audit of CAA by C&AG of India**

On the directions of C&AG for Performance Review of Fisheries Institutes in India, Director General of Audit (Central) Chennai conducted the performance audit of the Authority in June-July 2014 covering the period 2011-12 to 2013-14. The Audit Authorities forwarded a Factual Note on 'Performance Review on fisheries activities in India' pertaining to Coastal Aquaculture Authority, likely to be considered for inclusion in the Union Government (Central Expenditure) Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 2014-15 for the Authority's remarks on the facts and observations. The issues raised in the Factual Note were examined by the Authority and comments were forwarded to the audit authorities.

ii) Summary of Actual Financial Results and Activities during the Financial Year 2014-2015

The Accounts pertaining to the financial year 2014-15 was audited under the section 19(2) of the CAG's (DPC) Act, 1971 by the Director General of Audit (Central), Chennai and its report is presented in ANNEXURE.

As per Section 16 and 17 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, the grant-in-aid based on budget estimation made by the CAA, was provided in 5 (five) installments, under the budgetary provisions of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture, New Delhi. Administrative Ministry has sanctioned budget estimation to only ₹300/- lakhs for the financial year 2014-15 vide F.No.3-28/2013-Budget (ADF) dated 16th December 2013. Ministry has admitted

Revised Estimate for ₹250/- lakhs *vide* F. No. 3-28/2014-Budget (ADF) dated 11th December 2014 and this office utilized the full amount.

Budget Estimates / Revised Estimates and Expenditure for the financial year 2014-2015 are as follows :

Major head 2405

Sub Head - 030031 Grant-in-Aid (General)
- 030036 Grant-in-Aid (Salaries)
 (₹ in lakhs)

BE admitted by the Ministry	RE admitted by the Ministry	Amount received	Amount spent	Unspent balance
300	250	250	250	0.00

Sl. No.	Name of the Scheme	Sub-head	BE 2015-16
1	Coastal Aquaculture Authority	131731 Grant-in-Aid (General) 131736 Grant-in-Aid (Salaries)	330

iii) Details of the Annual Accounts for the year 2014-15

The Details of the Annual Accounts for the year 2014-15 are presented in ANNEXURE

XI. Staff and existing organizational structure of the Authority

At present, CAA has got sanctioned strength of 21 posts and the staff in position during the financial year 2014-2015 is as follows :

Sl. No.	Group	Post	Sanctioned Strength	Number of staff at the beginning	No. of staff repatriated during the year	No. of new staff added during the year	Staff at the end of the year
1	A	Director	1	0	0	1	1
		Asst. Director	1	1	0	0	1
		Sr. Admin. Officer	1	1	0	0	1
2	B	Superintendent	1	1	0	0	1
		Private Secretary	2	2	0	0	2
		Sr. Tech. Assistant	2	2	0	0	2
		Accountant	1	1	1	0	1
		Steno. Gr. 'C'	2	1	1	0	0
3	C	Sr. Clerk	2	1	0	0	1
		Steno. Gr. 'D'	1	1	0	0	1
		Jr. Clerk	2	1	0	0	1
		Staff Car Driver	1	1	0	0	1
		MTS	4	4	0	0	4
		Total	21	17	2	1	16

Advisor and Consultants

Sl. No.	Designation	No. of persons at the beginning	No. of persons left during the financial year	No. of new persons added during the financial year	No. of persons at the end of financial year
1	Advisor	1	0	0	1
2	Consultants	4	2	6	8

On contract through a Manpower Agency

Sl. No.	Description	No. of persons at the beginning	No. of persons left during the financial year	No. of new persons Added during the financial year	No. of Persons at the end of the financial year
1	Computer Programmer	1	0	0	1

XII. Recruitment / Retirement / Repatriation

- **Dr R Paul Raj**, after serving 2 terms (6 years) as Member Secretary of the Coastal Aquaculture Authority relinquished charge on 30th April 2014.
- **Dr P Ravichandran**, Principal Scientist, Central Institute of Brackishwater Aquaculture, Chennai took charge as regular Member Secretary of the Coastal Aquaculture Authority with effect from 1st October 2014.
- **Dr R Jayaraman**, Professor and Head, Department of Fisheries Economics and Management, Fisheries College and Research Institute, Tamil Nadu Fisheries University, Thoothukudi took charge as Director (Technical) of the Coastal Aquaculture Authority with effect from 6th February 2015.
- **Shri R Rajendran**, Accountant and **Smt L Kamalambikai**, Steno Grade 'C' on deputation in CAA have been repatriated to their parent departments on 04.08.2014 and 31.12.2014 respectively.

XIII. Right to Information Act

Totally 31 (thirty one) applications were received under RTI Act during the year 2014-15. Information sought was furnished.

ANNEXURE

**Annual Accounts of CAA
and
Separate Audit Report of the C & AG
for the year 2014-15**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE
GDR Tower, 12-A Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2015

(Amount-₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Corpus/ Capital Fund	1	1,60,20,903	1,84,14,925
Earmarked/ Endowment Funds	2	78,43,703	1,19,43,630
Current Liabilities and Provisions	3	9,80,389	6,67,030
Total		2,48,44,995	3,10,25,585
ASSETS			
Fixed Assets	4	1,42,51,507	1,61,45,481
Investments - From Earmarked/ Endowment Funds	5	45,33,443	49,85,152
Current Assets, Loans, Advances, etc.	6	60,60,045	98,94,952
Total		2,48,44,995	3,10,25,585
Significant Accounting Policies	14		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	15		

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Member Secretary

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE
GDR Tower, 12-A Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD/ YEAR ENDED 31.03.2015

(Amount-₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
1. INCOME			
Grants/ Subsidies	7	2,50,00,000	2,37,86,111
Fees/ Subscriptions	8	9,148	50
Income from Investments (Income on Investment from earmarked/ endowment funds transferred to Funds)	9	-	-
Interest Earned	10	4,90,947	4,87,383
Other Income	11	1,63,122	28,853
Total (A)		2,56,63,217	2,43,02,397
2. EXPENDITURE			
Establishment Expenses	12	1,30,03,413	1,11,98,585
Other Administrative Expenses, etc.	13	1,21,89,138	1,25,33,548
Expenditure on Grants, Subsidies, etc.		-	-
Depreciation	4	28,64,688	31,12,375
Total (B)		2,80,57,239	2,68,44,508
Balance being excess/(shortage) of Income over Expenditure (A-B)		(23,94,022)	(25,42,111)
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to / from General Reserve			
Balance being Surplus / (Deficit) Carried to Corpus/ Capital Fund			
Significant Accounting Policies	14		
Contingent Liabilities and			
Notes on Accounts	15		

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Member Secretary

COASTAL AQUA RECEIPTS AND PAYMENTS FOR

Receipts	(Amount-₹)	
	Current Year	Previous Year
1. Opening Balances		
a) Cash in hand		
b) Bank Balances		
i) In current accounts		
ii) In deposit accounts		
iii) Savings accounts	92,36,623	73,47,557
2. Grants Received		
a) From Govt. of India- Capital Receipts		35,13,889
Revenue Receipts	2,50,00,000	2,37,86,111
b) From State Government		
c) From Other Source (Grants for capital & revenue expenditure to be shown separately)		
3. Income on Investment from		
a) Earmarked/ Endowment Funds (FDR Interest)		
b) Own Funds (other Investment)		
4. Interest Received		
a) On Bank deposits	4,90,947	4,87,383
b) Loans, Advances, etc.		48,000
c) On Earmarked Investments		
5. Other Income (Specify)		
a) Examination fees		
b) Tender Fees	7,900	
c) Miscellaneous Income	61,342	28,853
d) RTI Fees	248	50
6. Amount Borrowed		
7. Any other receipts (give details)		
a) Earnest Money Deposit	2,50,000	3,01,000
b) Festival Advance Recovery	44,550	
c) Stamps in Hand	5,839	2,15,671
d) Letter of Credit		
e) Endowment Fund (Processing Fees)	29,21,995	47,34,197
f) Application Fees (30%)	4,17,345	
g) Advance Refund		
i) Advance for Field Visit	378	
ii) Advance for Inspection	5,443	
iii) Advance for Meeting	15,317	
iv) Advance for Printing and Stationary	1,864	
v) Advance for Salary	13,600	
vi) Advance for Training	8,000	
vii) Advance towards vehicle hiring	7,553	
Total	3,84,88,944	4,04,62,711

Sd/-
Sr. Admin. Officer

CULTURE AUTHORITY

THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2015

Payments	(Amount-₹)	
	Current Year	Previous Year
1. Expenses		
a) Establishment Expenses	1,30,03,413	1,11,98,585
b) Administrative Expenses	1,14,92,674	1,25,33,548
2. Payments made against funds for various projects (Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payments made for each project)		
3. Investments and deposits made		
a) Out of Earmarked/ Endowment Funds		32,56,773
b) Out of Own Funds		
4. Expenditure on Fixed Assets & Capital work-in-Progress		
a) Purchase of Fixed Assets	5,89,223	35,13,889
b) Expenditure on Capital Work-in-progress		
5. Refund of surplus money/ loans		
a) To the Government of India		
b) To the State Government		
6. Finance Charges (Interest)		
7. Other Payments (Specify)		
a) Earnest Money Deposit	3,95,000	3,25,000
b) Performance Security Deposit Refund		57,000
c) Festival Advance	49,500	41,250
d) Prepaid Expenses	35,595	11,043
e) Expenditure out of Earmarked fund	64,87,558	6,000
f) Medical Advance		8,000
g) Unspent Grant-in-aid refund		
h) Post Master		
i) Stamps in Hand	70,000	2,75,000
8. Loans and Advances		
a) Advance for Field visit	20,000	
b) Advance for Inspection	42,603	
c) Advance for Meeting	87,220	
e) Advance for Printing and Stationary	10,000	
d) Advance for Salary	13,600	
g) Advance for Training	16,000	
e) Advance towards vehicle hiring	1, 84,212	
9. Closing Balance		
a) Cash in hand		
b) Bank Balances		
i) In current accounts		
ii) In Deposit accounts	59,92,346	92,36,623
iii) Savings accounts		
Total	3,84,88,944	4,04,62,711

Sd/-
Member Secretary



COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE
GDR Tower, 12-A Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2015

Schedule 1 : Corpus/ Capital Fund

(Amount-₹)

	Current Year	Previous Year
Balance at the beginning of the year 1.4.2014	1,84,14,925	1,74,43,147
Add: Contributions towards Corpus/ Capital Fund		35,13,889
	1,84,14,925	2,09,57,036
Less: Expenditure over Income transferred from the Income & Expenditure Account	(23,94,022)	(25,42,111)
Add: Excess of Income over Expenditure transferred from Income & Expenditure Account		
Balance as at the Year End	1,60,20,903	1,84,14,925

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE
GDR Tower, 12-A Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2015

Schedule 2 : Earmarked/ Endowment Funds

(Amount - ₹)

	Fund-Wise Break Up							Totals	
	Farm Regist- ration fees	Processing Fees for <i>L. vannamei</i>		General Provident Fund	Contri- butory PF	Pension Fund	Interest	Current Year	Previous Year
		Farm	Hatchery						
a) Opening balance of the funds	21,11,823	44,67,784	21,07,250	8,68,000	9,60,358	10,87,019	3,41,396	1,19,43,630	72,15,433
b) Addition to the Funds :	-	-	-	2,33,416	3,66,932	37,232	-	6,37,580	29,15,377
i. Donations/ grants	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Income from Investment made on account of Earmarked funds	-	-	-	-	-	-	1,92,662	1,92,662	3,41,396
iii. Fees	4,17,345	14,86,995	9,35,000	-	-	-	-	28,39,340	14,71,424
Total (a + b)	25,29,168	59,54,779	30,42,250	11,01,416	13,27,290	11,24,251	5,34,058	1,56,13,212	1,19,43,630
c) Utilisation/ Expenditure towards objectives of funds									
i. Capital Expenditure	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Others-Settlement	-	-	-	-	12,81,951	-	-	12,81,951	-
ii. Revenue Expenditure	-	-	-	-	-	-	-	64,87,558	-
- Salaries, Wages, Allowances etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Travelling Expenses on Inspection of Farms etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Training Expenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Expenses on Seminar/conference etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total C (c i + c ii)	-	-	-	-	12,81,951	-	-	77,69,509	-
Net Balance as at the Year End (a+b-c)	25,29,168	59,54,779	30,42,250	11,01,416	45,339	11,24,251	5,34,058	78,43,703	1,19,43,630

Notes : 1. Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.
2. Plan Funds received from the Central/ State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE
GDR Tower, 12-A Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2015

Schedule 3 : Current Liabilities and Provisions

(Amount-₹)

	Current Year		Previous Year	
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Acceptances				
2. Sundry Creditors :				
a) For Goods				
b) Others				
3. Performance Security Deposit :		1,11,139		5,000
a) M/s. Sincere Traders, Chennai			5,000	
b) M/s. Aishwarya Construction	1,11,139			
4. Earnest Money Deposit :		3,69,250		6,62,030
a) M/s. Merit Enterprises			20,280	
b) M/s. Orbit Technologies	44,250		44,250	
c) M/s. Sartorius Metchatronics India P. Ltd.			4,500	
d) M/s. METC			20,000	
e) M/s. Agilent Technologies			1,75,000	
f) M/s. Blue Star Ltd, Chennai			50,500	
g) M/s. Day N Day Services Pvt. Ltd.	25,000		25,000	
h) M/s. The Host, Chennai			27,000	
i) M/s. Bio-Incorp/ Agilent Technologies	2,50,000		2,50,000	
j) M/s. Ex. Servicemen, Chennai			20,000	
k) M/s. Day N Day, Chennai			25,000	
l) M/s. Lakshmi Travels, Chennai			500	
m) M/s. Siva Cabs, Chennai	50,000			
5. Interest accrued but not due on :				
a) Secured Loan/ borrowings				
b) Unsecured Loans/ borrowings				
6. Statutory Liabilities :				
a) New Pension Scheme (Employee Contribution)				
7. Other Provision (Contingent)		5,00,000		
Total		9,80,389		6,67,030

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE
GDR Tower, 12-A Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2015

Schedule 4 : Fixed Assets

(Amount-₹)

Item	Rate of Depreciation (%)	Gross Block				Depreciation				Net Block	
		Addition during the Year		Deduction during the Year	Cost Valuation at the Year end	As at the beginning of the Year	On Addition during the Year	On Deduction during the Year	Total up to the Year end	As at the Current Year end	As at the Previous Year end
		Up to 30.09.14	After 30.09.14								
Plant & Machinery	15	1,07,63,511	5,100	33,980	1,08,02,591	43,34,463	9,67,671		53,02,134	55,00,457	64,29,048
Lab Equipment	15	52,54,588			52,54,588	7,32,717	6,78,281		14,10,998	38,43,590	45,21,871
Office Equipment	15	38,49,223	5,797		38,55,020	16,33,099	3,33,288		19,66,387	18,88,633	22,16,124
Car	15	3,30,860	-	-	3,30,860	3,02,610	4,238		3,06,848	24,012	28,250
Furniture & Fixtures	10	39,68,897	-	4,63,114	44,32,011	15,91,011	2,60,944		18,51,955	25,80,056	23,77,886
Computers & Peripherals	60	29,86,400	78,735	-	30,65,135	26,39,490	2,55,387		28,94,877	1,70,258	3,46,910
Library & Technical Books	60	19,65,291	3,81,491	2,497	23,49,279	17,39,899	3,64,879		21,04,778	2,44,501	2,25,392
Total		2,91,18,770	4,71,123	4,99,591	3,00,89,484	1,29,73,289	28,64,688		1,58,37,977	1,42,51,507	1,61,45,481

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE
GDR Tower, 12-A Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2015

Schedule 5 : Investments from Earmarked/ Endowment Funds

(Amount-₹)

	Current Year	Previous Year
Fixed Deposit Receipts (IOB)	22,62,437	20,69,775
Pension Fund Investment in SB A/c No: 209501000007601	11,24,251	10,87,019
General Provident Fund Investment in SB A/c No: 209501000006535	11,01,416	8,68,000
Contributory Provident Fund Investment in SB A/c No: 209501000006536	45,339	9,60,358
Total	45,33,443	49,85,152

Schedule 6 : Current Assets, Loans, Advances etc.

	Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS		
1. Bank Balances :		
a) With Scheduled Banks :		
On Savings Accounts	59,92,346	92,36,623
2. Stamps in Hand :		
a) Stamps (Franking Machine)	3	93,988
b) Stamps (Postal)	6,526	38,397
Total (A)	59,98,875	93,69,008
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received :		
1. Prepayments (Annexure-1)	35,595	11,043
2. Staff Festival Advance (Annexure-1)	25,575	20,625
3. M/s. Hypertrix (P) Ltd.	-	1,04,785
4. M/s. Infinitybook.com	-	3,81,491
5. Medical Advance	-	8,000
Total (B)	61,170	5,25,944
Total (A + B)	60,60,045	98,94,952

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE
GDR Tower, 12-A Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND
EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015**

Schedule 7 : Grants/ Subsidies

(Irrevocable Grants & Subsidies Received)

(Amount-₹)

	Current Year	Previous Year
1) Central Government	2,50,00,000	2,37,86,111
Total	2,50,00,000	2,37,86,111

Schedule 8 : Fees/ Subscriptions

1) Tender Fees	8,900	
2) RTI Fees	248	50
Total	9,148	50

Note - Accounting Policies towards each item are not be disclosed

Schedule 9 : Income from Investments

(Income on Investment from Earmarked/ Endowment Funds transferred to Funds)

1) Interest on Fixed Deposit with Indian Bank		
Total		
Transferred to Earmarked/ Endowment Funds		

Schedule 10 : Interest Earned

1) On Term Deposits :		
a) With Scheduled Banks		
2) On Savings Accounts :		
a) With Scheduled Banks	4,90,947	4,87,383
Total	4,90,947	4,87,383

Note - Tax deducted at source to be indicated

Schedule 11 : Other Income

1) Miscellaneous Income	1,63,122	28,853
Total	1,63,122	28,853

Schedule 12 : Establishment Expenses

1) Salaries and Wages	1,23,48,182	1,00,78,139
2) Pension Contribution	5,37,887	10,87,019
3) Reimbursement of Tution Fees	1,17,344	33,427
Total	1,30,03,413	1,11,98,585

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND
EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015**

Schedule 13 : Other Adminstrative Expenses *etc.*

(Amount-₹)

	Current Year	Previous Year
1. Advertisement and Publicity	8,26,231	12,74,589
2. Publication	4,09,585	7,97,136
3. Domestic Travelling Expenses	8,31,248	13,22,150
4. Medical Expenses	3,24,064	1,28,258
5. Supply & Materials	1,93,100	5,01,578
6. Office Expenditure		
Repairs and maintenance	2,15,122	29,263
Electricity and Power	3,76,849	2,04,771
Fuel Charges	1,000	
Rent, Rates and Taxes	27,45,994	17,37,723
Photostat Expenses		
Postage, Telegram	1,90,017	2,23,346
Printing, Stationary and Consumables	4,14,366	11,15,030
Water Charges	40,515	30,941
Library Expenses (Periodicals & Journals)		6,225
Computer Maintenance		3,675
Telephone Expenses	2,62,449	2,59,124
Professional Charges	3,33,231	13,29,696
Vehicle Hire Charges	16,23,922	15,13,366
Meeting Expenses	7,09,959	35,155
Telephone and Mobile Reimbursement Expenses	44,445	19,098
Miscellaneous Expenses	1,28,607	6,23,832
Seminar/ Workshops/ Training Expenses	40,400	15,340
Other Contractual Service	13,46,784	11,21,011
Website Maintenance Charges	43,000	33,708
AMC Expenses (A.C, Computers, Office Equipment, <i>etc.</i>)	1,60,731	2,05,533
Annual PRA Maintenance Charges (NSDL)	2,827	3,000
Translation Charges	28,700	
Newspaper and Magazine	20,318	
Liveries (Uniform)	3,035	
Staff Welfare	37,002	
Sweeper Salary	23,800	
Web Hosting Charges	1,72,235	
Shifting Expenses	4,02,557	
Lab Chemicals	2,37,045	
Bank Charges		
Total	1,21,89,138	1,25,33,548

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

Annexure-1 : Advances

(Amount-₹)

Sl. No.	Advances	31.03.2015	31.03.2014
A	Staff Festival Advance	25,575	20,625
	Total	25,575	20,625

Sl. No.	Other Advances	31.03.2015	31.03.2014
B	Prepaid Expenses	35,595	-
	TANC	-	-
	Advance towards Inspection	-	-
	AMC for Franking Machine	-	11,043
	Total	35,595	11,043

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE
GDR Tower, 12-A Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

Schedule 14 : Accounting Policies

1. Accounting Convention

The Financial Statements are prepared under the historical cost convention, in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), the applicable mandatory Accounting Standards (AS) issued by ICAI and relevant Presentational requirements for Central Autonomous Bodies as prescribed by CGA. The Authority follows the accrual method of accounting in respect of all items of expenditure and Income except where otherwise stated.

2. Fixed Assets

- a) Fixed Assets are accounted for after these are taken on charge duly inspected.
- b) Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation cost comprises the purchase price, inward freight, duties & taxes and any other directly attributable cost of bringing the Assets to its working conditions for its intended use. Financing cost relating to acquisition/ construction of qualifying fixed assets are also included to the extent they relate to the period till such assets are ready for their intended use.
- c) Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of ₹1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA.
- d) Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalized at value stated by corresponding credit to capital fund. Fixed Assets received as free gift are taken into account at nominal value of ₹1/-
- e) Fixed Assets acquired against specific grant-in-aid accounted for as fixed assets in the Authority's account. Cost of assets created out of grants-in-aid is credited to Capital Fund. Depreciation on those assets is also charged over the useful life of the assets at the rates prescribed by the Income Tax Act and Rules and is recognized in the income and Expenditure Account.

3. Depreciation

- a) Depreciation is provided on written down value method as per rates specified in Income tax Act, 1961.
- b) In respect of additions/ deductions of fixed assets during the year, full depreciation is charged at the rates specified in the Income Tax Rules on the assets acquired in the first half of the financial year and 50% of depreciation is charged on the assets acquired in the second half of financial year.
- c) Each item of fixed assets costing ₹5,000/- and below are fully depreciated in the year of acquisition.

4. Lease/ Rent

Lease/ Rent rentals are accounted as expenses according to the terms and conditions of lease.

5. Impairment of Assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of the asset exceeds its recoverable value. The impairment loss is charged to Income & Expenditure statement for the year in which the assets is identified as impaired. The impairment loss is recognized or recoverable amount.

6. Government Grants/ Subsidies

Capital expenditure *i.e.* cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to 'Capital Fund' account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to 'Income and Expenditure Account'. Excess of grant over the expenses is transferred to capital fund account at the end of the year.

7. Retirement Benefits

- a) Authority's contribution paid/ payable during the year to new pension scheme is recognized in the Income and Expenditure Statement.
- b) The liabilities in respect of Gratuity, which is ascertained annually on actuarial valuation at the year and, will be provided and funded separately.
- c) The liabilities for the leave encashment to employees are ascertained annually on accrual basis based on actuarial valuation at the year end and provided for.

8. Taxation

The Authority is not liable to pay to Union/ State in respect of wealth tax, income tax, service tax, CST or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No provision is, therefore, made for current and deferred income tax.

9. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent liabilities are not recognized but are disclosed in the Notes forming part of the accounts. Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

10. Income and Expenses

All the income and expenses of the year, except those specified later in this paragraph, are accounted for on accrual basis under the specific direct heads of accounts :

- a) Income or Expenditure of earlier year, which arise as a result of errors or omissions in making provision/ creating the liability in the one or more prior periods, is accounted for under 'prior period Adjustment' account.
- b) If actual expenditure or income exceeds the liability created/ provision made on expenditure basis, the same is accounted for on cash basis.

- c) Expenditure/ Income accruing to the Authority on account of decision taken after the date of finalization of annual accounts and extra-ordinary items. if any having retrospective effect, is accounted for on cash basis.
- d) In determining the accounting treatment and manner of disclosure of an item in the Balance Sheet and/or Income and Expenditure Account, due consideration is given to the concept of materiality and hence pre paid/ prior period items up to ₹1,000/- in each case are accounted for to the natural heads of account on cash basis.

11. Revenue Recognition

- a) Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC/ SLC in the ratio of 70:30 between DLC/ SLC and CAA. In addition to that the Authority is collecting Processing Fees for *Litopenaeus vannamei* farms and hatcheries. As per the exiting policy of the Authority, fee is accounted as Earmarked/ Endowment Fund of the Authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes.
- b) Interest income is recognized on a Cash basis taking into account the amount outstanding and rate applicable.

12. Separate Disclosure

Separate disclosures are made in the Income and Expenditure Account in respect of :

- a) 'Prior' items which comprise material items of income or expenses which arise in the current period as a result of errors or expenses which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of the financial statements of one or more prior periods.
- b) 'Extraordinary' items, which are material items of income or expenses that arise from event or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the entity and therefore, are not expected to recur frequently or regularly.
- c) Any item under the head 'Miscellaneous Income' which exceeds ₹50,000/- is shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.
- d) Any item under the head 'Miscellaneous Expenses' which exceeds ₹50,000/- is shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Member Secretary

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE
GDR Tower, 12-A Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

Schedule - 15 : Contingent Liabilities and Notes on Accounts

Contingent liabilities

As on 31st March 2015, an amount of ₹5,00,000/- made as contingent liability against M/s. Gangothri Hatcheries for litigation purpose.

Fixed Assets

Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of ₹1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA. Depreciation on all the assets at the prescribed rate in Income Tax Rules have been calculated and charged for the financial year 2014-15 to Income and Expenditure Account.

Current Assets, Loans and Advances

Authority has taken Franking Machine from Post Office and the same is filled with stamps for a lump sum amount. In addition to that, the Authority purchase Govt. postal stamp from Post Office, the amount so paid is shown as stamps in hand. On the basis of register maintained for daily consumption of stamp, total expenditure incurred on stamps is debited to relevant expenditure head by corresponding credit to stamps in hand account on yearly basis. As on 31st March 2015 the stamps in hand amounted to ₹6,526/-.

An imprest of ₹3,000/- has been sanctioned to DDO for meeting day-to-day routine expenses.

Current Liabilities

Security deposits of ₹5,000/- received as performance guaranty will be retained till completion of its warranty period.

Taxation

The Authority is not liable to pay wealth tax, income tax or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No Provision is, therefore, made for current and deferred income tax.

Government Grants/ Fees Collected

Capital expenditure *i.e.* cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to 'Capital Fund' account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to 'Income and Expenditure Account'. Excess of grant over the expenses is transferred to capital fund account at the end of the year as on 31st March 2015.

The Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC/ SLC is shared in the ratio of 70:30 between DLC/ SLC and CAA. In addition to that, the Authority is collecting Processing Fees for *L. vannamei* farms and hatcheries. As per the exiting policy of the Authority, fee is accounted as Earmarked/ Endowment Fund of the Authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes. Out of the Earmarked Fund a sum of ₹64,87,558/- was utilized during 2014-15.

Previous year Figures

The accounting procedure laid down by the CAG for autonomous bodies, specifies to show the previous year's figures in the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipt & Payment account along with various schedules attached thereto.

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Member Secretary



महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL)
Chennai

"LEKHA PARIKSHA BHAVAN", 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai - 600 018.

दूरभाष / Phone : 044 - 2431 6400

फैक्स / Fax : 044 - 2433 8924

तार / E-mail : dgacchennai@cag.gov.in

No. DGA (C)/ CE/ V/ 28-51/ 2015-16/ 79

Date : 28.10.2015

To

The Secretary

Ministry of Agriculture

Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries

Government of India, Krishi Bhavan

New Delhi-110 001.



Sir,

Sub: Separate Audit Report on the accounts of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2014-15 - reg.

I forward herewith the Audit Report along with the statements of accounts for the year 2014-15. The dates of presentation of the accounts and Audit Report to Parliament may kindly be intimated to this office. Five copies of the report as presented to parliament may also be sent to this office in due course.

The receipt of this letter with enclosures may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Sd/-

Director/ CE

Endt. No. DGA (C)/ CE/ V/ 28-51/ 2015-16/ 80

Date : 28.10.2015

Copy together with a copy of the Audit Report along with Annual Accounts for the year 2014-15 forwarded to the Member Secretary, Coastal Aquaculture Authority, Chennai, GDR Tower, 12A Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam P.O, Chennai - 600 091.

Director/ CE

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year ended 31st March 2015

We have audited the attached Balance Sheet of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as on 31st March 2015, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 20(3) of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005. These financial statements are the responsibility of the Authority's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, *etc.* Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum performance aspects, *etc.*, if any, are reported through Inspection Report/ CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that :

- i We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- ii The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.
- iii In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Coastal Aquaculture Authority, Chennai as required in the rules and regulations of the Authority, in so far as it appears from our examination of such books.

iv **We further report that :****A. Effect of Revision in Accounts**

The accounts of the Authority were revised based on audit comments which resulted in the following :

- i. Liabilities decreased by ₹3.11 lakh
- ii. Assets decreased by ₹3.11 lakh
- iii. Deficit increased by ₹2.71 lakh

B. General

- i. Retirement benefits have not been provided for on actuarial basis as specified in the Accounting Standards 15.
- ii. The Authority has accounted for only 30% share of registration fee pertaining to it, that too on cash basis. The same has to be accounted on accrual basis. Further, 70% share pertaining to District Level and State Level Committees has not been accounted for in the accounts of the Authority. It has to be shown as receipts as well as payments.

C. Grants-in-aid

Out of the grants-in-aid of ₹2.50 crore (Non-plan) received during the year, internal receipts of ₹0.36 crore and unspent balance of ₹0.97 crore (total ₹3.83 crore), the authority could utilise a sum of ₹3.23 crore, leaving a balance of ₹0.6 crore as on 31st March 2015.

- v Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India
 - a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as at 31st March 2015; and
 - b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Place : Chennai

Date : 28.10.2015

Director General of Audit (Central)
Chennai

Annexure

1. Adequacy of Internal Audit System

Internal auditor has been appointed and- the audit of District Level Committees and State Level Committees were in progress.

2. Adequacy of Internal Control System

The internal control system needs to be strengthened in accounting of total registration fee receivable from District Level and State Level Committees.

3. Physical verification of Fixed Assets

Physical verification of fixed assets was conducted upto the year 2014-15.

4. System of Physical Verification of Inventory

The Physical verification of inventory was conducted upto the year 2014-15.

5. Regularity in payment of Statutory Dues

The Authority was regular in payment of statutory dues



Director / CE

Reply to Separate Audit Report for the Year 2014-15

B. General	
1. Retirement benefits have not been provided for on actuarial basis as specified in the Accounting Standards 15.	Noted for future compliance
2. The Authority has accounted for only 30% share of registration fee pertaining to it, that too on cash basis. The same has to be accounted for on accrual basis. Further, 70% share pertaining to District Level and State Level Committees has not be accounted for in the accounts of the Authority. It has to be shown as receipts as well as payments.	District Level Committees are directly receiving the fees for registration of aquaculture farms. Fee receipt details could not be furnished to Audit since the said information has not been received from all DLCs. CAA has already appointed Internal Auditors for inspecting the books of accounts of DLCs from financial year 2013-14 to finalise and depict the accurate income/ expenditure earned/ incurred by them in the books of accounts of CAA. The Internal Audit is in progress. Noted for future compliance.
C. Grant-in-aid	
Out of the grants-in-aid of ₹2.50 crore (Non-Plan) received during the year, internal receipts of ₹0.36 crore and unspent balance of ₹0.97 crore (total ₹3.83 crore), the authority could utilise a sum of ₹3.23 crore, leaving a balance of ₹0.6 crore as on 31 st March 2015.	Under Section 16 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, this Authority receives Grant-in-aid for each financial year and utilises it for the performance of its functions. Under Section 17(1) of the Act, this office receives 30% of the registration fees from DLCs for registration of farms besides the fees received for registration of <i>L. vannamei</i> hatcheries and farms and utilises the same for specific purposes as earmarked fund, as decided in its 17th meeting towards inspection and monitoring of coastal aqua farms and hatcheries, collecting and testing samples, organising meetings and awareness programmes, translation of extension brochures/ pamphlets <i>etc.</i>

	During the audit year, the amount of internal receipts collected was ₹0.36 crore and the balance amount brought from previous year was ₹0.97 crore. Thus the total amount available was ₹1.33 crore. After meeting the expenditure out of earmarked/ endowment fund, the final balance available is ₹0.6 crore as on March 2015. Since the fund is earmarked for specific purpose, fees receipts are shown as earmarked/ endowment fund account in the balance sheet as per the accounting standards. Therefore the observation may kindly be dropped.
--	---

Reply to Annexure of Separate Audit Report for the year 2014-15

2. Adequacy of Internal Control System	
The internal control system needs to be strengthened in accounting of total registration fee receivable from District Level and State Level Committees	Noted for future compliance.